

20TH वार्षिक रिपोर्ट 2024 - 25 ANNUAL REPORT



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్
TELANGANA GRAMEENA BANK

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित SPONSORED BY STATE BANK OF INDIA)

एक राज्य - एक आरआरबी
एक नए भविष्य का निर्माण

One State - One RRB
Cultivating a New Future



Contents

Welcome to Telangana Grameena Bank

This is the **20th Annual Report** of the Bank.

Bank continued its steady performance this year also with the support and guidance of all stake holders. We will continue to navigate steady path this year too.



02. Letter of Transmittal
03. Network & Regional Offices
04. Bank's Genesis
05. Bifurcation Letter
06. Amalgamation letter
07. Board of Directors
08. Top Management
09. Regional Managers
10. Our Mentors, Regulators / Supervisors
12. Chairman's Message
17. Directors Report
44. Auditor's Report
52. Balance Sheet, Profit & Loss
Account and Schedules

VISION

To be the premier bank in the Telangana State providing technologically advanced, committed and quality service in all spheres of banking and be the most Trusted Bank for Rural Development.

MISSION

“Providing transparent and efficient Banking Services at reasonable cost at the doorsteps of our customers by ensuring 100% Financial Inclusion, empowerment of rural customers, promoting Self Help Group (SHG) movement with special emphasis on women and earn continuous profits by having healthy business mix thus becoming a leading Bank in Telangana”.

VALUES

- ◆ Commitment for Rural development
- ◆ Transparency
- ◆ Excellence in customer service
- ◆ Team Spirit

LETTER OF TRANSMITTAL

Date: 29-04-2025

To
The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.

Dear Sir,

20th ANNUAL REPORT 2024-25 TELANGANA GRAMEENA BANK

In accordance with the provisions of Section 20 of the Regional Rural Bank Act, 1976, I forward herewith the following documents:

- ◆ A report of the Board of Directors as to the Bank's working and its activities during the period from 01.04.2024 to 31.03.2025.
- ◆ A copy of the audited Bank's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2025.
- ◆ A copy of the Auditor's Report in relation to the Bank's accounts for the period from 01.04.2024 to 31.03.2025.

Yours faithfully,



(Y. SOBHA)

CHAIRMAN



Network & Regional Offices

Operating in
all 33 Districts of
Telangana State with
934 Branches

ADILABAD

Regional Business Office,
Saraswathi Bhavan, Near Gandhi Park,
Adilabad - 504 002
rmadb@tgbhyd.in

NIZAMABAD

Regional Business Office,
D.No 6-2-196, Near Zilla Parishad,
Subhash Nagar, Nizamabad - 503 002
rmnzb@tgbhyd.in

MANCHERIAL

Regional Business Office,
H.No. 4-56,
Janmabhumi Nagar, Mancherial
rmmncl@tgbhyd.in

JAGTIAL

Regional Business Office,
H.No. 3-6-92, Karimnagar Road,
Opp: Bombay Cloth Show Room,
Jagtial Town, Jagtial District - 505327
rmjgl@tgbhyd.in

KARIMNAGAR

Regional Business Office,
H.No.2-8-128, Ward No.2,
Besides Seven Hills, Mukarampura,
Karimnagar - 505 002 Tel: 0878 - 2249275
rmknr@tgbhyd.in

HYDERABAD -I

Regional Business Office,
H.No. 9-27/1,
Lalithanagar, Dilsukhnagar,
Hyderabad - 500 060
rmhyd@tgbhyd.in

HYDERABAD -II

Regional Business Office,
H.No. 2-1-520, 3rd Floor, Street No.9,
Shankarmutt Road, Nallakunta,
Hyderabad - 500 044
rmhyd2@tgbhyd.in

NIRMAL

Regional Business Office,
H.No 8-1-83/2, Shantinagar Road,
Vinayak Nagar, Nirmal - 504106
rmnirmal@tgbhyd.in

BHADRACHALAM (Kothagudem)

3-2-199, 2nd floor, Vidyanagar Colony,
Churchupally, Bhadrachalam
Kothagudem (Dist.) 507107

BHONGIR

H.No:1-3-218/1, Sy. No.1045, 1st floor,
Vidyanagar, Bhongir, Dist: Yadagiri Bhongir - 508116

KHAMMAM

Near Fire Station,
Opp. Nirmal Hriday High school
NSP Camp, Khammam - 507001

MAHABUBNAGAR

H. No: 10-4-16/4/2, 4th floor, Yenugonda,
Mahabubnagar – 509002

NAGARKURNOOL

H.No.6-72, Near Uyyalawada, Mahabubnagar Road,
Nagarkurnool, Nagarkurnool (Dt.) - 509209

NALGONDA

Gollaguda, Near Shabari Homes,
Opposite District Collector Office, Nalgonda 508001

SANGAREDDY

5-1/28/4, 2nd floor, Bypass Road,
Prashanth Nagar, Rajampet,
Sangareddy 502001

SIDDIPET

Housing Board Colony, HYD Road,
Siddipet, Dist: Siddipet,
Pin code: 502103

WARANGAL

Kailash Nilayam, Near St Peters Pharmacy College
Vidyanagar, Hanumakonda (T & Dist) - 506001

HEAD OFFICE :

2-1-520, 2nd Floor, Vijayasrisai Celestia, Street No.9, Shankarmutt Road,
Nallakunta, Hyderabad - 500 044. T.S. India. Tel. No.'s: 040- 27602091
e-mail: tgbho@tgb.bank.in website: www.tgb.bank.in



BANK'S GENESIS:

Telangana Grameena Bank was established on **24th March 2006** in the name of Deccan Grameena Bank by amalgamation of four RRBs sponsored by State Bank of Hyderabad.

The Bank has been operating in erstwhile 5 Districts (Adilabad, Nizamabad, Karimnagar, Rangareddy & Hyderabad) of Telangana State with a network of 435 branches till 31.12.2024. Further, GoI vide notification dated **20.10.2014** has changed the name of the Bank to Telangana Grameena Bank from Deccan Grameena Bank. Later, the name of Sponsor Bank changed to State Bank of India w.e.f. **01.04.2017**.

Bifurcation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) and Amalgamation of part of APGVB into Telangana Grameena Bank (TGB)

As per directions of DFS, MoF, Government of India, vide their letter: F. No. 15/15/2015(E)-RRB dated: 13.11.2024, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank's (APGVB-other RRB operating in the State of Telangana), assets and liabilities were bifurcated between the states of Telangana and Andhra Pradesh with effect from 01.01.2025. The process has been carried out as per the recommendations of the Working Group constituted specifically for this purpose.

Consequently, the branches of APGVB located in the state of Telangana have been amalgamated with Telangana Grameena Bank (TGB), thereby expanding the operational footprint of TGB to entire Telangana State, with effect from 01.01.2025.

Accordingly, Telangana Grameena Bank is now operating across Telangana State with 17 Regional Business Offices & 934 Branches.



Bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) between Andhra Pradesh and Telangana-reg.

F. No. 15/15/2015(E)-RRB
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
RRB Section

'Jeevan Deep' Building,
Parliament Street, New Delhi,
Dated: 13 November, 2024

To

Chairman, NABARD
Head Office,
Mumbai.

Subject: Bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) between Andhra Pradesh and Telangana-reg.

Sir,

I am directed to refer to the following communication on the above cited subject and to say as under:

- i. Government of India Notification dated 20.10.2014 - regarding re-organisation of the area of operation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) and Telangana Grameena Bank (TGB), consequent upon bifurcation of the state of Andhra Pradesh.
- ii. DFS letter no. 15/15/2015(E)-RRB dated 26.09.2022 - regarding constitution of a Working Group (WG) for giving effect to the bifurcation of assets and liabilities of APGVB, between the states of Andhra Pradesh and Telangana.
- iii. NABARD's letter No. NB.HO.IDD.RRB Recap/1347/RRB-316 (Reorg WG)/2022-23 dated 28.03.2023, wherein report of the WG was submitted to GOI.
- iv. DFS letter no. 15/15/2015(E)-RRB dated 16.05.2023, circulating the Scheme to the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, NABARD and SBI.
- v. Minutes of the meeting dated 04.10.2024.

2. Based on consultation with the stakeholders as referred to above, the Government has accepted the recommendations contained in report of the Working Group, with the following caveats:

- i. The assets and liabilities of APGVB will be bifurcated between the two states as per the audited financial position as on 31st March 2024 on the basis of the WG recommendations. Details of all the components of the assets and liabilities, to be bifurcated, would be shared with the GoAP and Telangana for reference.
- ii. The effective date of bi-furcation shall be taken as 01.01.2025.

- iii. Post bi-furcation, special audit shall be carried out for both banks to confirm that the balance sheet position wrt components of assets and liabilities remains mostly the same as per the audited financial position, as was on 31-03-2024. However, in any case the Working Group recommendations for bifurcation of components of the Assets and Liabilities will be adhered to.
- iv. The assets and liabilities of APGVB Headquarters shall be apportioned between the two states on the basis of population ratio, as per the provisions of Section 53(1) of AP Re-organisation Act.
- v. As regards, the operational aspects related to human resources, APGVB shall call for option from their staff to choose between bifurcated APGVB and TGB and such option shall be mandatory, subject to other terms and conditions of settlement of manpower issues, as recommended by the WG.
- vi. For overseeing implementation of the WG recommendations and removing difficulties including disproportionate option by the employees towards any particular RRB, if any, an Empowered Committee, as monitoring unit (para 6(vi) of minutes of the meeting dated 04.10.2024) shall be constituted with the following composition:

MD / DMD, SBI - Chairman
CGM(IDD), NABARD - Member
CGM, SBI - Member
Chairman, APGVB - Member
Chairman, TGB - Member
GM (In-charge of RRBs), SBI- Convenor

3. NABARD is requested to take necessary action for bifurcation of assets and liabilities of APGVB between the states of Andhra Pradesh and Telangana and ensure that the whole process is completed within this calendar year and becomes effective from 01.01.2025.

4. This office may be kept informed about the developments in the matter from time to time.

Yours faithfully,

(Kumar Shyamal Parthasarathi)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel No.- 011-23747119
e-mail: rrb-banking@nic.in

Copy to:

1. Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh
2. Chief Secretary, Government of Telangana
3. Chairman, State Bank of India (SBI)
4. Chairman, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB)
5. Chairman, Telangana Grameena Bank (TGB)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2025

S.O. 600(E).—Whereas consequent upon the bifurcation of the state of Andhra Pradesh as per the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) notified reorganisation of area of operation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and Telangana Grameena Bank vide notification number S.O. 2718 (E) dated the 20th October, 2014 and S.O. 2719 (E) dated the 20th October, 2014.

Whereas to give effect to the above said notifications, the Government vide letter No. 15/15/2015(E)-RRB dated the 26th September, 2022 constituted a Working Group for giving effect to the bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, between the States of Andhra Pradesh and Telangana.

Whereas the Working Group submitted its report vide National Bank for Agriculture and Rural Development's letter number NB.HOIDD.RRB Recap/1347/RRB-316 (Reorg WG)/2022-23 dated the 28th March, 2023. Whereas the Scheme was circulated to the stakeholders including the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, National Bank for Agriculture and Rural Development and State Bank of India being the Sponsor Bank of both Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and Telangana Grameena Bank.

Whereas based on consultation with the stakeholders as referred to above, the Government has approved vide letter F.No. 15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024 the scheme for bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and requested National Bank for Agriculture and Rural Development to complete the whole process within the Calendar year 2024 and becomes effective from the 1st January, 2025 as per the recommendations of the Working Group.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as "the Act"), the Central Government hereby provides for the amalgamation of Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana pursuant to Notification No.2718(E) dated the 20th October, 2014 into a single Regional Rural Bank, of which shall come into effect on and from the 1st day of January, 2025 (hereinafter referred to as the "effective date of amalgamation") with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (hereinafter referred to as "the transferor Regional Rural Bank") sponsored by State Bank of India in the State of Telangana is hereby amalgamated into single Regional Rural Bank, which shall be called as **Telangana Grameena Bank** (hereinafter referred to as "the transferee Regional Rural Bank") with its head office at **Hyderabad** under the sponsorship of **State Bank of India**.
2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.
3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under:-

1	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees Twenty eight crore sixty four lakh thirty four thousand seven hundred ninety only.
(b)	State Government	Rupees Eight crore fifty nine lakh thirty thousand three hundred only.
(c)	Sponsor Bank	Rupees Twenty crore five lakh four thousand three hundred fifty only.
2	Share Capital Deposit	Rupee Zero Only.

Amalgamation Notification

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks viz. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation as per this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

(b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;

(c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to, the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against, the transferee Regional Rural Bank;

(d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable;

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account.

(b) In respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The operational aspects including issues relating to human resources shall be decided as per Government's instructions to National Bank for Agriculture and Rural Development vide para 2(v) of DFS letter No. F.No.15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024.

(b) For overseeing implementation of the Working Group recommendations and removing difficulties including disproportionate option by the employees towards any particular Regional Rural Bank, if any, an Empowered

Committee has been constituted by National Bank for Agriculture and Rural Development in terms of para 2(vi) of DFS letter F.No.15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024 of Government of India.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks viz. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024-RRB(10)]
M.P. TANGIRALA, Addl. Secy.



BOARD OF DIRECTORS

Smt Y Sobha
Chairman



Vacant

Nominees of Central Government under
Section 9(1) (a) of the Regional Rural Bank's Act, 1976

Vacant



Nominee of Reserve Bank of India under
Section 9(1) (b) of the Regional Rural Bank Act, 1976
Shri Umesh Ramling Swami, Assistant General Manager
Reserve Bank of India, Hyderabad.



Nominees of NABARD under
Section 9(1) (c) of the Regional Rural Bank's Act, 1976
Smt Deepthy Sunil, Deputy General Manager
NABARD, TSRO, Hyderabad



Nominees of Sponsor Bank (State Bank of India) under
Section 9(1) (d) of the Regional Rural Bank's Act, 1976

Shri V Sivakumar
General Manager (RRBs)
State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai..



Shri Priyabrata Mishra
Deputy General Manager (ABU)
State Bank of India, LHO, Hyderabad



Nominees of State Government under
Section 9(1) (e) of the Regional Rural Bank's Act, 1976

Shri Rayi Ravi
Additional Secretary
Finance Department, Govt of Telangana

Shri Dr B Gopi, IAS,
Director of Agriculture,
Govt. of Telangana





TOP MANAGEMENT



Smt Y Sobha
Chairman



Shri T Chandra Sekhar
General Manager-I



Shri D Ramesh
General Manager-II



Shri T Sudhakar
General Manager-III



Shri V Anil
General Manager-IV



Shri Krishna Sarma
General Manager-V



Smt K Lakshmi
General Manager-IT



Smt T Bharathi Thayar
General Manager-Vigilance



REGIONAL MANAGERS

1.	Syed Yousuf	Regional Manager	Hyderabad - I
2.	Thurpu Murali Manohar Rao	Regional Manager	Mancherial
3.	Vijaya Bhaskar Goud B	Regional Manager	Nalgonda
4.	R Uday Kiran	Regional Manager	Siddipet
5.	Gadila Venkat Ram Reddy	Regional Manager	Hyderabad - 2
6.	Prem Siva Chaitanya Kumar G	Regional Manager	Warangal
7.	Dhamuka Prabhudas	Regional Manager	Adilabad
8.	Samatha Pingili	Regional Manager	Sangareddy
9.	Ranjeeth Varanasi	Regional Manager	Nagarkurnool
10.	Naveen Kumar Puram	Regional Manager	Nizamabad
11.	A Satyanarayana	Regional Manager	Mahabubnagar
12.	Duggaraju V S Rama Rao	Regional Manager	Nirmal
13.	Chundru Raja Narendra	Regional Manager	Jagtial
14.	Elukuchi Vijay Kumar	Regional Manager	Khammam
15.	Badugu Balanagu	Regional Manager	Karimnagar
16.	Srinivas Chenna	Regional Manager	Bhongir
17.	Uday Mukthapuram	Regional Manager	Bhadrachalam



OUR MENTORS



Shri Challa Sreenivasulu Setty
Chairman
State Bank of India



Shri Ashwini Kumar Tewari
Managing Director
State Bank of India



Shri Debangshu Munshi
Chief General Manager, (A&S)
State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai

OUR SUPERVISOR



Shri Uday Bhaskar
Chief General Manager
NABARD, TGRO, Hyderabad

BANK'S PERFORMANCE AT A GLANCE 2024-25

I. HIGHLIGHTS	(Rs. in Crore)	
	31 st March 2025	31 st March 2024
Branches*	934	429
Deposits	32273.02	14194.81
Advances	41518.28	14840.69
Total Business	73791.30	29035.50
Gross Profit	894.35	708.66
Gross NPAs	870.48	264.68
Gross NPA to Aggregate Advances	2.10%	1.78%
Net NPA to Aggregate Advances	0.00%	0.00%
Average cost of Deposits	5.57	5.51
Average Yield on Advances	9.70	9.93
Average Return on Investments	7.12%	7.84%
Advances under Agricultural Segment	24960.66	9223.56
Advances to Priority Sector	90.00%	79.60%
Credit Deposit Ratio	128.65%	104.55%
Owned funds	8431.83	2513.12
Productivity		
a) per branch	79.01	67.68
b) per employee	16.14	15.71
Return on Assets	2.10%	2.42%
Return on Equity	15.49%	23.41%
Net Profit per employee	0.15	0.29
Net Interest Margin	3.99%	4.16%
Capital Adequacy Ratio	25.42	20.18%
Provision Coverage Ratio	100%	100%
Cost of Funds	4.72%	4.83%



Chairman's Report



Dear Stakeholders,

It gives me immense pleasure to present the 20th Annual Report of Telangana Grameena Bank (TGB) for the financial year 2024–25, a landmark year in our journey of growth and service to rural Telangana.

Transformation through Amalgamation

Amalgamation of RRBs has resulted in formation of a state level RRB with contiguous area of operation leading to simplifying management and ease of service delivery. We could able to increase our capital base, enhancing the financial stability and resilience of the merged entity. By consolidating operations and eliminating redundancies on account of separate administrative structures, amalgamation is expected to lead to cost savings. Further, amalgamated RRB can invest in and leverage advanced technology platforms, leading to improved operational efficiency and customer service. In this context, this year will be remembered as a turning point in our Bank's history. With effect from 1st January 2025, the Telangana operations of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) were amalgamated with TGB. As a result, our operational footprint now covers the entire state of Telangana, with a strengthened network of 934 branches and 17 Regional Business Offices. This expansion has significantly enhanced our outreach, enabling us to serve over 8.9 million customers across all 33 districts of the State.

Strong Business Growth

Our Bank delivered robust performance during FY 2024–25 despite the challenges of integration:

- ✦ Total Business reached a level of Rs. 73,791.30 crore
- ✦ Deposits grew to Rs. 32,273.02 crore, while advances expanded to Rs. 41,518.28 crore.
- ✦ Gross Profit stood at Rs. 894.35 crore, with Net Profit at Rs. 675.30 crore, reflecting sound financial management and operational efficiency.
- ✦ Capital Adequacy Ratio (CRAR) improved to 25.42%, well above the regulatory requirement of 9%, highlighting our financial strength.

Commitment to Priority Sector & Rural Development

Consistent with our mission, 90% of total advances were extended to the priority sector, with agriculture continuing as the mainstay.

- ✦ Advances to agriculture reached 23,137.41 crore, supporting nearly 15 lakh farming households.
- ✦ Our Self Help Group (SHG) financing achieved outstanding growth, with disbursements crossing 10,795.97 crore to over 1.08 lakh groups, furthering women's empowerment.
- ✦ Under the Kisan Credit Card scheme, we issued over 13.3 lakh cards, facilitating easy access to farm credit.

Technology & Digital Banking

We have committed ourselves for continuing innovation



and implementation of IT products and delivery of services, apart from improving the security of the network in which the Bank is operating. I feel delighted to inform you that Bank has introduced a lot of new IT initiatives during the financial year.

Bank has launched the following digital products during FY 2024-25

- ❖ Direct Membership for Centralized Payment Systems - Individual IFS codes for all branches
- ❖ BBPS (Bharat Bill Payment System) in Mobile Banking and Internet Banking
- ❖ RuPay Contactless Debit Cards
- ❖ UPI Lite
- ❖ Fraud Risk Management (FRM) for digital transactions
- ❖ SIM Binding feature for Mobile banking application
- ❖ On-boarded to NPCI Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE) Platform
- ❖ Implemented Microsoft 365 Email solution across all branches

IBA Technology Awards

Bank has received below mentioned 4 awards in the 20th IBA Technology Conference 2024 conducted on 24.01.2025 in Mumbai.

- ❖ Runner-Up in Best Digital Sales, Payments & Engagement
- ❖ Runner-Up in Best Tech Talent & Organization
- ❖ Runner-Up in Best Technology Bank
- ❖ Runner-Up in Best AI & ML Adoption

We have implemented 22 out of 22 DFS Deliverables as on 31.03.2025. Further, we have developed 54 in-house IT initiatives during the financial year 2024-25.

Financial Inclusion & Social Security

Aligned with our vision of inclusive growth, the Bank expanded its efforts in financial inclusion:

- ▲ Over 33 lakh PMJDY accounts are now active.
- ▲ Enrolments under PMJJBY, PMSBY, and APY crossed 15.2 lakh, 31.9 lakh, and 4.9 lakh, respectively.
- ▲ With over 2,290 Customer Service Points (CSPs) and 1,200 women CSPs, banking has

been taken to the remotest villages of Telangana.

- ▲ More than 7,400 financial literacy programs were conducted during the year.

Asset Quality

Asset quality was maintained with a Gross NPA ratio of 2.10% and Net NPAs at 0, reflecting prudent credit practices and effective recovery efforts.

Way Forward

The financial year 2024-25 will forever be remembered as a defining chapter in our Bank's history. Amalgamation has united institutions with a rich legacy and strong customer base. This convergence is not merely a structural change – it is the beginning of a new era of opportunities, resilience, and growth.

Amalgamation has endowed us with greater strength, scale, and scope. With an expanded footprint, enriched talent pool, and a stronger capital base, we are uniquely positioned to reimagine how banking can touch lives and drive inclusive prosperity. This is a moment not only about consolidation but also that sets a bold vision for the future.

With the expanded network, strong financial foundation, and technology-driven initiatives, Telangana Grameena Bank is well poised to play a pivotal role in fostering rural prosperity, promoting entrepreneurship, and supporting inclusive development across the State.

On behalf of the Board, I express my heartfelt gratitude to the Government of India, Government of Telangana, Reserve Bank of India, NABARD, State Bank of India, and all our valued customers for their unwavering support. I also extend my appreciation to our employees whose dedication and hard work have been the driving force behind our success.

I am grateful and thankful to our Board of Directors for their valuable guidance, insights and support all through the Board Meetings.

Together, we look forward to building a stronger, more resilient, and customer-centric Telangana Grameena Bank.

Y Sobha

(Chairman)


KEY PERFORMANCE INDICATORS

(Rs. in Crore)

Sl.No.	PARTICULARS	2022-23	2023-24	2024-25
A	KEY PERFORMANCE INDICATORS			
1	No. of Districts covered	18	18	33
2	No. of Branches (Incl. service branch)	427	429	934
a)	Rural	316	318	640
b)	Semi-Urban	68	68	207
c)	Urban	31	31	68
d)	Metropolitan	12	12	19
	Ultra Small Branches	0	0	0
3	Total Staff (Excluding Sponsor Bank Staff)	1743	1848	4571
	Of, which officers	1104	1180	2821
4	DEPOSITS	12610.33	14194.81	32,273.02
	Growth %	14.23%	12.56%	127.36%
5	Borrowings outstanding	5167.05	6456.97	16613.32
	Growth %	28.80	24.96%	157.30%
6	GROSS LOANS & ADVANCES OUTSTANDING	12893.00	14840.69	41518.28
	Growth %	14.37%	15.11%	179.76%
	Of 6 above, loans to priority sector	10160.90	11395.61	28817.99
	Of 6 above, loans to Non-priority sector	2732.10	3445.08	12700.49
	of 6 above, loans to SC/ST	2669.69	3593.27	10061.22
	Of 6 above, loans to SF/MF/AL	7150.74	7943.33	16883.46
	Of above, loans to Minorities	497.88	569.78	825.91
7	C.D.RATIO %	102.24%	104.55%	128.65%
8	Investments outstanding	2,572.49	2,383.82	5,445.25
	SLR Investments outstanding	2,512.67	2,368.82	5,430.25
	NON-SLR Investment Outstanding (including TDRS)	3,857.11	5,359.66	9,100.85
B	AVERAGES			
9	Average Deposits	11,015.35	13,453.73	18,102.51
	Growth %	6.15%	22.14%	34.55%
10	Average Borrowings	4,189.89	5,911.15	9172.21
	Growth %	3.94%	41.08%	55.17%
11	Average Gross Loans & Advances	11,779.73	13,775.94	21512.17
	Growth %	13.54%	0.15	56.16%
12	Average Investments	4,641.16	7,120.92	9138.40
	Growth %	-1.78%	53.43%	28.33%
	Average SLR Investments	2,630.89	2,417.17	3123.96



(Rs. in Crore)

Sl.No.	PARTICULARS	2022-23	2023-24	2024-25
	as % to average Deposits	23.88%	17.97%	17.26%
	Average Non-SLR Investments	2,010.27	4,703.75	6014.44
	as % to average Deposits	18.25%	34.96%	33.22%
13	Average Working Funds	17,127.39	21,859.29	32,083.04
C	LOANS ISSUED DURING THE YEAR			
14	Loans Issued during the year (In 000's)	98477335	116392318	295842757
	Growth % over previous year	30.32	18.19%	154.18
	Of 14 above, loans to priority sector (In 000's)	65203294	76886497	215395575
	Of 14 above, loans to Non-priority sector (In 000's)	33274041	39505821	80447182
	Of 14 above, loans to SC/ST (In 000's)	23838596	20995855	100612173
	Of 14 above, loans to SF/MF/AL (In 000's)	47995460	92235621	160707653
	Of 14 above, loans to Minorities (In 000's)	5396558	5819615	3027446
D	PRODUCTIVITY			
15	Per Branch	59.73	67.68	79.01
	Per Staff	14.63	15.71	16.14
	Per Employee Profit(Gross)	0.34	0.29	0.20
E	RECOVERY PERFORMANCE			
16	TOTAL			
	Demand (In lakhs)	871922.00	1000757.92	1140331.17
	Recovery (In lakhs)	673938.00	809429.03	973979.26
	Over dues (In lakhs)	197984.00	191328.89	166351.92
	Recovery %(June Position)	77.29	80.88	85.41
17	Farm Sector			
	Demand (In lakhs)	824984.00	959539.79	1097422.92
	Recovery (In lakhs)	631513.00	771329.33	933833.25
	Over dues (In lakhs)	193471.00	188210.46	163589.67
	Recovery %(June Position)	76.55	80.39	85.09
18	Non-Farm Sector			
	Demand	46938.00	41218.13	42908.25
	Recovery	42425.00	38099.70	40146.00
	Overdues	4513.00	3118.43	2762.25
	Recovery %(June Position)	90.39	92.43	93.56
F	ASSET CLASSIFICATION			
19	a) Standard (In lakhs)	1262917.16	1457601.69	4064780.16
	b) Sub-Standard (In lakhs)	11419.43	11690.83	30865.66
	c) Doubtful (In lakhs)	14577.14	14389.68	55801.64



(Rs. in Crore)

Sl.No.	PARTICULARS	2022-23	2023-24	2024-25
	d) Loss (In lakhs)	386.34	387.23	381.05
	Total (In lakhs)	1289300.07	1484069.43	4151827.92
20	Standard Assets as % to Gross Loans & Advances outstanding	97.95	98.22	97.90
G	PROFITABILITY ANALYSIS			
21	Interest paid on			
a)	Deposits	526.88	740.86	1008.61
b)	Borrowings	200.31	315.5	501.51
22	Salary & Allowances	261.04	306.17	554.59
23	Other Operating expenses	125.87	93.93	164.96
24	Provisions made during the year			
a)	Against NPAs	28.89	24.51	0
b)	Other Provisions	33.84	5.38	7.46
c)	Amortization	1.38	1.31	1.13
25	Interest received on			
a)	Loans & Advances	1173.46	1368.13	2087.43
b)	SLR Investments/Approved Securities/Non-SLR/ Money at Call/TDRs with other Banks	320.27	558.19	650.45
26	Miscellaneous Income	254.76	269.95	362.01
27	Loss/Profit	599.25	708.66	894.34
H	OTHER INFORMATION			
28	Share Capital Deposit received	0	0	0
29	DI & CGC			
a)	Claims settled cumulative	0	0	0
b)	Claims received but pending adjustment	0	0	0
c)	Claims pending with corporation	0	0	0
30	Cumulative Provision	309.76	315.93	998.81
a)	Against NPAs	263.83	264.68	870.48
	Against Standard Assets	42.52	47.85	124.93
b)	Against Intangible Assets, Frauds etc.	3.4	3.4	3.4
31	Loans written off during the year			
a)	No. of Accounts	9860	4749	0
b)	Amount	29.15	22.45	0
32	Reserves & Surplus			
a)	Reserves	464.69	583.31	2057.56
b)	Balance in P & L	1501.28	1911.74	6316.98



Board of Directors Report for the year 2024-25

Lighting up the Lives of rural people



Board of Directors Report for the year 2024-25

We have pleasure in presenting 20th Annual Report of Telangana Grameena Bank together with the Audited Statement of Accounts, Auditor's Report, and the Report on Business and Operations of the Bank for the financial year ended on 31.03.25.

II. Business Performance:

In view of the amalgamation of Telangana part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank into Telangana Grameena Bank with effect from 01.01.2025, the business levels reflected in this Annual Report are not directly comparable with those of the previous financial year. The amalgamation has resulted in a larger operational jurisdiction, expanded branch network, and enhanced business portfolio, thereby altering the year-on-year comparatives.

Financial Performance

Business Review

During FY 2024-25, the Bank's total business stood at Rs.73791.30 crore, comprising Rs.32273.01 crore of deposits and Rs.40647.80 crore of Net advances. The Bank now operates through 17 Regional Business Offices (8 Regional Business Offices of eTGB & 9 Regional Business Offices of eAPGVB) and 934(441 Branches of eTGB & 493 Branches of eAPGVB) branches, serving a wider customer base of over 8.9 million, across the state.

Profit Analysis:

The Bank registered a gross profit of Rs 894.35 crore for the FY 2024-25 as against Rs 708.66 crore (Pre-Amalgamated TGB) for FY 2023-24.

(Rs. in Crore)

Particulars	2022-23 (Pre Amalgamation)	2023-24 (Pre Amalgamation)	2024-25 (Post Amalgamation)
Interest income	1492.35	1925.02	2736.75
Interest Expenditure	727.18	1056.36	1513.12
Non-Interest Income	254.76	269.95	397.72
Non-Interest Expenditure	386.91	400.11	719.54
Provisions and Contingencies	33.77	29.84	7.46
Gross Profit (PBT)	599.25	708.66	894.35
Deferred Tax Liability / Deferred Tax Asset	0.12	-1.58	0.95
Tax expenses	150.00	178.00	220.00
Net Profit	449.37	529.08	675.30

Net Interest Income:

Total interest income earned during the year is Rs 2736.75 crore, whereas total interest expenditure is Rs 1513.12 crore. The net interest income has increased to Rs 1223.63 crore during the year as against Rs 868.66 crore in FY 2023-24.

Interest Expenditure:

- Interest paid on deposits stood at Rs 1008.61 crore (FY 2024-25) as against Rs 740.86 crore (FY 2023-24).
- The Bank paid Rs 504.51 crore towards interest on borrowings (Refinance from NABARD, NHB, MUDRA, etc.) during the FY 2024-25 as against Rs 315.50 crore of FY 2023-24 with an increase of Rs 189.01 crore.

Operating Expenditure:

Operating expenditure stood at Rs 719.54 crore in FY 2024-25, from Rs 400.11 crore as compared to the previous FY 2023-24.

Interest Income:

- Interest income increased to Rs 2736.75 crore during FY 2024-25 from Rs 1925.02 crore during FY 2023-24.
- The Bank earned an interest income of Rs 2087.43 crore from loans and advances in the current fiscal year as against Rs 1368.13 crore in FY 2023-24.
- Interest income received on investments stood at Rs 649.32 crore in FY 2024-25 as against Rs 556.89 crore in FY 2023-24.

Capital Adequacy Ratio:

- The Bank has recorded a Capital Adequacy Ratio (CRAR) of 25.42% at the end of the year 31.03.2025 vis-à-vis 20.18% as on 31.03.2024, well above the 9% stipulated by the RBI, which indicates the strength of the Bank.

Provision for NPA:

Bank has made a cumulative provision of Rs 870.47 crore towards NPA, as on 31.03.25 (excluding cumulative provision of Rs 124.93 crore on Standard Assets).



(Rs. in Lakhs)

Assets	2023-24		2024-25	
	O/s	Provision	O/s	Provision
Standard	14576.01	47.85	40647.80	124.93
Sub-Standard	116.91	116.91	308.66	308.66
Bad & Doubtful	143.90	143.90	558.01	558.01
Loss	3.87	3.87	3.81	3.81
Total	14840.69	312.53	41518.28	995.41

Share Capital & Paid-up Capital:

In terms of RRBs (Amendment) Act, 2015, No.14 of 2015 dated 12/05/2015, the bank has authorized share capital of Rs 2,000 crore. The subscribed paid-up share capital is Rs 57.28 crore (5,72,86,944 equity shares of Rs 10/- each) contributed by Government of India, Sponsor Bank, and State Government in the ratio of 50:35:15 respectively.

(Amount in Crore)

Share Holder	Paid up capital
Govt of India	2,864.35
Govt of Telangana	859.30
State Bank of India	2,005.04
TOTAL	5728.69

Reserves and Surplus:

Net Profit (after tax) of Rs 675.30 crore earned during this year, an amount of Rs 135.06 crore has been transferred to Statutory Reserves, Rs 20 crore transferred to Special Reserve, and Rs 520.24 crore carried over to Profit and Loss account.

Total reserves and surplus stood at Rs 8374.54 crore as at the end of current FY 2024-25, whereas it was Rs 2495.05 crore as at the end of the previous FY 2023-24

(Amount in Crore)

Particulars	31.03.2024	31.03.2025
ShareCapital	18.07	57.29
ShareCapital Deposit	0.00	0.00
Reserves& Surplus	2495.05	8374.54
TOTAL	2513.12	8431.83

Deposits:

Total deposits as on 31.03.2025 stood at Rs 32,273.01 crore as against Rs 14,194.81 crore as on 31.03.2024.

Deposit Mix:

CASA deposits reached Rs.12112.21 crore as on 31.03.2025 as against Rs.5142.04 crore as on 31.03.2024. Term deposits reached a level of Rs.20160.81 crore as against Rs.9052.77 crore as on 31.03.2024.

(Amount in Crore)

Depositmix	FY 2023-24	FY 2024-25
CurrentA/c	148.69	423.89
Savings BankA/c	4993.35	11688.32
TotalCASA	5142.04	12112.21
TermDeposits	9052.77	20160.81
TotalDeposits	14194.81	32273.02

Borrowings:

The aggregate borrowings of the bank as on 31st March, 2025 stood at Rs 16613.32 crore as against Rs 6456.97 crore as on 31st March, 2024.

(Amount in Crore)

Institutions	Outstanding as on 31.03.2024	Outstanding as on 31.03.2025
NABARD-STSAO	600.00	591.00
NABARD-Schematic	3521.86	6656.85
NABARD-ASAO	1200.00	5700.00
MUDRA	0.00	9.73
NSFDC	7.31	4.89
SUB-TOTAL	5329.17	12962.47
NSKFDC/ NSTFDC	1.92	2.17
NHB	230.53	421.99
NBCFDC	6.19	5.51
TOTALREFINANCE	5567.81	13392.14
OD on Term Deposits from SBI	889.16	2549.18
RBI (MSF)		672.00
Total Borrowings	6456.97	16613.32

Assets

Investments:

In view of Amalgamation, Investment portfolio of the Bank increased from Rs.2383 Crore as on 31.03.2024 to Rs.5445.25 as on 31.03.2025.

TERM Deposits with other Banks:

Term deposits with other banks increased to Rs 9085.85 crore as on 31.03.2025 from the previous year's level of Rs 5344.66 crore.

Investment Policy:

The Investment Policy of the bank was formulated and the same was reviewed, revised, and approved by the Board from time to time, conforming to the RBI guidelines.

SLR Investments:

In terms of Section 24 of BR Act, 1949, the Bank has maintained investments in the avenues laid down in the policy, to fulfill the SLR requirements. All SLR investments are made in GOI/State Govt. Securities only. The purchase and sale of Govt. Securities are undertaken by the Portfolio Management Services Department of State Bank of India.

Non-SLR Investments:

Non-SLR investments are invested in Mutual Funds and Bonds. The bank has been monitoring and following up for prompt receipt of interest due from Govt. Securities/Bonds. There was no instance of income leakage from the Non-SLR investment portfolio.

CRR and SLR:

The bank has complied with the regulatory requirement of maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well-laid down system of assessing the CRR and SLR requirements taking into account the NDTL. There was no default in maintenance of adequate balances during the year. The Bank has kept Rs 1423 crore in CRR and Rs 5585.52 crore (which includes SLR Investments, Cash on Hand, and net Balances in Current A/Cs) in SLR as on 31.03.2025.

III. Credit Portfolio:

In view of Amalgamation of Telangana part of APGVB with TGB, the Bank's Gross Advances stood at Rs.41518.28 Crore (Rs.40647.80 Crore Net advances) as on 31.03.2025 as against Rs.14840.69 Crore as against 31.03.2024.

Credit to Agriculture:

During the year, disbursement under farm sector reached a level of Rs 18660.90 crore as against the level of Rs 6617.12 crore during the previous year. Total number of bank's borrowers in agriculture is 14,75,659. More than 80% of the credit to SHG finance is also towards agricultural operations.

Crop Loans under Revised Kisan Credit Card System:

As per the directions of Government of India and NABARD, we have implemented the revised Kisan Credit Card System for crop loan borrowers from Kharif 2012. We have issued 1330351 Kisan Credit Cards as on 31.03.2025 with an outstanding credit of Rs 13890.36 crore as against the previous year level of 530813 Kisan Credit Cards for Rs 5593.94 crore. During the year 2024-25, we have disbursed an amount of Rs 9879.04 crore to 987781 KCC card holders as against Rs 4337.06 crore to 417382 card holders of the previous year.

Self Help Groups:

Bank's outstanding SHG portfolio stands at 171154 Accounts with an amount of Rs 10857.88 crore as on 31.03.2025. During this FY, Bank has disbursed an amount to the tune of Rs 10795.97 crore to 108775 SHG Groups during the year.

National Rural Livelihood Mission (NRLM)– Aajeevika – Interest Subvention Scheme:

Under NRLM, all Rural Women SHGs in all districts have been extended credit at 7% rate of interest up to the limit of Rs. 3.00 Lakhs and 10% rate of interest for the limits between Rs. 3.00 Lakhs to Rs. 5.00 Lakhs.

Priority Sector Lending:

The bank's priority sector lending constitutes 90.00% of total advances as against the previous year's 79.60%. In absolute terms, total priority sector lending stood at Rs 28817.99 crore as on 31.03.2025 as against Rs 11395.61 crore as on 31.03.2024. Loans to weaker sections stood at Rs 23301.97 crore, which forms 36.50% of total lending.

Participation in State Credit Plans

The Bank's participation in State Credit Plans is as under:

(Amount in Crore)

Sl. No.	Particulars	2024 - 25	
		Target	Achievement
1	Crop Loans	18999.80	9879.10
2	Total Agr. & allied activities	7500.48	8781.79
3	Non-Farm Sector	3343.09	1893.26
4	Other Priority Sector	436.86	985.41
	Total Priority Sector	30280.23	21539.56
5	NonPriority Sector	2175.50	8044.80
	Total Loans Disbursed	32455.73	29584.36



Loans Disbursed During the Year:

During the year, Bank has disbursed an amount of Rs 29584.36 crore against the previous year disbursements of Rs 11064.01 crore. Of which, Priority sector disbursements stood at Rs 21539.56 crore against the previous year disbursement of Rs 7593 crore, contributing 72.81% and 68.63% of total disbursals respectively.

Retail Lending:

The amalgamation has created significant synergies between the two banks, enabling the enlarged entity to leverage combined strengths in systems, processes, and customer outreach. These synergies have translated into strong traction in retail lending, with notable growth across housing, vehicle, education, and personal loans. The momentum achieved in these segments reflects the benefits of integration, improved operational efficiency, and enhanced customer engagement arising from the amalgamation. The performance in Retail and MSME segment is as under:

(Amount in Crore)

S.No.	Segment	O/sas on 31.03.2024		O/sas on 31.03.2025	
		No. of A/cs	Amount	No. of A/cs	Amount
1	Housing Loans	11414	2023.12	33887	6507.67
2	Mortgage Loans	1053	126.61	2780	311.51
3	Education Loans	276	17.49	1092	103.41
4	Demand Loans	11365	189.57	14462	308.23
5	NFS-Term Loan/ MSME	79083	1049.48	258858	2878.79
6	Personal Loans	8511	527.55	21510	1462.02
7	Personal Gold Loans	165234	1672.46	577339	6791.12
	Total	276936	5606.28	909928	18362.75

Loans & Advances:

(Amount in crore)

Sl. No	Segment	31st March 2024		31st March 2025	
		No. of accounts	Amount outstanding	No. of accounts	Amount outstanding
	A) Farm-sector				
1.	Crop loans	530813	5593.95	1330351	13890.36
2.	Agricultural term loans	6335	20792.61	10447	437.79
3.	SHG	59284	342169.02	134861	8809.26
	Total farm sector	596432	9223.56	1475659	23137.41
	B) Non-Farm sector				
4.	GCC	16	0.03	04	0.01
5.	Termloans(Business)	35583	907.18	81335	2419.22
6.	Housing loan	8700	1106.98	22503	2760.38
7.	Cash Credits	43484	142.27	177519	459.56
8.	Education loan	261	15.59	861	50.41
	Total non-farm (priority)	88044	2172.05	282222	5689.59
	Total priority sector	684476	11395.61	1757881	28826.99
	C) Non priority				
9.	Gold loans	165234	1672.46	577339	6791.12
10.	Demand loans+CK+Staff Loans+HL*(NP)+EL*(NP)+TL*(NP)	23658	1761.77	50367	5882.03
11.	Others	358	10.86	558	18.13
	Total Non priority	189250	3445.09	628264	12691.29
	Grand Total (A+B+C)	873726	14840.69	2386145	41518.28



Drone loan of MS Inavole FPO for an amount of Rs.6,48,000



Harvester Loan sanctioned to Sri. P Devendar Rao Rs.29,00,000 by our Sangem Branch, Warangal RBO



Financing of Powerlooms unit by our Sircilla Branch , Jagtial RBO



Financing of Annapurna Millets Food Unit by our Mancherial Branch , Mancherial RBO



Financing of Harvesters by our Zaheerabad Branch, Sanga Reddy RBO

Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE):

Our bank is a member of CGTMSE and avails the Credit Guarantee cover for loans under MSME. MSME sector loans, including retail trade advances and Small Road and Transport loans, are eligible for guarantee cover of CGTMSE up to a limit of Rs. 200.00 lakhs, as per the directions of Reserve Bank of India.

The details of the loan accounts covered under CGTMSE/CGFMU scheme so far are as under:

(Amount in Lakhs)

Name of Credit Guarantee	During the year 2024-25		Cumulative	
	No. of A/cs	Amount Rs.	No. of A/cs	Amount
CGTMSE	6038	2729.14	11060	4207.09
CGFMU	100129	468061.85	203867	836006.51

Asset Quality – Management of Non-Performing Assets:

Bank has made considerable efforts to curtail NPA, which now stands at Rs 870.48 crore (Gross) — 2.10% of total advances at the end of the current financial year, as against 1.78% of total advances at the end of the previous financial year.

Net NPA is now zero, against 0.00% as on 31.03.2024. The Bank adopted a focused approach and implemented suitable strategies to control NPAs.

The Non-Performing Assets are at Rs 870.48 crore as on 31.03.2025 as against Rs 264.68 crore as on 31.03.2024.

SARFAESI Act and Suit Filing:

Notices under the SARFAESI Act were issued immediately after the account became NPA. This was monitored by the Regional Business Offices and Head Office at monthly intervals. Our actions in this regard have yielded good results. We have taken demonstrative actions, particularly under SARFAESI.

One desk officer has been posted at all Regions exclusively for the purpose of monitoring NPAs. This officer ensures timely initiation of actions under SARFAESI, Suit Filed, Vehicle Seizure, and also focuses on the closure of Suit Filed cases, AUCA recovery, etc.

Special focus was given to the recovery of recalled

debts and suit filed accounts. Meetings with advocates were conducted in all regions to expedite the disposal of suits.

Performance under SARFAESI is as below:

Particulars	No. of A/Cs	Amount in Crores
Total SARFAESI initiated	622	92.80
Regularized	516	79.01
Balance at the end of the year	106	13.79
Out of above		
Demand Notices issued	27	2.61
Possession notices issued	63	8.56
Possession taken	16	2.62

Performance under Suit-filed cases is as below:

Particulars	No. of A/Cs	Amount (Crores)
Suit filed	1154	36.17
Decreed	556	17.76
EP filed	114	5.58
Recovery after filing suits	205	6.02

The following strategies were adopted to reduce / contain the NPAs:

1. One desk officer has been posted at each region exclusively for the purpose of monitoring NPAs. They ensure initiation of action under SARFAESI, Suit Filed, Vehicle Seizure, etc., and also work on closure of suit filed cases, AUCA recovery, etc.
2. NPAs of Rs. 5.00 lakh and above are being monitored by the concerned General Managers.
3. A review mechanism has been put in place. Regular review meetings are being conducted for Senior Managers (Business) and Regional Managers.
4. Wide publicity was given highlighting the benefits of timely renewal of crop loans—such as enhanced scales of finance, crop insurance facility, interest subvention incentive from GoI, and Vaddi Leni Runalu and other Government Sponsored Schemes—by arranging meetings and



displaying wall posters, banners, etc., at the villages.

5. Top management has conducted periodical video conferences at frequent intervals with Regional Managers, Senior Managers (Business), Recovery Officers, and Branch Managers to monitor and reduce NPAs.
6. Five to six clusters in each region have been formed, comprising officials with a good track record, for capacity building and reduction of NPAs.

Conducted monthly auctions of gold ornaments pertaining to Personal Gold Loans that became overdue.

Asset Classification:

Assets	2024-25	
	Outstanding	%
Standard	40647.80	97.90
Sub-Standard	308.66	0.74
Bad & Doubtful	558.01	1.34
Loss	3.81	0.01
Total NPAs	870.48	2.10
Total	41518.28	100.00

IV. Internal Control System, Audit & Inspection:

All activities of the Bank are subjected to the Internal Audit function, which comprises different types of audits:

Risk Focused Internal Audit (RFIA):

The Risk Focused Internal Audit Report System has been implemented in the Bank since October 2011, as suggested by our Sponsor Bank, i.e., State Bank of India.

For further strengthening of the audit system, a new format of RFIA has been introduced in the Bank with effect from 08.12.2017, as per the advice of our Sponsor Bank, with the following rating system and parameter-wise marks.

Revised Rating	Range of Marks
Well Controlled - A+	>=850
Adequately Controlled - A	>=700 and <850
Moderately Controlled - B	>=600 and <700
Unsatisfactorily Controlled - C	<600

The marks allotted under each parameter have also been revised as under:

S. No	Parameter	Revised Format Marks
1	Business Development	100
2	Credit Risk Management	450
3	Operational Risk Management	410
4	External Compliance	30
5	Self-Audit	10

The revised reporting format of Risk Focused Internal Audit (RFIA) was implemented during the same FY2017 year, in incorporating IS&IT Risk scrutiny in it.

Branches with 'Well Controlled - A+' and 'Adequately Controlled - A' ratings are audited within 18 months from the previous audit date while the Branches with 'Moderately Controlled - B' and 'Unsatisfactorily Controlled - C' rated branches are audited within a year (12 month).

During this FY 2024-25, we have completed audit of 537(including AMHs) branches which have fallen due for Audit. Ratings awarded to these branches are given as under:

The Rating given to 537(AMHs & branches) audited during the FY 2024-25	
Well Controlled - A+	358
Adequately Controlled - A	178
Moderately Controlled - B	01
Unsatisfactorily Controlled - C	0
No Rating to service branch	0
Total	537

All the reports submitted by the Auditors have been closed / dealt with by taking corrective measures, wherever necessary. The Audit department has carried out its operations with fairness and without prejudice for strengthening the systems and procedures in the Bank.

Concurrent Audit:

As apart of internal control system in our Bank and as per the policy guidelines issued by NABARD, Concurrent Audit has been introduced from the financial year 2012-13. At present, the Concurrent Audit is being conducted at 343 branches and 58

HUBs by twenty seven(63) Auditors. We have empanelled retired Bank officials to cover atleast 50% of the credit and other exposures of the Bank under Concurrent Audit System in compliance with the guidelines issued by RBI.

The Scope of Concurrent Audit is designed to cover ORM & CRM areas like,

- (a) Handling of cash.
- (b) Safe custody of securities.
- (c) Exercise of discretionary powers.
- (d) Sundry and suspense accounts.
- (e) Clearing differences.
- (f) Off balance sheet items, security aspects, verification of Assets Quality, Compliance of NABARD/ RBI guidelines etc.

Apart from this, the following audits have also been carried out to enhance the efficiency levels:

Compliance Audit:

10% of the RFIA branches for the previous FY shall be covered under Compliance Audit. However, we have conducted Compliance Audit at 380(68.96%) branches during this FY 2024-25 as per the schedule.

WBCAS (Web Based Concurrent Audit System):

In order to have an effective monitoring and functioning of Concurrent Audit System across all the identified units, an Online Web based Concurrent Audit system was rolled out in the Bank on 07.10.2023, which has since been stabilized and is being used by the Concurrent Auditors on an ongoing basis.

As on 31.03.2025, concurrent audit is being conducted by 63 Concurrent Auditors (CAs) at 343 branches through the online WBCAS application covering 61.29 % of the total business which is above the 50% norms prescribed by RBI.

OTMS (Offline Transaction Monitoring System)

In order to avert frauds / minimize losses, OTMS (OFFSITE TRANSACTION MONITORING SYSTEM) application was implemented in our Bank from 12.02.2024. OTMS alerts are issued for deviant / suspicious transactions / exceptions which are to be attended by branches / RBOs, on an ongoing basis.

Bank has identified 34 exceptions from the list of exceptions forwarded by A & S dept, SBI, CC, Mumbai. Out of these 34 exceptions, 7 exceptions

are generated daily, 18 exceptions weekly, one (1) exception fortnightly and 8 exceptions monthly.

These exceptions are being followed up by the RBOs with their respective branches for rectification / closure on a day-to-day basis. Audit department, HO monitors with the RBO's / branches, for closure / rectification of the pending OTMS alerts on an ongoing basis.

Audit Committee of the Board:

It is the sub-committee of the Board which ensures quality and effectiveness of Internal Audit & Inspection and overseeing the financial reporting, disclosures, compliance and risk management in the Bank. The Audit Committee, constituted with two nominee directors from SBI and nominee directors of RBI, NABARD as members. The senior most Director of the Board will be the Chairman of the Audit Committee and this could be done by rotation annually. The committee meets at quarterly intervals or more frequently, if circumstances warrant, and reviews the following areas.

- Status of conducting of different types of Audits and their compliance.
- Common irregularities observed in (a) Risk Focused Internal Audits (b) Snap Audit Reports (c) Concurrent audit. etc.,
- Audit of Regional Business Offices, other Departments at Head office.
- Special Audits conducted, if any during the year.
- Review and follow-up action on the Internal Audit Reports, particularly of "Unsatisfactory" branches and large/ Critical branches and also on Concurrent Audit observations.
- Follow-up action on irregularities pointed out by Internal Auditors particularly at large branches in RFIA and Concurrent Audit Reports.
- Branches where audit rating has been down graded.
- Compliance submitted for NABARD inspection Report, Statutory Audit Report, Management Audit, RFIA, Snap Audit reports and Concurrent Audit Reports.
- Fixing accountability for unsatisfactory compliance of Audit reports, delay in compliance and non-rectification of deficiencies / irregularities.

- Review on omissions by the Internal Inspecting Officials/ Concurrent Auditors to detect serious irregularities which were identified later.
- Periodical review of the accounting policies/ systems controls in the Bank in order to ensure greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting controls to mitigate the risks faced or likely to be faced by the Bank.
- Financial position – BalanceSheet and Profit & Loss Account statement & disclosures.
- Position of housekeeping and reconciliation of Inter Office reconciliation (BCGA) and outstanding entries etc.,
- Certification of holdings securities which are reported to RBI every quarter by Concurrent Auditor.
- Status of frauds detected/ reported to NABARD/ RBI and their compliance.

Audit of other Administrative Units

Management Audit

The Management Audit of our Bank is conducted by our Sponsor Bank, i.e., SBI. The latest Management Audit was conducted on 15.07.2024 and has been rated as "A-" rating with 72.34. We have submitted our compliance to the Management Audit Report within the prescribed timelines.

NABARD Inspection

NABARD Inspection is conducted under Section 35(6) of the Banking Regulation Act 1949. The last inspection was conducted on the financial position of the Bank as on 31.03.2024 and the compliance rating awarded is "A" with 76.59 marks. Supervisory rating is yet to receive.

Statutory Audit

As per Sub Sec (1) of Sec.19 of RRB Act, 1976, the Bank is required to appoint auditors for conducting Statutory Audit of its accounts, with the approval of Government of India.

Accordingly, M/s. UMAMAHESWARA RAO & Co has been appointed as Statutory Central Auditors for the year 2024-25.

As per the guidelines communicated by NABARD vide its Ref.No. NB. IDD. RRB-Policy/ 10313/ 323-C/2025-26 dated 17.04.2025, 601 branches and Head Office were audited by Statutory Auditors

who had expressed their satisfaction in overall maintenance of books of accounts by our Bank.

V. Financial Inclusion

In view of the amalgamation of Telangana part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank into Telangana Grameena Bank with effect from 01.01.2025, the levels reflected in the below areas are not directly comparable with those of the previous financial year.

PERFORMANCE UNDER VARIOUS FINANCIAL INCLUSION PLAN (FIP) INITIATIVES AS ON 31.03.2025 IS AS UNDER:

FIP initiative	Position as on 31.03.2024	Position as on 31.03.2025
PMJDY accounts (No.)	17,33,559	33,38,373
SB-FI accounts opened (No.)	2,61,456	3,94,305
Rupay Debit cum ATM cards activated (No.)	1,65,515	5,43,960
Amount outstanding in SB-FI accounts (Rs. In lacs)	4181.16	3622.11
RuPay- KCC cards issued (No.)	3,83,008	14,26,570
Financial literacy awareness meetings by branches in FY 2024-25 (In addition to the meeting conducted by FLCs)	5,628	7,427
RBI Camps – Financial Literacy Week	427	933
PMJJBY – Insurance enrolments (Active)	4,70,187	15,20,493
PMSBY – Insurance enrollments (Active)	8,77,413	31,88,994
APY – Enrollments – During FY 2024-25	51,142	92,989
APY enrollments (Cumulative)	2,10,959	4,88,889

The Government initiated the National Mission for Financial Inclusion (NMFI), to provide universal banking services for every unbanked household, based on the guiding principles of banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded and serving un served and under served are as especially the poor and the underprivileged.

The bank is actively implementing the Financial Inclusion Plan (FIP) of Government of India. 3930



unbanked villages of 33 districts in Telangana state are covered under FIP of the bank with the help of 2290 Customer Service Points (CSPs). 2290 CSPs are providing banking services in remote and unbanked villages with the help of Micro-ATMs.

Services available at CSPs

1. Account opening (SB/RD/TDR),
2. Financial transactions,
3. Direct Benefit Transfers,
4. NPA/AUCA recovery,
5. Social Security Schemes i.e. APY, PMJJBY and PMSBY
6. Lead Generation of SBI Life/ SBI General/ Loans.



Our CSPs are provided with adequate training to render uninterrupted and quality service to the customers. 1266 CSPs have passed BC certification examination. 173 CSPs are DRA (Debt Recovery Agent) certified.

Women CSPs:

There are 1200 women CSPs who constitute 52.40% of total CSPs. Our Bank has a policy in place to appoint women SHG member as CSP.

Financial Literacy Programs

Branches are conducting Financial and Digital Literacy Camps to propagate Financial Literacy, Digital Banking products and to highlight the role of CSPs. During the F.Y. 2024-25, 5890 FDLC meetings were conducted by the bank with grant support from NABARD.

Grant assistance received from NABARD for FDLC:

Sl. No.	Period	No. of Programs to be conducted	Total Programs conducted	Grant Assistance Received (in Rs.)
1	01.09.2024 - 31.12.2024	350	349	Rs.19,57,639

We have completed 100% Financial Digital Literacy camps during the FY 2024-25 per the schedule given by NABARD.



(Mothiramguda Village, Shampur Branch, Adilabad Region)



(LalShow Guda, Thadihathnur Branch, Adilabad Region)



(Ayyavariguda mandal, Yacharam Branch, Hyderabad-I Region)



(Raikal Mandal, Allipur Branch, Jagtial Region)

Further, Financial Literacy Counselors (11) have conducted 1537 Financial Literacy Awareness camps against the target of 924 during the FY' 2024-25



(Financial Literacy Counselors conducted the Financial Literacy camps in rural villages)



Financial Literacy Week (FLW) 2025:

Financial Literacy - Women's Prosperity: An RBI Initiative

Our Bank Conducted Financial Literacy Week (FLW) in 933 villages from 24.02.2025 to 28.02.2025 with three Objectives, Viz.

- A. Financial Planning
- B. Saving and risk management
- C. Availing credit for growth



Shri D.Ramesh (General Manager-II), Shri K V Krishna Sarma (General Manager-V) and TGB Staff have participated along with other bankers in Financial Literacy Week 2025 - 2K Walkathon, initiated by Reserve Bank of India.

PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dan Yojana):

Pradhan Mantri Jandhan Yojana (PMJDY) is a Financial Inclusion scheme launched by the Government in 2014 to bring more people into the financial system and avail financial services. PMJDY aims to help weaker sections of society to get access to financial products like bank accounts, remittances, credit services, pension and insurance at an affordable cost.

JanDhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity has transformed the whole concept of financial inclusion; this helped in plugging the holes in DBT to the eligible citizens only.

Social Security Schemes:

Central Government launched the Social Security Schemes PMJJBY, PMSBY and APY to provide insurance and Pension to the poor and under privileged at an affordable cost. Our bank took an

active part in the social cause by providing insurance and pension schemes to our customers, as well.

PMJJBY - This policy covers natural and accidental deaths. The age at entry is 18 to 50 years only and continues up to 55 years, on renewal. The coverage of Policy is Rs.2,00,000/- against premium of Rs.436/- per annum with auto renewal facility (subject to the availability of balance in the account).

PMSBY - This policy covers accidental death and permanent (Partial and Full) disability. The age at entry is 18 to 70 years. The coverage of Policy is Rs.2,00,000/- against premium of Rs.20/- per annum with auto renewal facility (subject to the availability of balance in the account).

APY- Any Indian citizen within the age group of 18-40 years, can join APY scheme irrespective of his/her employment status except income taxpayers

Progress of Social Security Schemes report for the FY 2024-25:

Product	Target for FY 2024-25	Achievement for FY 2024-25	Achievement (%)	Cumulative Enrolments
APY 	82980	92989	112.06%	4,88,889
PMJJBY 	301263	384769	127.71%	15,20,493
PMSBY 	436076	555752	127.44%	31,88,994
PMJDY 	359580	378902	105.37%	33,38,373

TGB INTERNAL CAMPAIGNS:

Launched TGB internal campaigns during the FY 2024-25 to achieve the targets

1. APY TGB Trend setters Campaign - Coverage of all eligible customers under APY
2. Sab Ka Suraksha Campaign - Coverage of SSS for KCC borrowers and SHG members
3. PMJDY Leadership campaign - Inter Region competition to achieve Annual budgets of PMJDY accounts
4. Jansuraksha League - Inter Region competition to achieve Annual budgets of SSS

Aadhaar Enrolment Centers:

We have 93 Aadhaar enrolment centers to provide the Aadhaar enrolment/ update services.

Green Channel Counter (Micro ATM at branches):

There are 933 Micro ATMs deployed at branches.

Advantages of Green Channel Counter:

To Customers	To Branches
- Freedom from writing vouchers - Freedom from Delays - Quick and efficient service - Freedom from dependency on others (especially illiterate customers) - Freedom of options - AEPS or Debit card	- Freedom from partially filled/erroneous vouchers - Freedom from signature verification - Freedom from authorizing vouchers - Freedom from VVR checking - Freedom from stationery expenditure

Mobile ATM Vans:

12 ATM Mobile vans are deployed in 2019 & 2020 with the grant assistance from NABARD for demonstrating Banking technologies and to extend Banking services at the door step of the customers. The Mobile ATM vans are plying in our bank's area of operation, providing ATM facility in rural areas and to spread awareness on financial literacy and digital banking products.

Community based Activities – A Govt of India Initiative:

- ❖ Swachhata Hi Seva 4.0 Campaign: Creating awareness and importance of cleanliness for living a healthy life in rural areas. These programmes are conducted from 02.10.2024 to 31.10.2024
- ❖ Branches have conducted many Cleanliness drives at Gram Panchayat premises, Railway Stations, Schools, public roads, Sports Stadium and avenue plantation etc.
- ❖ Conducted 15 Nukkad Natak programmes in remote villages to create awareness on importance of cleanliness.



- ❖ Disposal of all the old records at branches as per our bank's record retention policy.
- ❖ Activated 20931 dormant PMJDY accounts during the period.



Mobile ATM Van Flag hosting during digital payment awareness week at the RBI Office Hyderabad

- ❖ Pension grievances redressal meetings were conducted during the campaign period.
- ❖ Plantation of trees & plants by staff at the Branches.



Staff conducting cleanliness drive & Swachhata pledge

Digital Payments awareness Week (DPAW) 2025- RBI Initiative:

Reserve Bank of India has been observing the Digital Payment Awareness Week (DPAW) since 2021 to promote awareness among various sections of the people across the country on the use of Digital Payments through a focused campaign. We have conducted this campaign by using our Mobile ATM vans and conducted e-BAAT (Electronic Banking and Awareness Training) programmes from 10.03.2025 to 15.03.2025.

AWARDS:

- 1. PFRDA : Our Bank qualified 13 campaigns conducted by APY PFRDA during the FY 2024-25.
- APY Winning Wednesday campaigns for June 2024 to February 2025 – 9 Awards (Wondrous Warriors of Winning Wednesday)
- APY Retirement Revolutionaries campaign for Regional Heads/ Nodal Officer from 05.08.2024 to 30.09.2024 – Visionary Revolutionary
- APY Mega Excellence campaign for Chairperson of RRBs from 05.06.2024 to 30.09.2024 – Par Excellence Milestone
- APY Ultimate Champions Cup campaign for Bank from 07.11.2024 to 17.11.2024 – Bronze Award
- APY Annual Award campaign for APY Service Provider (TGB) from 01.04.2024 to 31.03.2025 – APY Award of Excellence Achiever



Bank Chairman Smt. Y.Sobha receiving APY Award



Bank's GM Shri T. Sudhakar receiving award in Telangana AIF Conclave



VI. I.T. Initiatives

We furnish here under the IT developments in our bank for the FY 2024-25.

a. Merger of eAPGVB (TG) region 493 branches with TGB w.e.f. 01.01.2025:

1. We have migrated financial and Non-financial data of all 48 lakh Customers.
2. We have migrated eAPGVB CBS products to TGB CBS and mapping of corresponding General Ledgers.
3. Arranged 7.5 lakh new ATM cards at branches by 01.01.2025 for distributing to active ATM card users in erstwhile APGVB Bank.
4. Ensured smooth functioning of all Digital Products viz Mobile Banking, Internet Banking, UPI, AEPS etc. from 01.01.2025.
5. Migrated IP Addresses and Active Directory Services of all the systems to TGB Domain.

b. New I.T. Initiatives implemented in co-ordination with Service Provide M/s C Edge

1. Centralized Payment Systems

Our bank previously participated in NEFT/RTGS settlements as a sub-member of SBI, using a single IFSC Code (SBINORRDCGB) for the entire bank until January 15, 2025.

RBI has made our bank live as an RTGS direct member on January 16, 2025 and as a NEFT direct member on January 25, 2025. Individual IFS Codes have been allotted to each branch.

2. BBPS (Bharat Bill Payment System)

Bharat Bill Payment System (BBPS) has now been integrated into our Mobile Banking Application and Internet Banking Platform. A unified platform that offers a convenient, secure, and seamless bill payment experience. With this integration, customers can pay various bills directly from their mobile or desktop, anytime and anywhere.

3. RuPay Contactless Debit Cards

Our Contactless Debit Cards allow secure, tap-and-go payments at POS terminals, reducing the need for PIN entry or card swiping.

4. UPI Lite - Customers can perform low-value transactions without PIN entry, offering speed and convenience for everyday use.

5. WhatsApp Banking – Customers can Access key banking services via WhatsApp. Customers can Save 9278031313 and send “Hi” from their registered mobile number to get started.

6. Fraud Risk Management (FRM) - Implemented as a proactive fraud prevention system for Digital transactions. For concerns, customers can contact toll-free: 1800 532 7444, 1800 123 6230, 1800 833 1004.

7. SD-WAN implementation

We have implemented the SD-WAN installation at all branches and locations, which has enhanced network security and performance. This implementation ensures seamless connectivity, improved network availability. It also provides centralized control, enabling efficient network management and quicker resolution of connectivity issues.

We have implemented the SD-WAN installation at all branches and locations, which has enhanced network security and performance. This implementation ensures seamless connectivity, improved network availability. It also provides centralized control, enabling efficient network management and quicker resolution of connectivity issues.

8. Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE)

Our bank has on-boarded on to BASE. BASE is a platform launched by NPCI to facilitate Aadhaar seeding and de-seeding activities for Direct Benefit Transfer in a self-service mode for individual customers.

C. I.T. Initiatives developed In-house during FY 2024-25

1. TIA Chatbot

Telangana Grameena Bank Interactive Assistant (TIA) Chabot.

- ◆ It is developed and integrated into our website to efficiently address customer queries.
- ◆ It enables users to access various banking services in an interactive, user-friendly manner.
- ◆ The Chabot is designed to enhance customer experience by providing instant support and guidance across a wide range of banking services including Deposit



Schemes, SSS Schemes, Digital Banking, Loan Details and ATM Cards etc.

2. High-Value RTGS Submission Portal

- ◆ A separate, secure portal created for branches to submit RTGS transactions of ₹20 lakhs and above.
- ◆ This helps in segregating high-value payments for quicker verification and clearance, improving control and reducing risks in large transactions.

3. Watermarking Solution for e-Circulars:

- ◆ Implementation of a digital watermarking system for e-circulars issued across the organization.
- ◆ This enhances the authenticity of documents, discourages tampering or misuse, and supports internal information security protocols.

4. GPS Coordinates Dashboard

- ◆ The GPS Coordinates Dashboard is designed to capture and manage latitude and longitude details of all branches.
- ◆ This enables accurate location tracking and supports mapping-based services and operational planning.

5. Hardware Inventory Dashboard

- ◆ Hardware inventory dashboard is developed to collect and display detailed hardware data from branches, Regional Business offices and Head Office.
- ◆ Enables centralized tracking of systems, devices, and assets across all locations.

6. NAC Switches Status Dashboard

- ◆ The NAC Implementation Status Dashboard is developed to know real-time updates on whether NAC switches are received at branches/offices and track their respective port details.
- ◆ It displays consolidated summaries at branch, regional (RO), and bank-wide levels to aid monitoring and planning.

7. Internet Connections Dashboard

The Internet Connections Dashboard is developed to record and track the number of internet

connections, their bandwidth, and associated payment details all over the bank.

8. Easy Approval

Intranet Web application for uploading and approving non-financial note anytime, anywhere to eliminate paper usage which results in fast and seamless approval.

9. Point of Contact assistance in TGB Talk

- ◆ Whenever the staff types "RESET" keyword, the list of Point of Contacts will pop-up automatically.
- ◆ New feature in Toogle to Report to TGB Talk is introduced. Staff can post any issue / comments about the page they are working in. This tool will track the page automatically and posts the complaints to TGB Talk.

10. National Automated Clearing House(NACH) Dashboard

- ◆ NPCI Acknowledgement files are being uploaded to the portal to track the mandate status. (Success or Failure).
- ◆ Mandate Present Status (Present or Not Present) are being tracked.
- ◆ Mandate Cancellation requests can be raised from the portal.
- ◆ Mandate/Account Status of all EMIs, Transaction details and Customer details can be fetched.

11. KCC ISS - Claim Submission

- ◆ Consolidation and Uploading KCC Data to the ISS Portal via API Integration.
- ◆ The process involves the systematic consolidation of Kisan Credit Card (KCC) data from various branches and systems, followed by automated uploading to the Fasal RIN (KCC-ISS) portal through a secure API interface.
- ◆ This integration ensures accuracy, consistency, and timeliness in regulatory reporting, reduces manual intervention, and enhances data reliability.

The API-based upload facilitates seamless communication between internal banking systems and the ISS portal, enabling real-time updation of data to KCCISS Portal.



12. Security Monitoring Portal – CGTMSE & CGFMU Accounts

- ◆ A security-centric portal offering a consolidated view of accounts covered under credit guarantee schemes like CGTMSE and CGFMU.
- ◆ The portal also includes a module to submit required documentation and apply for CGTMSE coverage, helping reduce branch-level paperwork and turnaround time.

13. AMH Chairman Ranking

- ◆ A performance ranking system for AMHs based on key parameters such as month-on-month budget achievements, lead sourcing through branches and turnaround time (TAT) etc.
- ◆ The dashboard offers a transparent and data-driven view of individual and comparative performance.
- ◆ This fosters healthy competition among AMHs and encourages consistent goal-oriented execution.

14. AMH Inward Tracking

- ◆ AMH dashboard designed to capture customer leads and route them to the AMH from branch for timely approval and disbursement.
- ◆ It tracks the progress of each lead through various stages—Lead initiation, Processing, and closure. This ensures accountability, improves lead management efficiency, and enhances customer acquisition efforts.

15. Gold Loan Documentation

Appraisal Report, calculation of processing charge, custody charge and appraisal charge and incorporating in the Sanction Advice, generation of Gold Loan slip - 2 copies (customer copy and Bank copy).

16. Paddy Credits Dashboard

- ◆ Paddy credits dashboard prepared to display the list of accounts where the amount has been credited to farmers through DBT.
- ◆ This data has been used for branches for purposes like alerting respective customers to withdraw amount, Recover any Dues etc.

- ◆ Branch wise and Region Wise data has been displayed along with date of credit.

17. Rythu Bharosa Dashboard

- ◆ Rythu Bharosa Credits released by the Government to farmer accounts through DBT.
- ◆ This data is displayed in the dashboard for the branches to disburse the credited amount to customer.
- ◆ Branch wise and Region Wise data has been displayed along with date of credit.

18. Debt waiver Dashboard

- ◆ This dashboard is designed to provide a comprehensive view of the debt waiver received in the financial year 2024-25.
- ◆ It captures key metrics such as the number of beneficiaries; total waiver amount received, disbursement status, branch-wise and region-wise totals/ summaries.

19. Loan Origination System (LOS) Dashboard

- ◆ A monitoring tool to track the status of loan applications and accounts originating through the LOS.
- ◆ The dashboard provides region-wise breakdowns of approvals, pendency, and rejection statuses, enabling targeted intervention to improve loan processing efficiency.

20. PM VISVAKARMA Dashboard

- ◆ Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana (PMVY) is a Central Sector Scheme aiming to support and empower traditional artisans and craftspeople engaged in 18 specified trades.
- ◆ Portal is made for branches to feed Application number, Disburse Remarks etc for the applications. Useful for tracking the progress in Region wise, Branch wise.

21. VISVAS Dashboard

- ◆ VISVAS- Scheme aims to provide the interest subvention to OBC/SC Self Help Groups or individuals.
- ◆ Dashboard helps Head Office and Branches to collect data for the eligible customers which is submitted to Web Portal. Upon



submission, subsidy will be credited to accounts of the customers directly.

22. Viability Plan:

Bank is submitting viability plan return every month. In view of this, we have automated viability Plan data Dashboard for monthly return. This includes following data segments

- P & L Validation
- Advances
- CASA
- Risk and NPA
- Digital Channels
- Financial Inclusion

23. LCPC Portal for AOF Processing – LCPC Nalgonda (eAPGVV)

- ◆ A centralized portal developed to streamline the processing of Account Opening Forms (AOFs) at the LCPC Nalgonda center.
- ◆ This system ensures standardized data capture, verification workflows, and status tracking across all AOF submissions received from branches within the eAPGVV network.

24. Performance Review Dashboard

An analytical dashboard designed to present region-wise performance data for various products and customer segments. These include

- Deposits,
 - a) CASA
 - b) Total Deposits
- Advances
 - a) Agri
 - b) MSME
 - c) Personal
 - d) Staff
 - e) Others

25. Customer Risk Category Dashboard

- ◆ RBI is monitoring re-KYC regularly for all category (Low, Medium & High) of customers.
- ◆ In view of this, we have prepared Re-KYC Dashboard for monitoring customers KYC pending date respective of their category.

- ◆ With the help of dashboard Branches are following up with customers to update their KYC within time in compliance with RBI.

26. Aadhaar DBT Portal:

- ◆ The Aadhaar DBT Portal allows Service Branch users to upload ZIP files to generate Aadhaar DBT summaries ACH- and APB-wise.
- ◆ It also provides daily and monthly summaries, along with a facility to search individual account details for effective tracking and reconciliation.

27. CIF De-Duplication Dashboard

- ◆ Bank has many customers having different CIF with same Aadhaar number.
- ◆ We have developed De-duplication Dashboard based on Aadhaar card Number and displaying Branches duplicate customers.
- ◆ Branches are unifying such customers in compliance with RBI.

28. CKYC Legal entity Dashboard

For monitoring CKYC legal entity data as per RBI monthly return, we have developed dashboard to get current status of C-KYC legal entity.

29. SBI General Health Policy Dashboard

Tracking Dashboard for SBI General Health Policies which are renewed and yet to be renewed for enabling branches to follow up.

30. BSR Return

BSR Returns (Basic Statistical Returns) are mandatory reports submitted by banks to the RBI, capturing detailed data on credit (BSR-1) and deposits (BSR-2). These two returns are automated and required format can be generated.

31. Cheque Book & Stationary Dashboard

Created Dashboard for following functionalities

- ◆ Cheque Book Tracking Details with AWB number after printing.
- ◆ Returned Cheque Book Particulars along with reasons
- ◆ Page for collecting the data of unused Cheque Books, BCs, DDs. Which is used for Disposal of the same.



32. Purchase Committee Automation

Application has been developed to streamline procurement processes for the Fixed assets Department.

- ◆ It provides a centralized platform to track all indents, tenders and related approvals efficiently.
- ◆ This initiative enhances transparency, accountability and ease of monitoring across all procurement activities.

33. Security Audit Dashboard

Tracking Dashboard for security audits done at branches along with their status by security officer.

34. NPA Monitoring Committee Online

- ◆ Non-Performing Asset (NPA) data is compiled and submitted regularly to the NPA Monitoring Committee to facilitate detailed analysis and informed decision-making.
- ◆ The report includes critical insights such as asset classification trends, account-wise and segment-wise NPA status, recovery performance and ageing analysis.
- ◆ This review process enables the committee to monitor the overall asset quality across the network, identify early warning signals, and guide branches in taking corrective and preventive actions.
- ◆ It also supports strategic planning for reducing the NPA burden and improving the bank's financial health.

35. OTS Portal

- ◆ A One-Time Settlement (OTS) Portal designed to facilitate loan settlements in line with guidelines.
- ◆ The portal offers a comprehensive, integrated platform that automates the calculation of actual, notional, and total losses based on the OTS amounts proposed.
- ◆ It streamlines the settlement process, ensures compliance, and enhances transparency in decision-making.

36. CC PNPA Accounts in NPA Dashboard

- ◆ A dashboard to monitor cash credit accounts that have reached their expiry

date.

- ◆ It helps branches identify and follow up on such accounts to ensure timely renewal or closure, reducing the risk of irregularities.

37. Movement of NPA

- ◆ A system is in place to monitor the daily movement of Non-Performing Assets (NPAs), capturing both additions (new accounts slipping into NPA) and reductions (recoveries, upgrades, or write-offs).
- ◆ This tracking mechanism provides a clear and timely picture of the net change in NPAs over a given period.

38. Gold Loan Expiry Accounts

- ◆ A dashboard designed to monitor gold loan accounts that are due to expire within the next 30 days.
- ◆ This tool enables branch teams to proactively follow up with customers for timely repayment, thereby minimizing the risk of accounts becoming overdue or slipping into Non-Performing Assets (NPA).

39. Pension Management System Enhancement

Implemented Ex-gratia component inclusion, DA Arrears calculation for superannuation and family pensioners since 1993 and migrated eAPGV Bdata of TG branches.

40. SLC Portal for Training Management – eAPGV B

- ◆ A dedicated platform to manage the lifecycle of training programs conducted at the Staff Learning Centre (SLC).
- ◆ The portal facilitates staff registration for training sessions, administers online/offline tests, and captures structured feedback post-training to improve future programs.

41. Developments in HRIS @TOOGLE:

- ◆ Letter of Undertaking: Online Submission of consent for not to deduct and remit Income Tax on Monetary Value of Perquisites paid by the Bank Online for the previous years (5 years).
- ◆ Nomination for Gratuity (Form F) under Gratuity Act 1972: All Employee to submit their Nominee details for linking it to Gratuity and other benefits.



- ◆ Digitalized NOC: Approval for Prior Permission to seek Outside Employment / Higher Studies.
- ◆ Online submission for consent to deduct 1 PL towards Voluntary Contribution to Chief Minister Relief Fund (CMRF) to support those affected by the floods in states of AP & TS during September 2025.
- ◆ Promotion module - Online application for internal promotions by eligible staffs and approval module for controllers to forward / recommend to HO.
- ◆ Monthly allowances - Washing allowance and cycle/2 wheeler allowances to Office Attendants is enabled since January, 2025.
- ◆ Staff Annual Appraisal Report: Online submission of forms such as Self-appraisal (Form-I), Performance Appraisal (Form-II), Reporting (Form-III, IV, V, VI), Reviewing (Form-VII) and Screening by 3 members.
- ◆ GTLI – Page for taking consent from staff for opting GTLI, Summary of GTLI is also displayed.
- ◆ Mandatory Learning Certificate- IBPS exam marks along with the certificate is provided for downloading.

42. RCSA

Portal Risk and Control Self Assessment has been implemented in TGB in lines with APGVB.

- ◆ Branches should feed inputs like Risk Owner, Control Owner, Control Frequency etc. for the predefined risk statements.
- ◆ Finally we can arrive at Overall Risk Index of Branch and Overall Health Index of Branch based on the inputs. Dash board can be used to monitor the pending branches and completed branches.

43. Locker Meedi- Bhadratha Maadi

This Dashboard facilitated the Branches with the Number of Lockers Let out and available lockers along with the Overdue Rental charges to be collected. During this campaign, branches need to furnish the lockers let out or closed and rent collected details.

44. APY Trend Setter

- ◆ Campaign for the enrolment of APY from the eligible customers.

- ◆ Campaign Period: 01-07-2024 to 30-09-2024.
- ◆ Number of APY Enrolments – 34,493.

45. PMJDY Leadership

In order to encourage the branches for PMJDY account opening for unbanked, especially the students. Branch wise Region wise progress is displayed. Targets given to branches for the campaign.

- ◆ Campaign Period: 05.07.2024 to 30.09.2024.

46. Sabka Suraksha

- ◆ All eligible uncovered customers, especially the KCC borrowers & SHG members, under PMJJBY & PMSBY.
- ◆ Campaign Period: 05.07.2024 to 30.09.2024.

47. Dhananidhi

Region wise and Branch wise Recurring Deposits Campaign Dashboard.

- ◆ Campaign Period- 29.01.2025 to 31.03.2025.
- ◆ 9,315 New RD Accounts opened Amounting to Rs. 4.02 Crs.

48. Be Positive

Retail Deposits mobilization campaign dashboard for tracking region wise and Branch wise deposits.

- ◆ Campaign Period – 25.11.2024 to 31.12.2024.

49. Sampadha

Region wise and Branch wise Savings Bank Accounts Campaign Dashboard.

- ◆ Campaign Period – 01.07.2024- 31.12.2024.
- ◆ 66,184 SB Accounts and 10,040 PMJDY new accounts opened.

50. Sampadha 2.0

- ◆ Campaign Period – 05.02.2025- 31.03.2025.
- ◆ 28,664 New SB Accounts have been opened.

51. Dhanavarsha

Campaign for mobilizing Current Accounts. Region wise and Branch wise Current Accounts Campaign Dashboard.

- ◆ Campaign Period: 01.07.2024 to 31.12.2024.
- ◆ 530 New Current Accounts were opened during the campaign.

52. Dhanavarsha 2.0

- ◆ Campaign Period – 05.02.2025 to 31.03.2025.
- ◆ 785 New Current Accounts during campaign period.

d. Awards & Accolades - IBA Technology Awards

Bank has received below mentioned 4 awards in the 20th IBA Technology Conference 2024 conducted on 24/01/2025 in Mumbai.

- Runner-Up in Best Digital Sales, Payments & Engagement.
- Runner-Up in Best Tech Talent & Organization.
- Runner-Up in Best Technology Bank.
- Runner-Up in Best AI & ML Adoption.



Vii. Human Resources, Training and Industrial Relations

In view of the Bifurcation notification released by DFS, GOI, APGVB has called for options from their Staff members to choose between bifurcated APGVB and TGB, subject to other terms and conditions of settlement of manpower issues, as recommended by the Working Group. Further, based on the working group recommendations, among both the banks, which are having comparatively better allowances have been extended to the Staff members w.e.f., 01.01.2025.

Computer Increment: Bank's Board has approved grant of computer increment to all employees of RRBs who were in service / probation as on 01.11.1993 as per supplementary Memorandum of Settlement dated 29.10.1993 between IBA and Employees association of Nationalized Commercial Banks, w.e.f 01.11.1993, along with payment of arrears thereof consequent upon the instructions of Govt of India , Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi. Accordingly, the above benefit was implemented as per the DFS timelines.

Donation to Chief Minister Relief Fund (CMRF) for Flood affected districts in the state of Telangana:

Staff members and Sponsor Bank officials have contributed voluntarily a sum of Rs.48 lakhs and an amount of Rs.2 lakhs were provided from Bank's "Corporate Social Responsibility" and the total amount of Rs.50 lakhs were donated to Chief Minister's Relief Fund for the unprecedented floods havocked in Telangana state during Sept.2024. Demand Draft was handed over to Sri. A.Revanth Reddy garu, Hon'ble Chief Minister of Telangana by our Chairman on 18.09.2024.



TGB staff donation of Rs. 50 Lakhs to CM Relief Fund

As at the end of FY 2024-25, the staff strength as on 31.03.2025 and its composition is as under:

S.No	Cadre	31.03.2025
1	OfficersScale-V	11
2	OfficersScale-IV	81
3	OfficersScale-III	275
4	OfficersScale-II	931
5	OfficersScale-I	1523
6	OfficeAssistants	1352
7	OfficeAttendants	398
	Total	4571

During the year, 38 staff members have retired from the Bank's Service, 70 staff members have resigned, 2 staff members taken VRS, 2 staff members was dismissed from service and 3 staff members deceased.

Recruitments

S.No	Cadre	No. of Candidates recruited during the year
1	Office Assistants	136
2	Officers Scale - I	145
3	Officers Scale - II	29
4	Officers Scale - III	4

The Bank has been working continuously to train the new recruits imparting skills and supply inputs in all areas to equip them to handle the day to day functions well & re-train the existing staff members. All the recruitments have been completed through the Common Written Test including interviews conducted by IBPS.



APGVB Telangana staff donation of Rs. 65 Lakhs to CM Relief Fund

COMPARISON OF STRENGTH OF NEW AND OLD STAFF MEMBERS

YEAR	NEW	OLD	TOTAL
2013-14	154	992	1146
2014-15	412	967	1379
2015-16	529	929	1458
2016-17	565	900	1465
2017-18	636	842	1478
2018-19	987	803	1790
2019-20	1085	669	1754
2020-21	1358	373	1731
2021-22	1356	324	1680
2022-23	1509	234	1743
2023-24	1667	181	1848
2024-25 (Post Amalgamation)	4174	397	4571

Promotions

Bank has promoted 240 people in various cadres to next higher grade as under. Written Test for promotion was arranged through IBPS online.

S.No.	Promoted to	No. of Posts
1	Officers Scale - I	63
2	Officers Scale - II	116
3	Officers Scale - III	50
4	Officers Scale - IV	10
5	Officer Scale - V	1
6	Office Asst.	0
	Total	240



The Bank has fulfilled the statutory requirement of giving pre- promotion training to all SC/ST/OBC candidates, eligible for promotion prior to written test. This has enabled the SC/ST/OBC candidates to prepare themselves better, to take on the written test.

Internal Complaints Committee (POSH)

We have also put in place a safe working environment for women employees in the Bank by implementing the provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. We have constituted Internal Complaints Committee at 17 Regional Business Offices and at Head Office to handle the complaints of sexual harassment. We have been sensitizing the employees of both the genders to be fostering a healthy and conducive work environment. We have received 01 POSH Complaint during this FY

Staff Welfare Measures

Mediclaim Policy

In terms of Government of India Letter no. F.8/1/2015-RRB dated 20.10.2016, our Bank has implemented Medical Insurance Scheme as per 10th Bipartite Settlement to employees and officers along with their dependent family members as detailed in schedule IV. The Scheme covers Employee + Spouse + Dependent Children + 2 Dependent Parents / parents-in-law with a Sum insured of Rs. 4,00,000/- and Rs.3,00,000/- for Officers and employees respectively. We have also taken a Corporate Buffer to cover additional expenditure upto Rs.4.00 Lakhs and Rs.3.00 Lakhs for officers and employees respectively, if the hospitalization expenditure exceeds the sum insured. The Scheme, apart from facilitating hassle free admission into the hospital immediately with cash less facility at approved Hospitals including super specialty hospitals, also covers domiciliary treatment.

Group Personal Accident Insurance Policy:

Most of our staff members are youngsters and travel by road, frequently for various official works viz., Cash remittance, field visits for recovery and inspection of units, review meetings etc., and are exposed to the risk of road accidents and face a life threat also.

We have taken the Group Personal Accident Insurance Policy for sum insured per employee is Rs.15.00 lakhs to create a sense of security among the staff members and to boost them or ale of the staff members.

Gratuity, Pension and Leave Encashment Fund:

The Bank has taken care of provisional requirements in respect of Gratuity, Pension & Leave Encashment. The total corpus as on 31.03.2025 is to the tune of Rs.184.86 Crores towards Gratuity, Rs.1481.76 Crores towards Pension and Rs.126.10 crores towards Leave Encashment.

Industrial Relations:

The Management and Officers Association and Employees Union have worked in tandem for the welfare of the staff members and business development, sorting out amicable solutions for routine issues that cropped up during the year. Cordial and amicable working atmosphere has prevailed during the year.

Welfare of SC/ST and OBC Employees:

The Bank has maintained cordial relations with the SC/ST Welfare Association, OBC Welfare Association and complied with statutory requirements in all aspects of recruitments, promotions etc. The Bank has held regular meetings with the representatives of Welfare Associations and Liaison Officers to redress their grievances. The Bank has taken all steps to keep up the morale and motivation of the employees.

Settlement of Terminal Benefits:

The Bank has made a policy that all terminal benefits are settled on the date of retirement of staff members. The process begins two months in advance of retirement to ensure that all formalities are completed to make payment on the date of retirement.

Payment of Pension to Staff Members:

The Bank has implemented the GOI instructions, contained in its letter No.F.No.8/4/2024-RRB dated 03.10.2024, NABARD, Head Office, Mumbai mail dated 04.10.2024 in respect of the amendments in the RRB (Employees') Pension Regulations, 2018 for payment of Pension to the staff members / retired & dependent of deceased member's w.e.f. 01.11.1993. The Bank has provided the provisions (actuarial value) of 1481.31 crores as on 31.03.2025 towards the liability of Payment of Pension.

Scheme of Compassionate Appointment on Compassionate Grounds:

The Bank has implemented the revised Model Scheme for Appointment on Compassionate Grounds as per Scheme in PSBs in accordance to the GOI instructions, contained in its letter No.7/38/2014-RRB, dated 31.12.2018. Our Bank has both the options i.e. Compassionate Appointment /

payment of lump-sum ex-gratia in lieu of compassionate appointment.

Annual Staff Training Report

In alignment with our commitment to continuous staff development and capacity building, Telangana Grameena Bank has successfully conducted a series of training programs for its staff across various centers throughout the year. This year, we expanded our training initiatives, further strengthening the skills and capabilities of our workforce, ensuring high levels of service quality and operational efficiency.

Training Overview

A total of 1,743 staff members participated in our comprehensive training programs during this year. These training sessions were aimed at enhancing technical knowledge, improving customer service skills, and empowering employees with the necessary tools to succeed in their roles. The training sessions were conducted at different centers to ensure accessibility for all employees.

- ◆ Office Assistants: 77 staff members received targeted training aimed at improving administrative skills, efficiency, and operational knowledge.
- ◆ Officers: 1,666 officers received advanced training tailored to enhance their managerial, technical, and decision-making skills in line with the bank's goals and the evolving banking environment.

Training Highlights

- ◆ SLC of eAPGVB: Following the amalgamation of APGVB into TGB, APGVB's SLC was

allocated to TGB. Additional training programs were organized to align the merged workforce with our organizational goals and standards. This merger enhanced our capacity to offer personalized, customer-focused services, and the training focused on ensuring smooth integration across teams.

- ◆ Ongoing Training Initiatives: We have continued to organize periodic training sessions for staff members to help them stay up-to-date with the latest developments in the banking industry, including regulatory changes, technological advancements, and customer relationship management.

Impact of Training

The training programs have yielded significant benefits, including:

- ◆ Improved performance and efficiency of both office assistants and officers.
- ◆ Enhanced employee engagement and motivation.
- ◆ Increased competency in handling new banking technologies and systems.
- ◆ Better customer service and operational excellence.

Future Plans

We remain committed to enhancing the professional growth of our employees through consistent and relevant training. Moving forward, we will focus on:

- ◆ Digital Banking Skills: Equipping staff with advanced digital banking knowledge and



STAFF TRAINING AT SLC SANGAREDDY



tools to meet the demands of modern customers.

- ♦ Leadership Development: Providing leadership and management training for senior officers to strengthen decision-making and strategy execution.
- ♦ Cross-functional Training: Encouraging staff members to gain expertise in different banking functions for greater flexibility and collaboration.

Conclusion

Our investment in staff training has been instrumental in achieving organizational growth and enhancing customer satisfaction. With continued focus on skill development and employee empowerment, we are confident that our workforce will remain at the forefront of industry standards, driving future success.

Viii. Board

The Bank has convened 9 meetings of the Board of Directors during the FY 2024-25.

The Board has undergone following changes on the composition on account of transfers/ retirement and new directors are nominated in their places.

1. Sri. Priyabrata Mishra, Dy. General Manager (ABU & GSS), State Bank of India, Hyderabad has been nominated as Director by SBI in place of Sri Binod Kumar Sinha, DGM (ABU - GSS), SBI, Hyderabad as per SBI orders.
2. Smt. Deepthy Sunil, Dy. General Manager, NABARD has been nominated as Director by NABARD in place of Smt. Siva Tulasi Devata, DGM, NABARD as per NABARD orders.

The Bank wishes to place on record its appreciation and gratitude for the valuable services and

guidance rendered by the Directors who demitted office during the year under report.

ix. Vigilance Administration:

The Bank organized Vigilance Awareness week from 28th October to 3rd November, 2024 in Head Office, Regional Business Offices and all Branches with the main theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity".

All the activities as advised by the Sponsor Bank have been conducted by all staff of the bank with zeal and enthusiasm and we have achieved all the objectives as per the tentative targets.

The Bank has conducted Training programs, Awareness Gram sabhas, Debate/Elocution/panel discussion, Grievance Redressal camps, Displayed Banners at prime places, conducted quiz at Head Office and online examination to all staff on Ethics, systems and procedures etc.

In all training programs, workshops and Review Meetings, a session is taken to sensitize all staff members and the customers to be vigilant in their day to day operations.

Whistle Blower Policy:

The Whistle Blower Mechanism is to ensure highest ethical, moral and business standards in the course of functioning and to build a lasting and strong culture of Corporate Governance within the bank. The policy is intended to encourage all employees of the bank to report suspected or actual occurrence of illegal, unethical or inappropriate actions, behaviors or practices by employees without fear of retribution. The employees can voice their concerns on irregularities, mal practices and other misdemeanors through this Policy. Whistle Blower policy has been in vogue in the bank since 2006.



Acknowledgement

The board wishes to place on record its appreciation for the efforts put in by the Bank, which has enabled them to exhibit better performance. The board thanks all the customers for the confidence reposed in the bank and their continued patronage. The Board renews its commitment for rendering a better service to their customers in future too.

The Board wishes to thank the Government of India, Government of Telangana and State Bank of India for their cooperation at all levels for the growth of the Bank.

The Board also expresses its sincere gratitude to the Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank for their valuable guidance and support extended to the Bank from time to time.

The Board of Bank also conveys its sincere thanks to the Collector and District Magistrate and District Administration in all the Districts of Telangana State, for their continuous support to the Bank at all times.

The Board also thanks the Central Statutory Auditors M/s. UMAMAHESWARA RAO & Co, and Branch auditors for their cooperation, guidance and promptness in completion of Audit in reasonable time.

The Board records its appreciation for all the staff members for their dedicated involvement in the growth and functioning of the Bank. It is due to their unstinted efforts that the Bank could post good performance during this year and could surpass the targets in many parameters under MoU. The Board looks forward for their motivated involvement and sustained efforts for the over all development of the Bank in future also.

For and on behalf of the Board of Directors.



(Y. SOBHA)
CHAIRMAN



Performance in Figures

Balance Sheet & Profit & Loss A/c Schedules & Notes to Accounts



Bank's Auditors – Chartered Accountants

1. M/s. UMAMAHESWARA RAO & Co
Statutory Central Auditor

Branch Auditors

1. M/s G.K Rao & Co
Ameerpet Road, Hyderabad
2. M/s Beldi & Associates
Khairatabad, Hyderabad.
3. M/s Y. Tirupataiah & Co
New nallakunta, Hyderabad.
4. M/s Aakasam & Associates
Masab tank, Hyderabad.
5. M/s Trivedi & Bang
Mehdipatnam, Hyderabad.
6. M/s GMK Associates
Chirag ali lane, Hyderabad.
7. M/s C Ramachandram & Co
Madhapur, Hyderabad.
8. M/s Somanchi & Co
Saifabad, Hyderabad.
9. M/s C V S Balachandra Rao & Co
Sultan bazaar, Hyderabad.
10. M/s Chakradhar and Nandhan
SD road , Secunderabad.
11. M/s K S Rao & Co
Irrum Manzil colony, Hyderabad.
12. M/s Athota & Co
Nizampet, Hyderabad.
13. M/s SVRL & Co, Warangal.
14. M/s S Kasthuri Rengan & Co
Chirag ali lane, Abids, Hyderabad.
15. M/s NSVR & Associates LLP
Madhapur, Hyderabad.

16. M/s Manohar & Venkata
Gandhinagar, Hyderabad.
17. M/s Sreedar Mohan & Associates
Madhapur, Hyderabad.
18. M/s Agarwal and Ladda, Hyderabad.
19. M/s Sarma & Co, Somajiguda, Hyderabad.
20. M/s M Harish & Associates, Karimnagar.
21. M/s Swamy & Seshadri
Kavadiguda, Secunderabad.
22. M/s SCV & Associates
Ameerpet, Hyderabad.
23. M/s C Venkat Krishna & Co
Banjara Hills, Hyderabad.
24. M/s R.B.Kabra & Co
Tilak Road, Hyderabad.
25. M/s S.B.Kabra & Co
Narayanaguda, Hyderabad.
26. M/s VSMB & Associates
Kummarguda, Secunderabad.
27. M/s Mathesh & Ramana
Himayatnagar, Hyderabad.
28. M/s G D Upadhyay & Co
Siddiamber Bazar, Hyderabad.
29. M/s KARA & Associates
Banjara Hills, Hyderabad.
30. M/s PPKG & Co, Hyderabad.
31. M/s M S Rao Associates
Gandhinagar, Hyderabad.
32. M/s Suryanarayana & Suresh
Banjara Hills, Hyderabad.
33. M/s D Siva Nageswara Rao & Co
Basheer Bagh, Hyderabad.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of Telangana Grameena Bank,

Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the financial statements of Telangana Grameena Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 24 branches audited by us and 577 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 332 branches and 17 Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches and regional offices account for 24.95% of advances, 23.24% of deposits, 22.57% of interest income and 16.01% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Regional Rural Bank Act, 1976, Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Board for Agricultural and Rural Development ('NABARD') from time to time and in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;
 - b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and
 - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



Key Audit matter	How it has been addressed
Advances: Accuracy in classification of Loans and advances, provision thereon and recognition of income Classification of Advances and Identification of and provisioning for non-performing Advances in accordance with the RBI/NABARD guidelines Advances include Cash credits, Overdrafts loans repayable on demand and Term loans. Advances constitute 70.08% of the Bank's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI/NABARD from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA). The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy No.3.2. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solutions (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further, NPA classification is done through IT System(CBS) and Provisioning on Advances (Performing and Non-Performing) as per the Income Recognition and Asset Classification Norms is being done outside the system using tools like Excel sheets. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/judgement involved in valuation of securities, it is a matter of high importance for the intended users of the Financial Statements. Considering these aspects, we have determined this as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to the materiality of the balances.	Our audit approach towards advances with reference to the IRAC norms and other related circulars / directives issued by RBI/NABARD and also internal policies and procedures of the Bank includes the testing of the following: • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit, Snap Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank; • We have examined the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and NABARD Inspection. • In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined all large advances while other advances have been examined on a sample basis. • The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and nonperforming Advances and provisioning in accordance with the IRAC Norms in respect of the branches allotted to us; • Reliance is also placed on Audit Reports of other Statutory Branch Auditors. • We have performed extensive procedures for verification of the procedure of computation of Provisions outside the IT system, its correctness and the reconciliation of the same with the books of accounts. • Assessed disclosure requirements for classification and provisioning of NPA's in accordance with RBI circulars. Based on the above verification, we are satisfied on the classification of Loans and advances, provision thereon and recognition of income

Key Audit matter	How it has been addressed
Investments Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments. Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures and other approved securities. Investments constitute 9.38% of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI/NABARD. These directions, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the afore said securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI/NABARD which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE / NSE. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of Investments, classification, identification of Non-Performing Investments. Further, the bank has been compiling the investment register in Excel tool and has been making all the calculations using the same tool.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI/NABARD Circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments. In particular, - We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI/NABARD guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments. - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments; - For the selected sample of Investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars/NABARD and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of Investments (based on nature of security) were covered in the sample; - We tested the mapping of Investments between the Investments (Excel Tool) and the financial statements to ensure compliance with the presentation and disclosure requirements as per the aforesaid RBI/NABARD Circular/directions. - We test checked the amortisation of premium on HTM category of investments, test checked the valuation of investments for shift in the category of investments between HTM and AFS. Based on the above verification, we are satisfied on the Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments.



Key Audit matter	How it has been addressed
Bifurcation of Assets And Liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) between Andhra Pradesh And Telangana Consequent to the enactment of "The A.P. Reorganization Act, 2014" and the various Gazette Notifications and directions issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance GOI directions, the Assets and Liabilities of Andhra Pradesh Grameena Bank have been bifurcated between Andhra Pradesh and Telangana based on the Audited Financial position as of 31st March 2024. The bifurcation has been done with the effective date of bifurcation being 01.01.2025 and on the recommendations of working group (WG) appointed for the purpose. Upon bifurcation, The Telangana Grameena Bank (TGB) has received Assets and Liabilities of 493 branches and other offices and H.O. in Telangana pertaining to APGV Bank. (Refer Note No.1 in Schedule 18 Financial Statements). The Bank has received Assets amounting to Rs 31,121.01 Cr and liabilities amounting to Rs 30,997.91 including Reserves of Rs 6,157.61 Cr. The Balance Sheet size of the Bank has gone up by more than 2 times as at 01.01.2025 as compared to 31.12.2024. Also, while apportioning the Assets and Liabilities, Certain items were considered differently than that of the recommendations of the Working Group, with the directions of Empowered Committee which was appointed by DFS vide its letter F.NO.15/15/2015E-RRB dt. 13 November, 2024. Considering the complexities and significance of the bifurcation on the Bank's Overall Financial Statements, we have considered the adoption of Assets and Liabilities as at 01.01.2025 by Telangana Grameena Bank pertaining to APGVB as Key Audit Matter.	Our audit Approach involved: Understanding from the management, "The AP Reorganization Act,2014", gazette notification and directions issued by Department of Financial Services, MOF, GOI, working Group recommendations, Empowered Committee's directions concerning the Bifurcation of Assets and Liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) between the states of Andhra Pradesh and Telangana. Performed the Audit procedures so as to ensure the correctness of Bifurcation of Assets & Liabilities based on the audited Financials of APGVB as at 31.03.2024 and as per the Working Group's Recommendations. Assessed and evaluated the apportionment methodology in respect of 17 new items out of which 08 are on Assets Side and 09 are on Liabilities side emanating from the Balance Sheet of APGVB during period 01.04.2024 to 31.12.2024. Assessed and evaluated the changes made in the bifurcation Logic while apportioning the Assets and Liabilities based on Working Group Recommendations, in the light of the directions issued by DFS, MOF, GOI and Empowered Committee's directions. Reliance has been placed on special audit report dt.12-12-2025 on the accuracy on migration of bifurcated balances into TGB and the future system integration. We have also reviewed the status and material developments in the legal matters migrated from APGVB. We have tested the management's computation of arriving at the quantum of capital reserve and appropriateness of the disclosures made. Based on the above procedures performed, we are satisfied on the bifurcation and adoption of Assets and Liabilities received from APGVB to TGB as at 01-01-2025.



Other Matters

5. We did not audit the financial statements/ information of 577 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total assets of Rs. 21,786 Cras at 31st March 2025 and total revenue of Rs. 1,835 Cr for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.

The financial statements of the bank for the year ending March 31st, 2024 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on 30th April 2024.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Regional Rural Bank Act, 1976, Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Board for Agricultural and Rural Development ('NABARD') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
8. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to



fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- b. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - c. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
 - d. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
9. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
10. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
11. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form A and Form B respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949;
13. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 14 above and as required by the Regional Rural Bank Act, 1976 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b. The transactions of the Bank which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and



- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- d. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- e. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- f. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- g. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **Umamaheswara Rao & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No.004453S

(CA. Rakesh Bhanu Amara)

Partner

Membership No. 228411

UDIN : 25228411BMJMTL5044

Place: Hyderabad

Date : 29th April, 2025



Telangana Grameena Bank
(Sponsored by State Bank of India)
Hyderabad

Balance Sheet As on 31.03.2025

(Amt in '000s)

Particulars	Sch No.	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	57 28 69	18 07 23
Reserves and Surplus	2	8374 54 25	2495 05 12
Deposits	3	32273 01 69	14194 81 38
Borrowings	4	16613 32 40	6456 97 30
Other Liabilities and Provisions	5	683 73 37	260 24 37
TOTAL		58001 90 40	23425 15 40
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	1457 18 06	566 24 07
Balances with Banks and Money at call and short notice	7	9134 31 94	5368 10 34
Investments	8	5445 24 92	2383 81 52
Advances	9	40647 80 16	14576 01 69
Fixed Assets	10	135 67 42	50 19 33
Other Assets	11	1181 67 90	480 78 45
TOTAL		58001 90 40	23425 15 40
Contingent Liabilities	12	117 24 26	69 77 28

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

As per our report of even date
For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004453S

For **Telangana Grameena Bank**

(CA Rakesh Bhanu Amara)
Partner (M.No. 228411)

(T. Chandra Sekhar)
General Manager-I

(Y. Sobha)
Chairman

Sri V Siva kumar
GM (RRB), SBI, Corporate Centre
(Director)

Smt Deepthy Sunil
DGM, NABARD
(Director)

Sri Raju Ratlavat
AGM, RBI
(Director)

Sri Priyabrata Mishra
DGM (ABU-GSS), SBI, LHO
(Director)

Sri Rayi Ravi
Addl. Sec, Finance Dept,
(Govt. Of TG, Director)

Dr. B Gopi, IAS
Director of Agri,
(Govt. Of TG, Director)

Date: 29.04.2025
Place: Hyderabad

Telangana Grameena Bank

(Sponsored by State Bank of India)

Hyderabad

Profit and Loss as at the year ended 31.03.2025

(Amt in '000s)

Particulars	Sch No.	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Income			
Interest earned	13	2736 75 20	1925 01 54
Other income	14	362 00 59	269 95 23
Provision return back		35 71 63	0
TOTAL		3134 47 42	2194 96 77
II. Expenditure			
Interest expended	15	1513 11 96	1056 36 06
Operating expenses	16	719 54 79	400 10 65
Provisions and Contingencies		7 46 09	29 83 98
TOTAL		2240 12 84	1486 30 69
III. Profit / Loss			
Profit for the year before Tax		894 34 58	708 66 08
Less:Provision for Income Tax	-	220 00 00	178 00 00
(Less)/Add:(DTL) / DTA	+	95 00	(1 58 54)
Profit after Tax	a	675 29 58	529 07 54
Profit brought forward from previous year	b	5796 74 51	1501 28 33
Appropriations of Profit(a)			
Transfer to Statutory reserves	i	135 05 91	105 81 51
Transfer to capital reserve	ii	0	0
Transfer to revenue & other reserves	iii	0	0
Transfer to special reserves U/s 36(i) (viii) of IT Act, 1961	iv	20 00 00	12 80 00
Balance of CFY Profit	v	520 23 67	410 46 03
Balance carried over to balance sheet(b+v)		6316 98 18	1911 74 36

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

As per our report of even date

For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 004453S

For **Telangana Grameena Bank**

(CA Rakesh Bhanu Amara)

Partner (M.No. 228411)

(T. Chandra Sekhar)

General Manager-I

(Y. Sobha)

Chairman

Sri V Siva kumar

GM (RRB), SBI, Corporate Centre
(Director)

Smt Deepthy Sunil

DGM, NABARD
(Director)

Sri Raju Ratlavat

AGM, RBI
(Director)

Sri Priyabrata Mishra

DGM (ABU-GSS), SBI, LHO
(Director)

Sri Rayi Ravi

Addl. Sec, Finance Dept,
(Govt. Of TG, Director)

Dr. B Gopi, IAS

Director of Agri,
(Govt. Of TG, Director)

Date: 29.04.2025

Place: Hyderabad



Telangana Grameena Bank
(Sponsored by State Bank of India)
Hyderabad

SCHEDULE-1 CAPITAL

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Authorised Capital (2,00,00,00,000 shares of Rs.10/- each)	2000 00 00	2000 00 00
II. Issued Capital (5,72,86,944 shares of Rs.10/- each)	57 28 69	18 07 23
III. Subscribed and Paid up Capital (5,72,86,944 shares of Rs.10/- each)	57 28 69	18 07 23
TOTAL	57 28 69	18 07 23

SCHEDULE-2 RESERVES AND SURPLUS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Statutory Reserves		
Opening Balance	527 19 63	421 38 12
Additions during the year	1066 56 50	105 81 51
Deductions during the year	0	0
Total	1593 76 12	527 19 63
II. Capital Reserves		
Opening Balance	4 91 14	4 91 14
Additions during the year	130 64 75	0
Deductions during the year	0	0
Total	135 55 89	4 91 14
III. Share premium		
Opening Balance	0	0
Additions during the year	0	0
Deductions during the year	0	0
Total	0	0
IV. Special Reserve U/s 36(1)(viii)		
Opening Balance	51 20 00	38 40 00
Additions during the year	267 30 22	12 80 00
Deductions during the year	0	0
Total	318 50 22	51 20 00
IV. Revenue and other Reserves		
Opening Balance	0	0
Additions during the year	9 73 84	0
Deductions during the year	0	0
Total	9 73 84	0
V. Balance of Profit & Loss Account	6316 98 18	1911 74 35
TOTAL (I, II, III, IV & V)	8374 54 25	2495 05 12


SCHEDULE-3 DEPOSITS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
A. I. Demand Deposits		
i. From Banks	0	0
ii. From Others	423 88 86	148 69 69
II. Saving Bank Deposit	11688 32 05	4993 33 97
III. Term Deposits		
i. From Banks	4968 30 97	2622 05 59
ii. From Others	15192 49 81	6430 72 13
Total of (I II and III)	32273 01 69	14194 81 38
B.I. Deposits of branches in India	32273 01 69	141 94 81 38
II. Deposits of branches outside India	0	0
TOTAL	32273 01 69	141 94 81 38

SCHEDULE-4 BORROWINGS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Borrowing in India		
i. Reserve Bank of India	672 00 00	210 00 00
ii. Other Banks (SBI & Indusind)	2549 18 25	679 16 14
iii. Other institutions and agencies		
a) NABARD	12947 84 93	5321 85 86
b) National Housing Bank (NHB)	421 98 82	230 52 80
c) MUDRA	9 72 80	0
c) NSFDC	12 57 60	15 42 50
II. Borrowings outside India	0	0
TOTAL (I & II)	16613 32 40	6456 97 30

SCHEDULE-5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Bills payable	55 58 67	25 06 68
II. Inter-office adjustment (Net)	913	19 91
III. Interests accrued	38 78 06	19 74 26
IV. Others (including provisions)		
General Provision on Standard Advances	124 93 18	47 84 69
Provision for Pension & NPS	0	0
Provision for Income Tax	0	0
Others Liabilities	464 34 33	167 38 83
TOTAL	683 73 37	260 24 37



SCHEDULE-6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Cash in hand	107 36 33	46 95 52
II. Balance with Reserve Bank of India		
i. In Current Account	1349 81 73	519 28 55
ii. In other Accounts	0	0
TOTAL (I and II)	1457 18 06	566 24 07

SCHEDULE-7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. In India		
i) Balances with Banks:		
a. In current Accounts	48 46 52	23 44 66
b. In other Deposit Accounts	9085 85 42	5344 65 68
ii) Money at call and short notice		
a. With Banks	0	-
b. With other institutions	-	-
TOTAL (i & ii)	9134 31 94	5368 10 34
II. Out side India		
i. In current Accounts	-	-
ii. In other Dep.Accounts	-	-
iii. Money at call and short notice	-	-
TOTAL (i, ii, iii)	-	-
GRAND TOTAL (I and II)	9134 31 94	5368 10 34

SCHEDULE-8 INVESTMENTS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Investments in India in		
i. Government Securities	5430 24 92	2368 81 52
Less: Provision /Depreciation	0	-
Net SLR	5430 24 92	2368 81 52
ii. Other approved securities	-	-
iii. Shares	-	-
iv. Debentures and Bonds	15 00 00	15 00 00
Less: Provision	-	-
Sub total Non-SLR	15 00 00	15 00 00
v. Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
vi. Others		
IVP / KVP etc.	-	-
Mutual Funds	-	-
Less: Provision	-	-
Sub total Non-SLR	-	-
Total Non-SLR (Net)	15 00 00	15 00 00
TOTAL-Net Investments in India	5445 24 92	2383 81 52



(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
II. Investments outside India		
Less: Provision / Depreciation	-	-
TOTAL Net of II	-	-
GRAND TOTAL (I+II)	5445 24 92	2383 81 52

SCHEDULE-9 ADVANCES

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
A.		
i. Bills purchased and discounted	-	-
ii. Cash Credits, overdrafts and loans repayable on demand	25012 61 76	9983 51 69
iii. Term Loan	15635 18 40	4592 50 00
TOTAL	40647 80 16	14576 01 69
B.		
i. Secured by tangible assets	34542 66 10	11738 32 67
ii Covered by Bank / Govt guarantees	-	-
iii. Unsecured	6105 14 06	2837 69 02
TOTAL	40647 80 16	14576 01 69
C. I. Advances in India		
i. Priority Sector	27988 32 67	11144 32 52
Less: IBPC Issued	-	-
Sub Total	27988 32 67	11144 32 52
ii. Public Sector	-	-
iii. Banks	-	-
iv. Others	12659 47 49	3431 69 17
TOTAL	40647 80 16	14576 01 69
II. Advances Outside India		
i. Due from Banks	-	-
ii. Due from others	-	-
TOTAL	-	-
GROSS ADVANCES	41518 27 92	14840 69 44
Less: INCA	-	-
Less: Provisions for B&D debts	870 47 76	264 67 75
NET ADVANCES	40647 80 16	14576 01 69


SCHEDULE-10 FIXED ASSETS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Premises		
At cost as on 31st March	14 66 46	14 66 46
i. Additions during the year	21 01 30	0
ii. Deduction during the year	0	0
iii. Depreciation during the year	948	80
iv. Depreciation to date	1 39 78	10 08
TOTAL I	34 27 96	14 56 38
II. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
At cost as on 31st March	93 41 98	85 05 05
i. Additions during the year	148 93 66	8 45 95
ii. Deduction during the year	0	378
iii. Depreciation during the year	9 33 94	7 06 70
iv. Depreciation to date	140 96 18	57 84 27
TOTAL II	101 39 46	35 62 95
III. Capital work in progress		
At cost as on 31st March	0	0
i. Additions during the year	0	0
ii. Deduction during the year	0	0
TOTAL III	0	0
TOTAL I & II	135 67 42	50 19 33

SCHEDULE-11 OTHER ASSETS

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Inter-office adjustments (Net)	0	0
II. Interest accrued	214 39 44	189 17 42
III. Tax paid in advances / tax deducted at source *	35 61 21	6 28 58
IV. Stationery and stamps	24	25
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Others		
a) Int Subvention Recble from GOI / NABARD	686 20 71	272 46 76
b) Miscellaneous Assets (Frauds, Cash stolen)	0	0
c) Others (suspense utility services etc.)	245 46 30	12 85 44
TOTAL	1181 67 90	480 78 45
* Net of Provisions		


SCHEDULE-12 CONTINGENT LIABILITIES

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	10 99 54	4 83 16
II. Liability for partly paid Investments	-	-
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	-	-
IV. Guarantee given on behalf of constituents	-	-
a. In India	21 55 94	6 76 05
b. Outside India	-	-
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	-	-
VI. Other items for which the Bank is contingently liable (DEAF Account)	84 68 78	58 18 07
TOTAL	117 24 26	69 77 28

SCHEDULE-13 INTEREST EARNED

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Interest on advances /discount on bills	2087 43 47	1368 12 71
II. Interest on Investments	246 41 33	174 90 35
Less: amortisation of premium	(1 13 34)	(1 30 55)
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	403 63 40	381 56 27
IV. Others	40 34	1 72 76
TOTAL	2736 75 20	1925 01 54

SCHEDULE-14 OTHER INCOME

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Commission, exchange and brokerage	212 68 37	137 84 59
II. Profit on sale of Investments		
Less: Loss on Sale of Investments	12 03	1 54 70
III. Profit on revaluation of investments		
Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
IV. Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets		
Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	0	-21
V. Profit on exchange transactions		
Less: Loss on exchange transactions	0	0
VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/companies and/or joint ventures in abroad/in India	0	0
VII. Miscellaneous Income	149 44 25	130 56 15
TOTAL	362 00 59	269 95 23


SCHEDULE-15 INTEREST EXPENDED

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Interest on deposits	1008 60 51	740 86 25
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter bank borrowings	0	0
III. Others		
a. SBI / Other Banks Overdraft	81 77 08	27 66 51
b. NABARD - REFINANCE	380 67 50	265 45 93
c. NHB - REFINANCE	31 63 32	11 14 16
d. MUDRA, NSFDC etc	10 43 55	11 23 21
IV. Interest on IBPC participation	0	0
TOTAL	1513 11 96	1056 36 06

SCHEDULE-16 OPERATING EXPENSES

(Rs in '000's)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
I. Payments to and provisions for employees	554 58 84	306 17 45
II. Rent, taxes and lighting	26 39 78	17 25 50
III. Printing and stationery	3 03 36	1 82 52
IV. Advertisement and publicity	642	93
V. Depreciation on Bank's property	9 43 43	7 06 92
VI. Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII. Auditors fees and expenses (including branch auditors)	1 37 41	39 20
VIII. Law charges	8 94	5 58.78
IX. Postage, Telegrams, Telephones etc.	62 54	38 72
X. Repairs and maintenance	33 00 03	13 63 59
XI. Insurance	27 51 82	15 81 12
XII. Other expenditure	63 42 22	37 49 12
TOTAL	719 54 79	400 10 65



Telangana Grameena Bank

(Sponsored by State Bank of India)

Hyderabad

SCHEDULE - 17 Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation:

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on Going Concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms /guidelines prescribed by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) / Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Regional Rural Bank Act, 1976 and amendments thereto and Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and practices prevalent in banking industry in India.

B. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable and are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of financial statements. Future results could differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

C. Significant Accounting Policies:

1. Revenue Recognition:

- 1.1. Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- 1.2. Interest / Discount Income is recognized in the Profit and Loss Account as it accrues except,
 - (i) Income from Non-Performing Assets (NPAs), comprising of advances, and Investments which is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI.
 - (ii) Overdue interest on investments.
- 1.3. Profit / Loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. However, the profit on sale of investments in the "Held to Maturity (HTM)" category is appropriated (net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve) to "capital reserve account". The discount, if any, on Interest bearing securities, on acquisition of investments in Held to Maturity (HTM) category is accounted for at the time of sale / redemption
- 1.4. Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 1.5. Commission & Exchange and locker rent are recognized on cash basis.
- 1.6. Interest on overdue term deposits is accounted for on renewal.
- 1.7. In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses is accounted as income.

2. Investments:

The transactions in Government Securities and other than Government Securities are recorded on "Settlement Date".

- 2.1. Classification: Investments are classified into three categories viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) as per RBI guidelines.



2.2. Basis of classification:

- ◆ Investments that Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- ◆ Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- ◆ Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)". An investment is classified as HTM / HFT / AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3. Disclosure in Balance Sheet:

Investments are classified and disclosed in Balance Sheet as Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

2.4 Valuation: The securities in each classification are valued in accordance with RBI guidelines as detailed here under:

- i. In determining the acquisition cost of an investment:
 - (a) Brokerage / Commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - (b) Brokerage, Commission, Security Transaction Tax etc paid in connection with the acquisition of investments or expensed upfront and excluded from cost.
 - (c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense / income and is excluded from cost or sale consideration.
 - (d) Stamp duty Value paid on acquisition of Mutual Funds is considered as purchase value or capitalized in books of account.
 - (e) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and FIFO basis (First in First Out) for investments under HTM category.
- ii. Transfer of securities from HFT / AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out at acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.
- iii. Held to Maturity category: Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity on constant yield basis. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investments".
- iv. Investments in equity shares of other companies are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.
- v. Available for Sale and Held for Trading Categories: Investments under AFS and HFT category are individually re-valued at market price or fair value determined as per regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others) is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.
- vi. Investments are classified as Performing and Non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Investments become non-performing where:
 - a) Interest / installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.



- b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Rs.1/- per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- c) If any credit facility availed by any entity is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.
- d) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.5. Accounting for Repo / Reverse Repo Transactions:

The Bank entered Repurchase and Reverse Repurchase Transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF). Repurchase Transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse Repo Transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) Transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) are accounted for as Collateralised Lending and Borrowing transactions.
- b) Balance in Repo Account is classified under Schedule-4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule-6 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- c) Borrowing cost of Repo transactions and Revenue on Reverse Repo transactions, with RBI is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

3. Loans or Advances and Provisions thereon:

3.1 Loans and advances are classified as performing and non performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become Non-Performing Asset (NPA) where:

- In respect of agriculture advances:

- i) For short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons and
- ii) For long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

- In respect of Non-Agriculture advances:

- i) In respect of term loans, interest and /or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
- ii) In respect Overdraft or Cash Credit Advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds sanctioned limit or drawing power continuously for a period 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period.

3.2. Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines/directives prescribed by the RBI and advised by NABARD:

All advances have been classified under four categories i.e., Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and loss Assets. Provisions on Advances are made as under:

- a) Standard Assets: General Provision for Standard Assets at the following rates:

Direct advances to Agriculture and SME sectors at 0.25%

Commercial Real Estate sector at 1%

All other advances not included in (1) & (2) above at 0.40%

This general provision is reflected in schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other

liabilities and provisions – other provisions” and is not considered for arriving at the net NPAs.

- b) Sub-Standard Assets: A loan asset that has remained non performing for a period less than or equal to 12 months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms (NABARD Guidelines)	Additional rates adopted by the Bank	Total specific provision rate
Secured Portion	10.00%	90.00%	100.00%
Unsecured Portion	20.00% (minimum)	80.00%	100.00%

- c) Doubtful Assets: A loan asset that has remained in the substandard category for a period of 12 months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms (NABARD Guidelines)		Additional rates adopted by the Bank	Total specific provision rate
Secured Portion	Up to 1 year	20.00%	80.00%	100.00%
	1 to 3 years	30.00%	70.00%	100.00%
	> 3 years	50.00%	50.00%	100.00%
Unsecured Portion		100.00%	100.00%	100.00%

- d) Loss Assets: A loan asset where Loss has been identified but the amount has not been fully written off. 100% Provision on outstanding advances.
- 3.3. Advances are net of specific loan provisions, unrealized interest, ECGC claims received.
- 3.4. For Restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the extant guidelines issued by the RBI.
- 3.5. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.6. Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 3.7. General provisions made for Standard Assets as per extant RBI guidelines are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other Liabilities & Provisions” & are not considered for arriving at the net NPAs.
- 3.8. Interest realized on NPAs are taken into income account provided the credits in the account towards interest are not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

4. Floating Provisions:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at end of the each financial year.

5. Fixed Assets, Depreciation and Amortization:

- 5.1. Fixed Assets are carried at historical cost less accumulated depreciation / amortization.



- 5.2. Cost includes cost of purchase and all expenditure directly attributable to or incur in connection with acquiring the said asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 5.3. Depreciation / amortization is provided on straight line method as per the rates stated below.

Description of Fixed Assets	Depreciation/ amortization rate
Buildings	1.667%
Furniture & Fixtures other than Electrical Equipment	10%
Computers; Computer Software forming an integral part of the Computer hardware; Computer Software which does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development.	33.33%
Automated Teller Machine / Cash Deposit Machine / Coin Dispenser / Coin Vending Machine and other Electrical Equipment	20.00%
Servers	25.00%
Network Equipments	20.00%
Motor Vehicles	20.00%
Safe Deposit Lockers, Fire Proof Data Safe	5.00%

- 5.4. In respect of assets acquired during the year, depreciation is charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.
- 5.5. Assets costing less than Rs.1000/- each are charged off in the year of purchase.

6. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future Net Discounted Cash Flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

7. Employee Benefits:

7.1. Short Term employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc., which are expected to be paid for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

7.2. Long Term Employee Benefits

i) Defined Benefit Plans:

- a) Gratuity: For all the eligible employees, the bank provides for Gratuity liability based on actuarial valuation. Liability is funded by way of contribution made to a fund administered by "Telangana Grameena Bank Employees Gratuity Fund Trust".



- b) Leave Encashment: For all the employees who have completed five years of service, the Bank provides for Leave Encashment liability based on actuarial valuation.
- c) Pension: The Bank provides for pension to all eligible employees who have joined the Bank on or before 31.03.2010. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contributions to the pension fund at 10% of the salary. The Bank provides for this liability based on the actuarial valuation. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and bank makes such additional contributions periodically to the fund as may be required to secure payment of the benefits under the Pension Regulations.
- ii) Defined Contribution Plans :
 - a) Contributions made to Provident Fund are recognized as an Expense and charged to the Profit and Loss Account on accrual basis.
 - b) National Pension Scheme (NPS): The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all the employees who have joined the Bank after 31.03.2018. The employees, who have joined the Bank between 01.04.2010 to 31.03.2018, have been given an option to join NPS voluntarily. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained as deposits in the Bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The Bank recognizes such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts will be transferred to the NPS Trust.

8. Income Tax Expense:

The Income Tax, if any applicable, is computed in accordance with relevant tax provisions under the Income Tax Act, 1961 as applicable to Regional Rural Banks.

Income Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively and which are based on the tax laws prevailing in India.

Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of the timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. The impact of changes in Deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit and Loss Account. Deferred Tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably certain. Deferred tax assets are recognized on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

9. Government Grants:

Government grants available to the enterprise are considered for:

- a) Where there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them.
- b) Where such benefits have been earned by the enterprise and it is reasonably certain that the ultimate collection will be made.



Grants received from the government towards specific fixed assets, are shown as deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value.

10. Contingent Liabilities & Provisions:

10.1. In conformity with AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets", issued by ICAI, the bank recognizes the provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and would result in probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized for:

- a) Any possible obligation that arises from past events and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - ◆ It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
 - ◆ A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

10.2. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

11. Special Reserves:

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(i) (viii) of the Income Tax Act, 1961.

12. Leases:

Leases where the Lessor effectively retains substantially all risks and benefits of ownership of the leased item are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in the Profit and Loss Account.

As per our report of even date
For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004453S

For **Telangana Grameena Bank**

(CA Rakesh Bhanu Amara)
Partner (M.No. 228411)

(T. Chandra Sekhar)
General Manager-I

(Y. Sobha)
Chairman

Date: 29.04.2025
Place: Hyderabad

Telangana Grameena Bank
(Sponsored by State Bank of India)
Hyderabad

SCHEDULE-18 NOTES TO ACCOUNTS-MARCH 2025

1. BIFURCATION OF ASSETS AND LIABILITIES OF ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK (APGVB) BETWEEN ANDHRA PRADESH AND TELANGANA

Consequent upon reorganization of the state of Andhra Pradesh into Telangana and Andhra Pradesh states vide "The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014", the Government of India vide notification Nos 2719E & 2718E, removed all the 5 districts viz. (Warangal, Medak, Khammam, Nalgonda and Mahabubnagar) from the jurisdiction of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) and attached to Telangana Grameena Bank (TGB) respectively.

However, APGVB continued to operate in its original jurisdiction upto 31.12.2024 covering erstwhile 5 districts (now 21 reorganised districts) of Telangana and 3 erstwhile districts (Now 7 reorganized districts) of residual Andhra Pradesh due to technicalities/difficulties involved in implementing the above mentioned GOI notification dated 20th Oct 2014.

The Department of Financial Services (DFS) vide OM dated 17th June 2022 sought for opinion from the Department of Legal Affairs (DoLF), Ministry of Law and Justice. The DoLF, GOI vide its E. Office No 60984; Dy. No 449069/Adv.B/2022 & Dy. No 449406 (RKS) 2022 dt 27/06/2022 opined that bifurcation of RRBs has to be done in accordance with the relevant provisions of "The AP reorganization Act, 2014".

Pursuant to notification NO F. No. 15/15/2015(E)-RRB of DFS, GOI dated 13th November 2024, the bifurcation of the APGVB Bank's Assets and Liabilities between the two states viz Andhra Pradesh and Telangana has been made, based on the Audited Financial position as of 31-03-2024 and as per the working group's recommendations. As a result the 493 Branches, 9 RBOs, 2 administrative offices belonged to APGVB were merged into TGB effective from 01-01-2025.

In accordance with the WG's recommendations, the reserves have been apportioned between the two Banks in proportion to the Business Ratio. The respective share of reserves, as determined, has been received by Telangana Grameena Bank (TGB) as detailed below:-

(Amount in Cr)

Particulars	Reserve as on 31.12.2024	Reserves Received from APGVB	Total Reserves as on 01.01.2025
Statutory Reserves	527.20	931.51	1,458.71
Capital Reserves	4.91	7.55	12.46
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961.	51.20	247.30	298.50
Revenue and other Reserves	0.00	9.74	9.74
Balance in Profit and Loss Account	2,272.61	3,885.00	6,157.61
Total Reserves	2855.92	5081.10	7937.02

- The assets and liabilities of the APGVB were apportioned between the two Banks as per directions of DFS and the WG recommendations/Steering Committee directions from time to time.

Upon Bifurcation, the Assets and liabilities received by TGB on 01-01-2025 are as under:

(Amount in Cr)

ASSETS	Assets Bifurcated From APGVB to TGB
Cash and Balances with RBI	686.16
Advances	22526.80
Investments	6479.82
Fixed Assets	83.83
Other Assets	1344.39
Total Assets(A)	31,121.00

LIABILITIES	Liabilities Bifurcated From APGVB to TGB
Share Capital	39.21
Reserve and Surplus	5081.10
Deposits	16829.41
Borrowings	7865.89
Other liabilities	1182.30
Total Liabilities(B)	30997.91

Excess of Assets Over Liabilities(A-B)	123.09
---	---------------

The excess of assets received from APGVB are adjusted in Capital Reserves.

- The outstanding entries relating to inter branch transactions, inter office accounts and suspense, sundry deposit, clearing adjustment are in the process of reconciliation / adjustment. The management considers that the amounts involved are not material and are not suspicious in nature and substance for considering provision.

(Amount in lakhs)

S.no	Time Period	No of Dr Entries	Amount of DR	No of Cr entries	Amount of Cr entries	Net Cr Position
1	Upto 3 months	0	0	2	9.30	9.30
2	3 to 6 months	0	0	0	0	0
3	6 months to 1 year	0	0	0	0	0
4	1 Year to 5 years	0	0	0	0	0
5	Above 5 years	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	2	9.30	9.30



3. Stationery, except security forms and stamps, purchased during the year have been treated as consumed and charged to the expense account. However expenses in respect of security forms and stamps amounts are charged to the expense account based on their usage during the year.

4. Provisions towards NPAs:

- a. As per the review and the assessment by the management of the Bank, the provision required towards Bad & Doubtful Debts as per IRAC Norms is Rs. 87047.76 lakhs (Previous year Rs. 26467.75 lakhs). The aggregate amount of provision made in the books of account as on 31.03.2025 is **Rs.87047.76 Lakhs** (Previous Year Rs. 26467.75 Lakhs) incremental provision of Rs. 60580.01 lakhs(previous year 84.84 lakhs).
- b. The amount **Rs. 12493.18 Lakhs** (Previous Year Rs. 4784.69 Lakhs) being the general provisions considered in the accounts upto March 31st, 2025 under the head "General Provision on Standard Advances" as stated in item 4 of schedule 5.

5. Employee Benefits:

Defined Benefit plans:-

a. Gratuity:-

- i. The bank has made a provision of Rs. 328.00 lakhs (previous year Rs.173.00 Lakhs) to meet the gratuity liability of the employees based on the actuarial valuation whereby the total gratuity liability of the employees as at 31st March 2025 stood at Rs.15115.03 lakhs (previous year Rs.3959.20 lakhs)
- ii. The above gratuity liability is funded through i) SBI Life Insurance Co., Ltd., in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.7475.16 lakhs (Previous Year Rs.1589.12 Lakhs), and through ii) LIC held in the name corpus of TGB to the extent of Rs.175.34 lakhs (Previous Year Rs.881.37 Lakhs), iii) SUD Life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.5541.59 lakhs (Previous Year Rs.2459.44 Lakhs), iv. India First life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.2514.28 lakhs (Previous Year Rs.0 Lakhs) v). ICICI Life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.2514.42 lakhs (Previous Year Rs.0 Lakhs) Funds with TGB Nallakunta Branch in current account to the extent of Rs.340.28 lakhs (Previous Year Rs. 0.93 lakhs).

b. Pension Liability for the year 2024-25

- i. The bank has made a provision of Rs. 14700.00 lakhs(previous year Rs.2836.00 Lakhs) to meet the Pension liability of the employees based on the actuarial valuation whereby the total Pension liability of the employees as at 31st March 2025 stood at Rs.148131.04 lakhs (previous year Rs.46457.01 lakhs)
- ii. The above Pension liability is funded through
 - i) SBI Life Insurance Co., Ltd., in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.40216.76 lakhs (Previous Year Rs.15404.81 Lakhs), and through
 - ii) LIC held in the name corpus of TGB to the extent of Rs.437.65 lakhs (Previous Year Rs.3404.14 Lakhs),
 - iii) SUD Life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.36600.81 lakhs (Previous Year Rs.10851.37 Lakhs),
 - iv) India First life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.5035.16 lakhs (Previous Year Rs.0 Lakhs)
 - v) ICICI Life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.25780.17 lakhs (Previous Year Rs.5262.66 Lakhs)
 - vi) Future Generali Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.5732.69 lakhs (Previous Year Rs.0 Lakhs)
 - vii) Bajaj Life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.842.24 lakhs (Previous Year Rs.776.40 Lakhs)



- viii) Adithya Life Insurance Co. Ltd in the name of corpus of TGB to the extent of Rs.20687.02 lakhs (Previous Year Rs.10837.60 Lakhs)
- ix) Funds with TGB Nallakunta Branch in current account to the extent of Rs.768.19 lakhs (Previous Year Rs. 28.60 lakhs).

c. Leave Encashment Liability :-

- i. The bank has made a provision of Rs. 105.00 lakhs (previous year Rs 482.10 Lakhs) to meet the leave encashment liability of the employees based on the actuarial valuation whereby the total liability of the employees as at 31st March 2025 stood at Rs.12104.52 lakhs (previous year 4416.19 lakhs).

6. Taxation:

a) Current Year Tax:

Based on the computation of taxable income for the year, an amount of Rs.220,00.00 **Lakhs** (Previous Year Rs. 178,00 Lakhs) has been provided in the books of accounts towards liability for current tax.

b) Deferred Tax:

(Amount Rs. in Lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Deferred Tax Liabilities:		
1) On Difference between Book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value for tax purpose	114.76	38.70
Opening	38.70	50.72
Timing differences originating during the year	76.06	
Timing differences reversed during the year		(12.02)
Adjustment / (reversed) on account of change in tax rates	-	
Closing	114.76	38.70
2) On Special Reserves	8,016.06	1,288.60
Opening	1,288.60	-
Timing differences originating during the year	6,727.46	1,288.60
Timing differences reversed during the year	-	
Adjustment / (reversed) on account of change in tax rates	-	
Closing	8,016.06	1,288.60
Total	8,130.82	1,327.30
Deferred Tax Assets:	-	
- On Disallowances u/s 43B of Income Tax Act, 1961	3,177.54	1,111.56
Opening	1,111.56	-
Timing differences originating during the year	2,065.98	1,111.56
Timing differences reversed during the year	-	
Adjustment / (reversed) on account of change in tax rates.	-	
Closing	3,177.54	1,111.56
Net Deferred Tax Asset / (Liability)	(4,953.28)	(215.74)
Opening balance	(5048.28)	(57.20)
Provision/(Reversal)	(95.00)	158.54

7. Managerial Remuneration:

The particulars of the Managerial remuneration have been disclosed in additional disclosures in item number 27 under disclosures as per NABARD guidelines.

8. As per Banking Regulation Act, 1949, the bank has appropriated an amount of Rs.135,05.91 Lakhs (Previous Year Rs. 105,81.51 Lakhs) being 20% of its Profit and transferred to Statutory Reserve account.

9. As per RBI guidelines, the bank has recognised an amount of Rs. Rs. 113.34 lakhs (Previous Year Rs. 130.55 Lakhs) being the amortisation of premium paid in respect of Government Securities over the period of maturity.

10. Leases:

The Bank has taken premises for its operations on operating lease, which are cancellable leases. As and when the period of lease is ended, suitable actions will be taken for renewals based on the mutual negotiations with the owners of premises. The total lease payment for the year charged to Profit and Loss account is Rs. 1396.18 lakhs (Previous year Rs. 943.87 lakhs).

11. Accounting For Government Grants:

Bank has not received any grant from NABARD during the current financial year. Bank has received Rs 22.04 lakhs as a Capital grant from NABARD towards Micro ATMs during the previous financial year.

12. Segment reporting:

Primary (Business Segment): The Bank operates solely the banking sector Industry including investments, not liable to different risks and rewards. Hence the figures relates to that particular segment only.

Secondary (Geographical Segment): The banks activates/operations are confined for providing banking services only in the State of Telangana and hence the figures relates to that particular segment only.

13. Related Party Transactions:-

As per Para 9 of the Accounting Standard 18 issued by the ICAI on "Related Party Disclosures" the Bank, being a state-controlled enterprise is not required to make disclosures of related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises. The other related party transactions are disclosed below:

Managerial Remuneration:

(Amount Rs. in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Smt Y. Sobha, Chairman	50.80	37.68
Sri. V. S Mahesh, General Manager (IT) (Till July 2023)	0.00	18.17
Smt. K.P. Shobha Rani, General Manager-IT (Till June 2024)	11.92	35.26
Sri K V Prasad, General Manager-III (Till June 2024)	13.31	34.12
Sri D. Ramesh, General Manager-II	45.20	27.45
Smt. Bharati Thayar, General Manager (Vigilance)	49.41	29.08
Sri. T. Chandra Sekhar, General Manager-I	40.16	15.78
Smt. Komanduru Lakshmi, General Manager-IT (From June 2024)	28.97	0.00
Sri. T. Sudhakar, General Manager-III (From June 2024)	28.90	0.00
Sri. V. Anil, General Manager-IV (From January 2025)	3.00	0.00
Sri. K.V. Krishna Sarma, General Manager-V (From January 2025)	3.00	0.00
Sri. S. Satish Babu, Chief Manager (Audit) (from October 2024)	13.01	0.00


Directors of the Bank:

S.no	Name of the Director	Nominee
1	Smt. Y. Sobha, Chairman	State Bank of India
2	Sri. V. Siva Kumar, GM (RRB), SBI, Corporate Centre	State Bank of India
3	Sri. Priyabrata Mishra, DGM, SBI, LHO	State Bank of India
4	Smt. Deepthy Sunil, DGM	NABARD
5	Sri. Raju Ratlavat, AGM	Reserve Bank of India
6	Sri. Rayi Ravi, Addl. Sec, Finance Dept.	Government of Telangana
7	Dr. B. Gopi, IAS, Director of Agriculture	Government of Telangana

14. Earnings per share

(Amount Rs. in Lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Net profit after tax available for equity shareholders	52023.67	41046.03
Number of equity shares	5728.69	1807.23
Weighted number of equity shares	5728.69	1807.23
Basic earnings per share (in Rs.)	9.08	22.71
Diluted earnings per share (in Rs.)	9.08	22.71
Nominal value per equity share (in Rs.)	10.00	10.00

15. Impairment of Assets

In the opinion of Bank's management, there is no indication of impairment to the Assets during the current financial year and previous financial year.

16. There are no Capital Commitments as on 31.03.2025



DISCLOSURES AS PER NABARD GUIDELINES
ANNEXURE TO NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS (SCHEDULE – 18)

17. Regulatory Capital

a) *Composition of Regulatory Capital (As per Basel-I norms)*

(Amount in Crore)

Sr.No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	8431.83	2513.12
ii)	Additional Tier 1 capital / Other Tier 1 capital	-	-
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	8431.83	2513.12
iv)	Tier 2 capital	124.93	47.85
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	8556.76	2560.97
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	33665.09	12691.74
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	25.05	19.80
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	25.05	19.80
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.37	0.38
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	25.42	20.18
xi)	Leverage Ratio	NA	NA
xii)	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (specify name) c) Sponsor Bank	50.00 15.00 35.00	50.00 15.00 35.00
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	Nil	Nil
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Give list as per instrument type (perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instruments, etc.). Commercial banks (excluding RRBs) shall also specify if the instruments are Basel II or Basel III compliant.	Nil	Nil
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: Give list as per instrument type (perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instruments, etc.). Commercial banks (excluding RRBs) shall also specify if the instruments are Basel II or Basel III compliant.	Nil	Nil



18. Asset liability management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(Amount in Crore)

	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 days to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 Months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	47.01	1813.02	911.17	1164.36	1749.44	1714.31	3401.16	5984.56	3791.76	1080.54	10615.69	32273.02
Advances	0.00	624.20	556.44	1221.62	2112.77	1406.93	6266.93	14751.78	10152.34	2213.38	2211.89	41518.28
Investments	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	10.06	74.21	6.49	2147.22	405.85	2797.50	5445.24
Borrowings	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3925.03	7697.49	2789.14	1520.63	9.03	16613.32
Foreign Currency assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Foreign Currency liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



19. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2025

(Amount in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
Available for Sale												
Gross	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(Amount in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Total Investments	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.25
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.25

Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2024

(Amount in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82



(Amount in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Available for Sale												
Gross	941.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	941.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	2368.82	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.82
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	2368.82	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.82


b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a. Opening balance	0.00	0.00
b. Add: Provisions made during the year	0.00	0.00
c. Less: Write off / write back of excess provisions during the year	0.00	0.00
d. Closing balance	0.00	0.00
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a. Opening balance	0.00	0.00
b. Add: Amount transferred during the year	0.00	0.00
c. Less: Drawdown	0.00	0.00
d. Closing balance	0.00	0.00
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	0.00	0.00

c) Sale and transfers to/from HTM category

- Bank has not sold securities to/from HTM category in the current Financial Year.
- Bank has transferred Rs.412.81 crores from HTM to AFS and Rs.116.94 from AFS to HTM during the year ended 31.03.2025.

d) Non-SLR investment portfolio

- i. Non performing non-SLR investments

(Amount in Crore)

Sr.No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
a)	Opening balance	0.00	0.00
b)	Additions during the year since 1 st April	0.00	0.00
c)	Reductions during the above period	0.00	0.00
d)	Closing balance	0.00	0.00
e)	Total provisions held	0.00	0.00



ii. Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in Crore)

S. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		As on 31.03.25	As on 31.03.24	As on 31.03.25	As on 31.03.24	As on 31.03.25	As on 31.03.24	As on 31.03.25	As on 31.03.24	As on 31.03.25	As on 31.03.24
a)	PSUs	15.00	15.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	FIs	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c)	Banks	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
d)	Private Corporates	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
f)	Others	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
g)	Provision held towards depreciation	0.00	0.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total	15.00	15.00	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

e. Repo transactions (in face value terms)

As at 31.03.25

(Amount in Crore)

	Minimum out standing during the year	Maximum out standing during the year	Daily average out standing during the year	Outstanding as on 31.03.2025				
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities								
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	790.00	791.14	319.92	321.58	672.00	668.43
c) Any other securities								
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
b) Corporate debt securities								
c) Any other securities								

• FV: Fair value

• MV: Market Value

As at 31.03.2024

(Amount in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2024
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	11.94	224.83	193.60	223.80
b) Corporate debt securities				
c) Any other securities				
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	62.29	267.17	21.96	--
b) Corporate debt securities				
c) Any other securities				

f. Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As at 31.03.2025

(Amount in Crore)

	Outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31 st 2025
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL Transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



As at 31.03.2024

(Amount in Crore)

	Outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31 st 2024
Securities lent through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities borrowed through GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities placed as collateral under GSL transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities received as collateral under GSL Transactions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

20. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held as on 31.03.2025

(Amount in Rs. 000's)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	145760168.71	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	148406943.21
Opening balance from APGVB (31.12.2024)	232841132.47	2680934.66	5700004.35	8455.86	8389394.87	241230527.34
Add: Additions during the year					7429617.50	
Less: Reductions during the year					9761010.78	
Closing balance	406478016.12	3086566.03	5580104.26	38105.80	8704776.09	415182792.21
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					3412948.02	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5076017.48	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					0.00	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					1272045.28	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	478469.19	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	
Add: Fresh provisions made/added from APGVB during the year					7542416.30	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1484414.71	
Closing balance of provisions held	1249317.46	3086566.03	5580104.26	38105.80	8704776.09	
Net NPAs						
Opening Balance		0.00	0.00	0.00	0.00	
Add: Fresh additions during the year					0.00	
Less: Reductions during the year					0.00	
Closing Balance		0.00	0.00	0.00	0.00	



	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Floating Provisions						0.00
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						0.00
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						0.00
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						0.00
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.00
Closing balance						0.00

Ratios (in per cent)	As on 31.03.2025	As on 31.03.24
Gross NPA to Gross Advances	2.10%	1.78%
Net NPA to Net Advances	0.00	0.00
Provision coverage ratio	100%	100%



b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in Crore)

	Sector *	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
		Total Advances O/s	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Adv	Total Advances O/s	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Adv
A	Priority Sector						
i.	Agriculture & Allied activities	23137.47	711.36	3.07	9223.56	223.49	2.42
	KCC	13890.36	585.92	4.22	5593.95	185.76	3.32
	SHG	8809.31	113.45	1.29	3421.69	31.70	0.93
ii.	Advances to Business/ Industries eligible under PS	394.53	44.36	11.24	121.35	8.54	7.03
iii.	Services	2484.27	74.69	3.01	928.12	16.63	1.79
	Cash Credit	2484.27	74.69	3.01	928.12	16.63	1.79
iv.	Personal Loans	2810.79	8.90	0.31	1122.57	2.62	0.23
	Of which						
	Housing Loan	2760.38	7.99	0.29	1106.98	2.38	0.21
	Sub-total (A)	28827.06	839.31	2.91	11395.60	251.28	2.20
B	Non-priority Sector						
i.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
ii.	Industry	-	-	-	-	-	-
iii.	Services	-	-	-	-	-	-
iv.	Personal Loans	12691.22	31.17	0.25	3445.09	13.40	0.39
	Of which						
	Jewellery Loan*	6791.12	0.81	0.01	1672.46	0.31	0.02
	DL/CDL*	498.64	3.47	0.7	282.55	1.16	0.41
	Sub-total (B)	12691.22	31.17	0.25	3445.09	13.40	0.39
	Total (A+B)	41518.28	870.48	2.10	14840.69	264.68	1.78

* Sub-sectors with outstanding balances more than 10% of the Sector total are disclosed separately.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total Assets	NIL	NIL
Total NPA	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL



d) Particulars of resolution plan and restructuring

Details of accounts subjected to restructuring

(Amount in Crore)

		Agriculture and allied activities		Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		As on 31.03.2025	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Standard	Number of borrowers	0	Nil	Nil	Nil	0	48	354	397	354	445
	Gross Amount (crore)	0	Nil	Nil	Nil	0.00	1.19	40.81	46.34	40.81	47.53
	Provision held (crore)	0	Nil	Nil	Nil	0.00	0.12	0.16	4.63	4.08	4.75
Sub-standard	Number of borrowers	0	Nil	Nil	Nil	47	23	4	6	51	29
	Gross Amount (crore)	0	Nil	Nil	Nil	1.09	0.69	0.57	0.54	1.66	1.23
	Provision held (crore)	0	Nil	Nil	Nil	1.09	0.69	0.57	0.54	1.66	1.23
Doubtful	Number of borrowers	92	127	Nil	Nil	23	0	4	1	119	128
	Gross Amount (crore)	0.40	0.52	Nil	Nil	0.71	0	0.27	0.03	1.38	0.55
	Provision held (crore)	0.40	0.52	Nil	Nil	0.71	0	0.27	0.03	1.38	0.55
Total	Number of borrowers	92	127	Nil	Nil	70	71	362	404	524	602
	Gross Amount (crore)	0.40	0.52	Nil	Nil	1.80	1.88	41.65	46.91	43.85	49.31
	Provision held (crore)	0.40	0.52	Nil	Nil	1.80	0.81	1.00	5.20	7.12	6.53



e) Disclosure of transfer of loan exposures

In the case of stressed loans transferred or acquired, the following disclosures should be made:

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)		
(all amounts in crore)	To ARCs	To other transferees (please specify)
No: of accounts	NA	NA
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NA	NA
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA	NA
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NA	NA
Aggregate consideration	NA	NA
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA
Details of loans acquired during the year		
(all amounts in crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NA	NA
Aggregate consideration paid	NA	NA
Weighted average residual tenor of loans acquired	NA	NA

f) Fraud accounts

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Number of frauds reported	2	6
Amount involved in fraud (crore)	0.30	1.42
Amount of provision made for such frauds (crore)	0.02	0.78
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (crore)	0	0

* Total fraud amount during Dec/2024 is Rs12.24lakhs and an amount of Rs10.24lakhs was recovered and an amount of Rs. 2.00 lakhs provision was made and paid towards false PMJJBY insurance claim by debiting to Provisions.

g) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

As per RBI Circular No. RBI/2021-22/31 on "Resolution Framework 2.0: Resolution of Covid-19 related stress of Individuals and small business" dated 05.05.2021 the Bank has rescheduled 515 Housing Loan and Tractor Loan accounts amounting to Rs 5633.35 lakh - and created 10% provision of Rs 563.35 lakh during March, 2024, in accordance with the circular guidelines. Out of 515 accounts, 83 loan accounts were closed during CFY and 77 accounts with O/s Rs 211 lakh slipped into NPA for which 100% provisions were continued. Remaining 355 accounts are in Standard with O/s of Rs 3835 lakh. Out of the standard a/c's 81 customers have paid more than 30% of the loan amount and for the rest of the a/c's i.e., for 274 a/c's with o/s Rs.4081 lakh, continued provisions Rs.16.32 lakh as on 31.03.2025.

Format for disclosures to be made for year ending March 2025

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan- Position (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA	Of (A) amount written off	Of (A) amount paid by the borrowers	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the year ending March 2025
Personal Loans	4633.97	5.86	0	606.38	4021.73
Corporate persons*	0	0	0	0	0
Of which MSMEs	188.31	109.57	0	19.47	59.27
Others	0	0	0	0	0
Total	4752.28	115.43	0	555.85	4081.00

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

21. Exposures

a) Exposure to real estate sector

(Amount in Crore)

Category	As on 31.03.25	As on 31.03.24
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.	7143.73	2229.11
b) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	23.91	1.93
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – i. Residential ii. Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	NIL	NIL
Total Exposure to Real Estate Sector	7167.64	2231.04



b) Exposure to capital market

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	NIL	NIL
ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL
v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	NIL	NIL
vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	NIL	NIL
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	NIL	NIL
Total exposure to capital market	NIL	NIL

c) Risk category-wise country exposure

(Amount in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as on 31.03.2025	Provision held as on 31.03.2025	Exposure (net) as on 31.03.2024	Provision held as on 31.03.2024
Insignificant	NA	NA	NA	NA
Low	NA	NA	NA	NA
Moderately Low	NA	NA	NA	NA
Moderate	NA	NA	NA	NA
Moderately High	NA	NA	NA	NA
High	NA	NA	NA	NA
Very High	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA



d) Unsecured advances

The Bank has classified the credit facilities extended to SHGs as unsecured for the accounts sanctioned upto the limit of Rs. 10 lakh and for the accounts above sanction limit of Rs 10 lakh, 75% of the outstanding amount covered under CGFMU (Credit Guarantee Funds for Micro Units) is classified as secured and remaining as unsecured.

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total unsecured advances of the bank	6105.14	2837.69
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

e) Factoring exposures

Factoring exposures shall be separately disclosed.

f) Intra-group exposures

The following is the summary of significant related party transactions:

(Amount in Lakh)

Particulars	For the year ended 31 st March 2025	For the year ended 31 st March 2024
Refinance received from State Bank of India	NIL	NIL
Interest paid to SBI	7210.42	1682.89
Investments made with:		
SBI - in the form of STDRs	575031.68	104600.82
SBI Fund Management Private Limited	0.00	0.00
Interest received from SBI	14012.72	2970.66
Profit on sale of Investments on SBI	0.00	0.00
Contributions to Gratuity Fund with SBI Life Insurance Company Limited	7475.16	1589.12
Contributions to Group Leave Encashment Policy with SBI Life Insurance Company Limited	0.00	0.00
Contributions to Pension Trust Policy with SBI Life Insurance Company Limited on behalf of Trust	40216.76	15404.81
Current Account Balance with SBI	4846.28	3341.95
Breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL


22. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total deposits of the twenty largest depositors	5243.02	3026.53
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	16.24%	21.32%

b) Concentration of Advances

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total advances to the twenty largest borrowers	33.69	26.35
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	0.08%	0.18%

c) Concentration of exposures

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	33.69	26.35
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	0.08%	0.18%

d) Concentration of NPAs

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	13.39	3.10
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposures to total Gross NPAs.	1.53%	1.17%

23. Derivatives

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Amount in Crore)

Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i) The notional principal of swap agreements		
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Not entered into any transactions in derivatives in the current year as on 31.03.2025.	Not entered into any transactions in derivatives in the current year as on 31.03.2024.
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps		
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
v) The fair value of the swap book		



b) Exchange traded interest rate derivatives

S.no	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)		
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31 st 2025 (instrument wise)	Not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years	Not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank has not entered into any transactions in derivatives as on 31.03.2025.

ii) Quantitative disclosures

Bank has not entered into any transactions in derivatives as on 31.03.2025.

d) Credit default swaps

Not Applicable

24. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in Crore)

Sr.No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	58.18	25.75
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year ended 2025	27.43	33.76
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	0.92	1.33
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	84.69	58.18

25. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman



Sr.No		Particulars	2022-23	2023-24	2024-25
		Complaints received by the bank from its customers			
1.		Number of complaints pending at beginning of the year	0	0	9
2.		Number of complaints received during the year	103	558	1307
3.		Number of complaints disposed during the year	103	549	1289
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0	0
4.		Number of complaints pending at the end of the quarter	0	9	18
		Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman			
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	38	32	57
	5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	38	32	55
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	0	0	0
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	0	2
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0	0
Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.					

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the As on 31.03.2024	Number of complaints pending at the end of the Dec quarter	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2024-25					
Ground - 1	0	69	-14.8%	1	0
Ground - 2	1	95	-36%	2	0
Ground - 3	4	167	149%	2	0
Ground - 4	0	2	-	-	0
Ground - 5	3	136	5.4%	8	0
Others	1	838	539%	5	0
Total	9	1307	134%	18	0



Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the As on 31.03.2024	Number of complaints pending at the end of the Dec quarter	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2023-24					
Ground - 1	0	81	2600%	0	0
Ground - 2	0	150	1264%	1	0
Ground - 3	0	67	168%	4	0
Ground - 4	0	0	-100%	0	0
Ground - 5	0	129	2480%	3	0
Others	0	131	126%	1	0
Total	0	558	442%	9	0

Ground-1: ATM/DEBIT CARDS RELATED

Ground-2: Mobile/Internet/Electronic Banking Related

Ground-3: Loans and Advances

Ground-4: Levy of Charges

Ground-5: UPI Related

Others: Sought for information (Forgot MPIN/Reset of MPIN/ATM Card lost/IFS CODE ENQ, etc..)

26. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Sl.No	Penalties imposed by the Reserve Bank of India under the provisions of	Penalties
(i)	Banking Regulation Act, 1949	NIL
(ii)	Payment and Settlement Systems Act, 2007	NIL
(iii)	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	NIL
(iv)	REPO- number of instances of default as well as the quantum of penalty paid to the Reserve Bank of India	NIL


27. Disclosures on remuneration

Particulars of Managerial Remuneration :

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31 st March 2025	For the year ended 31 st March 2024
Smt Y. Sobha, Chairman	50.80	37.68
Sri. V. S Mahesh, General Manager (IT) (Till July 2023)	0.00	18.17
Smt. K.P. Shobha Rani, General Manager-IT (Till June 2024)	11.92	35.26
Sri K V Prasad, General Manager-III (Till June 2024)	13.31	34.12
Sri D. Ramesh, General Manager-II	45.20	27.45
Smt. Bharati Thayar, General Manager (Vigilance)	49.41	29.08
Sri. T. Chandra Sekhar, General Manager-I	40.16	15.78
Smt. Komanduru Lakshmi, General Manager-IT (From June 2024)	28.97	0.00
Sri. T. Sudhakar, General Manager-III (From June 2024)	28.90	0.00
Sri. V. Anil, General Manager-IV (From January 2025)	3.00	0.00
Sri. K.V. Krishna Sarma, General Manager-V (From January 2025)	3.00	0.00
Sri. S. Satish Babu, Chief Manager (Audit) (from October 2024)	13.01	0.00

28. Other Disclosures:
a) Business Ratios

Particular	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i) Interest income as a percentage to working Funds	8.53%	8.81%
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.13%	1.23%
iii) Cost of Deposits	5.57%	5.51%
iv) Net Interest Margin	3.99%	4.16%
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.81%	3.38%
vi) Return on Assets	2.10%	2.42%
vii) Business (deposits plus advances) per employee (in crore)	16.14	15.71
viii) Net Profit per employee (in crore)	0.15	0.29

b) Bancassurance business

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the years as on 31.03.2025 and as on 31.03.2024.

(Amount in Lakh)

2024-25	2023-24
1807.96	1175.15

c) Marketing and distribution

Banks shall disclose the details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by them.

(Amount in Lakh)

2024-25	2023-24
147.46	160.34

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The bank has sold and purchased following priority sector advances through Priority sector lending certificate (PSLC) in RBI's e-Kuber platform during the Nine months ended 31.03.2025 on various dates.

(Amount in Lakh)

Sale of PSLC			
	Segment	Amount	Premium Earned
	PSLC SM	699000.00	13685.00
	PSLC Agri	50000.00	135.00
	PSLC Micro Enterprise	0.00	0.00
	TOTAL	749000.00	13820.00
Purchase of PSLC:			
	Segment	Amount	Premium Paid
	PSLC GENERAL	390000.00	39.00
	PSLC Micro Enterprise	0.00	0.00
	PSLC A	0.00	0.00
	TOTAL	390000.00	39.00

e) Provisions and contingencies

(Amount in Crore)

Sl.No	Provision debited to Profit and Loss Account	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i.	Provisions for NPI	0.00	0.00
ii.	Provision towards NPA	0.00	24.51
iii.	Provision made towards Income tax	220.00	178.00
iv.	Provision for Others	0.00	0.00
V	Provision on Standard Assets	7.44	5.33
Vi	Provision on Frauds	0.02	0.00
	TOTAL	229.46	207.84

f) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in Crore)

Sr.No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	20.90*	14.82
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

* Includes payment made for e-APGVB branches for 3 months

g) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks: Nil
h) Disclosure on amortisation of additional pension liability on account of implementation of Pension Scheme in RRBs with effect from November 1, 1993:

Bank has not availed facility of amortisation of additional pension liability on account of implementation of Pension Scheme in RRBs. Pursuant to the directions given by DFS, MOF, Govt. of India vide its letter No.F.No 8/4/2024-RRB, dated 03.10.2024 through NABARD, the Bank's Board vide Circular Resolution No.60/2024, dated 04.10.2024 approved the directives concerning amendments in RRB (Employees') Pension Regulations, 2018 under the provisions of section 30 of the RRBs Act, 1976.

The amended pension regulations were notified in the official Gazette of India on 01.11.2024, as per with retrospective effect from 01.11.1993. The Bank paid 100% pension arrears to all the eligible existing pensioners/ family pensioners/resigned/ Compulsory Retirement Scheme (CRS) /removal from service as under

- In respect of 145 TGB Pensioners, Family pensioners, etc., an amount of Rs.1073 lakhs being 100% was paid through Pension Fund "Telangana Grameena Bank Employees Pension Fund Trust" during the year.
- In respect of 827 APGVB pensioners, Family Pensioners, etc., the APGVB has paid and amount of Rs.6190 lakhs before bifurcation of Assets and Liabilities of i.e before 31.12.2024 and balance amount of Rs. 5847 lakhs was paid by TGB out of from the Provisions received from APGVB during the year.

29. Except for impact of Bifurcation of APGVB between Telangana and Andhra Pradesh states as stated under Item 1 above, the previous years' figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with the current years' figures.

30. The amounts in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Rupees in thousands (000's).

As per our report of even date

For **M/s Umamaheswara Rao & Co.,**
Chartered Accountants

Firm Registration No. 004453S

For **Telangana Grameena Bank**
(CA Rakesh Bhanu Amara)

Partner (M.No. 228411)

(T. Chandra Sekhar)

General Manager-I

(Y. Sobha)

Chairman

Date: 29.04.2025

Place: Hyderabad



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్
TELANGANA GRAMEENA BANK

CULTURE OF INTEGRITY FOR NATION'S PROSPERITY

Service
Transparency
Responsive
Vigilance
Ethics
Commitment
Legacy
INTEGRITY
Politeness
Sustainability
Honesty
Valleys

VIGILANCE AWARENESS WEEK
28th Oct. to 3rd Nov. 2024

Please take 'Integrity pledge' by logging into pledge.cvb.nic.in

THE INTEGRITY PLEDGE: A COMMITMENT TO UPHOLDING THE VALUES OF INTEGRITY AND ETHICS IN ALL OUR ACTIONS.

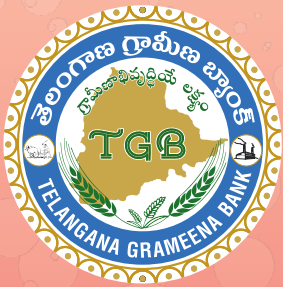


अंतर्वस्तु

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में आपका स्वागत है

यह बैंक की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट है.

बैंक ने सभी हितधारकों के सहयोग और मार्गदर्शन से इस वर्ष भी अपना सधा हुआ प्रदर्शन जारी रखा. हम इस वर्ष भी इसी सधे हुए पथ पर चलते रहेंगे.



02. प्रेषण पत्र
03. नेटवर्क और क्षेत्रीय कार्यालय
04. हमारे बारे में
05. द्विभाजन पत्र
06. सम्मेलन पत्र
07. निदेशक मंडल
08. कार्यपालक दल
09. विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंधक
10. हमारे मार्गदर्शक, विनियामक और पर्यवेक्षक
12. अध्यक्ष का संदेश
17. निदेशक की रिपोर्ट
44. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
52. तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं अनुसूचियाँ

विज़न

तेलंगाणा राज्य में बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से उन्नत, प्रतिबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनना और ग्रामीण विकास के लिए सबसे विश्वसनीय बैंक बनना.

मिशन

"100% वित्तीय समावेशन, ग्रामीण ग्राहकों के सशक्तीकरण, महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन के संवर्धन और स्वस्थ व्यापार मिश्रण के माध्यम से निरंतर लाभ अर्जित करते हुए अपने ग्राहकों को उनके द्वार पर ही समुचित लागत पर पारदर्शी और कुशल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और इस प्रकार हमारे परिचालन क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक बनना"

मूल्य

- + ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्धता
- + पारदर्शिता
- + ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता
- + टीम भावना



प्रेषण पत्र

दिनांक : 29.04.2025

सेवा में
सचिव,
वित्तीय सेवाएँ विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली.

महोदय,

20वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं इस पत्र के साथ निम्न लिखित दस्तावेज़ प्रेषित कर रही हूँ.

- 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान बैंक के कार्यकलापों और गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट.
- 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखे की प्रति.
- 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए बैंक के लेखों के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति.

भवदीय,

(वाई. शोभा)

अध्यक्ष



नेटवर्क और क्षेत्रीय कार्यालय

तेलंगाणा राज्य के सभी 33 जिलों में 934 शाखाओं के साथ कार्यरत

आदिलाबाद

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
सरस्वती भवन, निकट गांधी पार्क,
आदिलाबाद - 504 002 rmadb@tgbhyd.in

निज़ामाबाद

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म नं. 6-2-196, निकट जिला परिषद, सुभाष नगर,
निज़ामाबाद-503 002 rnmzb@tgbhyd.in

मंचिर्याल

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं. 4-56, जन्मभूमि नगर, मंचिर्याल rmmnc@tgbhyd.in

जगित्याल

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं. 3-6-92, करीमनगर रोड, बॉम्बे क्लॉथ शोरूम के सामने,
जगित्याल टाउन, जगित्याल जिला- 505327 rmjgl@tgbhyd.in

करीमनगर

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म नं.2-8-128, वार्ड नं. 2, निकट सेवन हिल्स, मुक्रमपुरा,
करीमनगर - 505 002 टेली: 0878-2249275
rmknr@tgbhyd.in

हैदराबाद-I

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं.9-27/1, ललितानगर, दिलसुखनगर,
हैदराबाद - 500 060 rmhyd@tgbhyd.in

हैदराबाद-II

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं.2-1-520, तीसरी मंजिल, स्ट्रीट नं.9, शंकरमठ रोड,
नल्लाकुंटा, हैदराबाद - 500 044 rmhyd2@tgbhyd.in

निर्मल

क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय,
म.नं. 8-1-83/2, शान्तिनगर रोड,
विनायक नगर, निर्मल - 504106 rnmirmal@tgbhyd.in

भद्राचलम (कोत्तागुडेम)

3-2-199, 2री मंजिल,
विद्यानगर कॉलनी, चुंचुपल्ली, भद्राद्री,
कोत्तागुडेम (जिला) - 507107

भुवनगिरि

घर नं.:1-3-218/1, सर्वे. नं. 1045,
प्रथम तल, विद्यानगर, भुवनगिरि,
जिला: यादद्री भुवनगिरि - 508116

खम्मम

फायर स्टेशन के पास,
निर्मल हृदय हाई स्कूल के सामने,
एनएसपी कैप, खम्मम - 507001

महबूबनगर

म.नं. : 10-4-16/4/2, 4थी मंजिल, येनुगोण्डा,
महबूबनगर - 509002

नागरकर्नूल

म.नं. : 6-72, निकट उय्यालवाड़ा,
महबूबनगर रोड, नागरकर्नूल (जिला) - 509209

नलगोण्डा

गोल्लागुड़ा, शबरी होम्स के पास,
जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने, नलगोण्डा - 508001

संगारेड्डी

5-1/28/4, 2री मंजिल, बाईपास रोड,
प्रशांत नगर, राजमपेट, संगारेड्डी - 502001

सिद्धिपेट

हाउजिंग बोर्ड कॉलनी, हैदराबाद रोड,
सिद्धिपेट, जिला: सिद्धिपेट - 502103

वरंगल

कैलाश निलयम,
सेंट पीटर्स फार्मसी कॉलेज के पास,
विद्यानगर, हनुमाकौडा (नगर और जिला) - 506001

प्रधान कार्यालय :

2-1-520, 2री मंजिल, विजय श्रीसाई सेलेस्टिया, स्ट्रीट नं.9, शंकरमठ रोड,
नल्लाकुंटा, हैदराबाद - 500 044. तेलंगाणा, भारत. टेलीफोन नं. 040-27602091
ई-मेल: tgbho@tgbhyd.in वेबसाइट: www.tgbhyd.in



बैंक की उत्पत्ति:

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक की स्थापना 24 मार्च 2006 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के साथ डेक्कन ग्रामीण बैंक के नाम से हुई थी.

यह बैंक 31.12.2024 तक अपनी 441 शाखाओं के नेटवर्क के साथ तेलंगाणा राज्य के पूर्ववर्ती 5 जिलों (आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद) में कार्य कर रहा था. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 20.10.2014 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से बैंक का नाम डेक्कन ग्रामीण बैंक से बदलकर तेलंगाणा ग्रामीण बैंक कर दिया. बाद में, प्रायोजक बैंक का नाम भी 01.04.2017 से भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया.

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) का विभाजन और एपीजीवीबी के एक भाग का तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) में विलय

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 13.11.2024 के पत्र सं.एफ.सं. 15/15/2015(ई)-आरआरबी के अनुसार, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी-तेलंगाणा राज्य में कार्यरत दूसरा आरआरबी) की आस्तियों और देयताओं को 01.01.2025 से तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया. यह प्रक्रिया विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए गठित कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार की गई.

तत्परिणामस्वरूप, तेलंगाणा राज्य में स्थित शाखाओं का तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) में समामेलन कर दिया गया, जिससे 01.01.2025 से टीजीबी का परिचालन क्षेत्र पूरे तेलंगाणा राज्य में विस्तारित हो गया है.

तदनुसार, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक अब 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और 934 शाखाओं के साथ तेलंगाणा राज्य में कार्य कर रहा है.



आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की आस्तियों और देयताओं का आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा के बीच विभाजन के संबंध में.

F. No. 15/15/2015(E)-RRB
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
RRB Section

'Jeevan Deep' Building,
Parliament Street, New Delhi,
Dated: 13 November, 2024

To

Chairman, NABARD
Head Office,
Mumbai.

Subject: Bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) between Andhra Pradesh and Telangana-reg.

Sir,

I am directed to refer to the following communication on the above cited subject and to say as under:

- Government of India Notification dated 20.10.2014 - regarding re-organisation of the area of operation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) and Telangana Grameena Bank (TGB), consequent upon bifurcation of the state of Andhra Pradesh.
- DFS letter no. 15/15/2015(E)-RRB dated 26.09.2022 - regarding constitution of a Working Group (WG) for giving effect to the bifurcation of assets and liabilities of APGVB, between the states of Andhra Pradesh and Telangana.
- NABARD's letter No. NB.HO.IDD.RRB Recap/1347/RRB-316 (Reorg WG)/2022-23 dated 28.03.2023, wherein report of the WG was submitted to GOI.
- DFS letter no. 15/15/2015(E)-RRB dated 16.05.2023, circulating the Scheme to the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, NABARD and SBI.
- Minutes of the meeting dated 04.10.2024.

2. Based on consultation with the stakeholders as referred to above, the Government has accepted the recommendations contained in report of the Working Group, with the following caveats:

- The assets and liabilities of APGVB will be bifurcated between the two states as per the audited financial position as on 31st March 2024 on the basis of the WG recommendations. Details of all the components of the assets and liabilities, to be bifurcated, would be shared with the GoAP and Telangana for reference.
- The effective date of bi-furcation shall be taken as 01.01.2025.

- Post bi-furcation, special audit shall be carried out for both banks to confirm that the balance sheet position wrt components of assets and liabilities remains mostly the same as per the audited financial position, as was on 31-03-2024. However, in any case the Working Group recommendations for bifurcation of components of the Assets and Liabilities will be adhered to.
- The assets and liabilities of APGVB Headquarters shall be apportioned between the two states on the basis of population ratio, as per the provisions of Section 53(1) of AP Re-organisation Act.
- As regards, the operational aspects related to human resources, APGVB shall call for option from their staff to choose between bifurcated APGVB and TGB and such option shall be mandatory, subject to other terms and conditions of settlement of manpower issues, as recommended by the WG.
- For overseeing implementation of the WG recommendations and removing difficulties including disproportionate option by the employees towards any particular RRB, if any, an Empowered Committee, as monitoring unit (para 6(vi) of minutes of the meeting dated 04.10.2024) shall be constituted with the following composition:

MD / DMD, SBI - Chairman
CGM(IDD), NABARD - Member
CGM, SBI - Member
Chairman, APGVB - Member
Chairman, TGB - Member
GM (In-charge of RRBs), SBI- Convenor

3. NABARD is requested to take necessary action for bifurcation of assets and liabilities of APGVB between the states of Andhra Pradesh and Telangana and ensure that the whole process is completed within this calendar year and becomes effective from 01.01.2025.

4. This office may be kept informed about the developments in the matter from time to time.

Yours faithfully,


(Kumar Shyamal Parthasarathi)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel No.- 011-23747119
e-mail: rrb-banking@nic.in

Copy to:

- Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh
- Chief Secretary, Government of Telangana
- Chairman, State Bank of India (SBI)
- Chairman, Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB)
- Chairman, Telangana Grameena Bank (TGB)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

समामेलन की अधिसूचना

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2025

S.O. 600(E).—Whereas consequent upon the bifurcation of the state of Andhra Pradesh as per the Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) notified reorganisation of area of operation of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and Telangana Grameena Bank vide notification number S.O. 2718 (E) dated the 20th October, 2014 and S.O. 2719 (E) dated the 20th October, 2014.

Whereas to give effect to the above said notifications, the Government vide letter No. 15/15/2015(E)-RRB dated the 26th September, 2022 constituted a Working Group for giving effect to the bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, between the States of Andhra Pradesh and Telangana.

Whereas the Working Group submitted its report vide National Bank for Agriculture and Rural Development's letter number NB.HOIDD.RRB Recap/1347/RRB-316 (Reorg WG)/2022-23 dated the 28th March, 2023. Whereas the Scheme was circulated to the stakeholders including the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana, National Bank for Agriculture and Rural Development and State Bank of India being the Sponsor Bank of both Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and Telangana Grameena Bank.

Whereas based on consultation with the stakeholders as referred to above, the Government has approved vide letter F.No. 15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024 the scheme for bifurcation of assets and liabilities of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank and requested National Bank for Agriculture and Rural Development to complete the whole process within the Calendar year 2024 and becomes effective from the 1st January, 2025 as per the recommendations of the Working Group.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) (hereinafter referred to as "the Act"), the Central Government hereby provides for the amalgamation of Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana pursuant to Notification No.2718(E) dated the 20th October, 2014 into a single Regional Rural Bank, of which shall come into effect on and from the 1st day of January, 2025 (hereinafter referred to as the "effective date of amalgamation") with such constitution, property, powers, rights, interests, authorities and privileges; and with such liabilities, duties and obligations as specified hereunder:-

1. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (hereinafter referred to as "the transferor Regional Rural Bank") sponsored by State Bank of India in the State of Telangana is hereby amalgamated into single Regional Rural Bank, which shall be called as **Telangana Grameena Bank** (hereinafter referred to as "the transferee Regional Rural Bank") with its head office at **Hyderabad** under the sponsorship of **State Bank of India**.

2. The authorised capital of the transferee Regional Rural Bank shall be rupees two thousand crore divided into two hundred crore number of fully paid shares of rupees ten each. The subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank shall be equal to the subscribed share capital of transferor Regional Rural Banks and, therefore, the entire subscribed share capital of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to have been transferred to and shall be deemed as subscribed share capital of the transferee Regional Rural Bank.

3. The entire share capital and share capital deposit of the transferee Regional Rural Bank shall be as under:-

1	Share Capital	
(a)	Central Government	Rupees Twenty eight crore sixty four lakh thirty four thousand seven hundred ninety only.
(b)	State Government	Rupees Eight crore fifty nine lakh thirty thousand three hundred only.
(c)	Sponsor Bank	Rupees Twenty crore five lakh four thousand three hundred fifty only.
2	Share Capital Deposit	Rupee Zero Only.

4. From the effective date of amalgamation, the transferor Regional Rural Banks viz. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana shall cease to carry on the business including that of making any payment to any depositors or discharge any liability or obligation to the creditors except to the extent as may be necessary for implementation of the provisions of the amalgamation as per this notification.

5. From the effective date of amalgamation, the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall be transferred to and shall vest in the transferee Regional Rural Bank;

(a) the undertakings of the transferor Regional Rural Banks shall include all assets, rights, powers, authorities and privileges and all property movable and immovable, cash balance, reserve funds, investments and all other rights and interest in or arising out of such property, as are immediately before the commencement of this notification, in the ownership, possession, power or control of the transferor Regional Rural Banks whether within or outside India and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind then subsisting of the transferor Regional Rural Banks;

(b) all contracts, deeds, bonds, agreements, guarantees, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatsoever nature subsisting or having effect immediately before the commencement of this notification and to which the transferor Regional Rural Banks are a party or which are in favour of the transferor Regional Rural Banks shall be in full force and effect against or in favour of the transferee Regional Rural Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in the place of the transferor Regional Rural Banks, the transferee Regional Rural Bank has been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee Regional Rural Bank;

(c) if, on the effective date of amalgamation, any suit, appeal or other proceedings of whatsoever nature in relation to any business of the transferor Regional Rural Banks are pending by, or against to, the transferor Regional Rural Banks, the same shall not abate, be discontinued or be, in any way, prejudicially affected by reason of the transfer of the undertaking of the transferor Regional Rural Banks or of anything contained in this notification but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by, or against, the transferee Regional Rural Bank;

(d) any reference to the transferor Regional Rural Banks in any agreement, contract, conveyance, assurance, power of attorney or any other document of whatsoever nature shall be deemed to be a reference to the transferee Regional Rural Bank and the rights and obligations of the transferor Regional Rural Banks shall be deemed to be the rights and obligations of the transferee Regional Rural Bank.

6. (a) In respect of every savings banks account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor Regional Rural Bank, the transferee Regional Rural Bank shall open with itself on the effective date of amalgamation a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable;

Provided that where the transferee Regional Rural Bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Sponsor Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the effective date of amalgamation within which the transferee Regional Rural Bank shall ascertain the correct balance in such account.

(b) In respect of every other liability, notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) or the Registration Act, 1908 (16 of 1908), this notification shall be sufficient conveyance, in accordance with the provisions of this notification, of the business, properties, assets and liabilities, rights, interests, powers, privileges, benefits and obligations of whatever nature of the transferor Regional Rural Banks to the transferee Regional Rural Bank.

7. (a) The operational aspects including issues relating to human resources shall be decided as per Government's instructions to National Bank for Agriculture and Rural Development vide para 2(v) of DFS letter No. F.No.15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024.

(b) For overseeing implementation of the Working Group recommendations and removing difficulties including disproportionate option by the employees towards any particular Regional Rural Bank, if any, an Empowered

Committee has been constituted by National Bank for Agriculture and Rural Development in terms of para 2(vi) of DFS letter F.No.15/15/2015(E)-RRB dated the 13th November, 2024 of Government of India.

8. The transferee Regional Rural Bank shall have the power to post or appoint the employees in the interest of the bank and the public as a whole anywhere in the entire area of operation of the transferee Regional Rural Bank.

9. The area of operation of the transferee Regional Rural Bank shall be the combined area of operation of the transferor Regional Rural Banks viz. Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana.

10. Unless otherwise expressly provided in this notification, the provisions of the Act shall have the same effect on the transferee Regional Rural Bank as if it has been established under sub-section (1) of section 3 of the Act.

[F. No. 7/6/2024-RRB(10)]

M.P. TANGIRALA, Addl. Secy.



निदेशक मंडल

श्रीमती वाई शोभा
अध्यक्ष



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) (ए)
के अंतर्गत केन्द्र सरकार के नामिती

रिक्त

रिक्त

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) (बी)
के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती

श्री उमेश रामलिंग स्वामी, सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद.



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) (सी)
के अंतर्गत नाबार्ड के नामिती

श्रीमती दीप्ति सुनिल, उप महाप्रबंधक
नाबार्ड, टीजीआरओ, हैदराबाद



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) (डी)
के अंतर्गत प्रायोजक बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के नामिती

श्री वी शिव कुमार
महा प्रबंधक, (क्षेत्रीय बैंक)
भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट कार्यालय, मुंबई



श्री प्रियव्रत मिश्र,
उप महाप्रबंधक (एबीयू),
भारतीय स्टेट बैंक, एलएचओ, हैदराबाद



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1) (ई)
के अंतर्गत राज्य सरकार के नामिती

श्री राइ रवि
अतिरिक्त सचिव
वित्त विभाग, तेलंगाणा सरकार



डॉ. बी गोपी, आईएएस
कृषि निदेशक,
तेलंगाणा सरकार





शीर्ष प्रबंधन



श्रीमती वाई शोभा
अध्यक्ष



श्री टी चंद्र शेखर
महाप्रबंधक-I



श्री डी रमेश
महाप्रबंधक-II



श्री टी सुधाकर
महाप्रबंधक-III



श्री वी अनिल
महाप्रबंधक-IV



श्री कृष्ण शर्मा
महाप्रबंधक-V



श्रीमती के लक्ष्मी
महाप्रबंधक-आईटी



श्रीमती टी भारती तायार
महाप्रबंधक-सतर्कता



क्षेत्रीय प्रबंधक

1.	सय्यद यूसुफ़	क्षेत्रीय प्रबंधक	हैदराबाद -I
2.	तूरुपु मुरली मनोहर राव	क्षेत्रीय प्रबंधक	मंचिर्याल
3.	विजय भास्कर गौड बी	क्षेत्रीय प्रबंधक	नल्गोंडा
4.	आर उदय किरण	क्षेत्रीय प्रबंधक	सिद्धिपेट
5.	गाडिला वेंकट राम रेड्डी	क्षेत्रीय प्रबंधक	हैदराबाद-2
6.	प्रेम शिव चैतन्य कुमार जी	क्षेत्रीय प्रबंधक	वरंगल
7.	धमुका प्रभुदास	क्षेत्रीय प्रबंधक	आदिलाबाद
8.	समत पिगिलि	क्षेत्रीय प्रबंधक	संगारेड्डी
9.	रंजीत वारनासी	क्षेत्रीय प्रबंधक	नागरकर्नूल
10.	नवीन कुमार पुरम	क्षेत्रीय प्रबंधक	निज़ामाबाद
11.	ए सत्यनारायणा	क्षेत्रीय प्रबंधक	महबूबनगर
12.	दुगगराजू वी एस रामा राव	क्षेत्रीय प्रबंधक	निर्मल
13.	चुंडूरु राज नरेन्द्रा	क्षेत्रीय प्रबंधक	जगित्याल
14.	एलुकुचि विजय कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक	खम्मम
15.	बडुगु बालनागु	क्षेत्रीय प्रबंधक	करीमनगर
16.	श्रीनिवास चेन्ना	क्षेत्रीय प्रबंधक	भुवनगिरि
17.	उदय मुक्तापुरम	क्षेत्रीय प्रबंधक	भद्राचलम



हमारे मार्गदर्शक



श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी

अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक



श्री अश्विनी कुमार तिवारी

प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक



श्री देबांगशु मुंशी

मुख्य महाप्रबंधक (ए एण्ड एस)
भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई

हमारे पर्यवेक्षक



श्री उदय भास्कर

मुख्य महाप्रबंधक
नाबार्ड, टीजीआरओ, हैदराबाद



बैंक का कार्यनिष्पादन एक झलक में 2024-25

I. मुख्य बातें	(₹ करोड़ में)	
	31st मार्च 2025	31st मार्च 2024
शाखाएं*	934	429
जमाराशियां	32273.02	14194.81
अग्रिम राशियां	41518.28	14840.69
कुल व्यवसाय	73791.30	29035.50
सकल लाभ	894.35	708.66
सकल अनर्जक आस्तियां	870.48	264.68
संकलित अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां	2.10%	1.78%
संकलित अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां	0.00%	0.00%
जमाराशियों की औसत लागत	5.57	5.51
अग्रिमों पर औसत प्रतिफल	9.70	9.93
निवेशों पर औसत प्रतिलाभ	7.12%	7.84%
कृषि घटक के अंतर्गत अग्रिम	24960.66	9223.56
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	90.00%	79.60%
ऋण जमा अनुपात	128.65%	104.55%
स्वाधिकृत निधियां	8431.83	2513.12
उत्पादकता		
क) प्रति शाखा	79.01	67.68
ख) प्रति कर्मचारी	16.14	15.71
आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.10%	2.42%
इक्विटी पर प्रतिलाभ	15.49%	23.41%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.15	0.29
निवल ब्याज मार्जिन	3.99%	4.16%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	25.42	20.18%
प्रावधान कवरेज अनुपात	100%	100%
निधियों की लागत	4.72%	4.83%



अध्यक्ष की रिपोर्ट



प्रिय हितधारकों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह वर्ष ग्रामीण तेलंगाणा के विकास और सेवा की हमारी यात्रा में एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है।

विलय के माध्यम से रूपांतरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन हुआ है जिसका परिचालन क्षेत्र एक जैसा है, जिससे प्रबंधन सरल हुआ और सेवा प्रदान करने में आसानी हुई है। हम अपने पूँजी आधार को बढ़ा पाए, जिससे सम्मेलित संस्था की वित्तीय स्थिरता और अनुकूलन क्षमता बढ़ी है। परिचालनों को संगठित होने और अलग-अलग प्रशासनिक संरचनाओं के कारण होने वाली अतिरिक्तताएँ दूर होने से, सम्मेलन के फलस्वरूप लागतों में बचत होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सम्मेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में निवेश कर उनका लाभ उठा सकते हैं, जिससे परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा में सुधार होगा। इस संदर्भ में, यह वर्ष हमारे बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) के तेलंगाणा के परिचालनों को टीजीबी में सम्मेलित कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप, अब हमारे परिचालनों की पदचापें पूरे तेलंगाणा राज्य में फैल गई हैं, जिसमें 934 शाखाओं और 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों का एक मजबूत नेटवर्क शामिल है। इस विस्तार से हमारी पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे हम राज्य के सभी 33 जिलों में 89 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान कर पा रहे हैं।

मजबूत व्यावसायिक वृद्धि

हमारे बैंक ने एकीकरण की चुनौतियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मजबूत प्रदर्शन किया:

- ✦ कुल व्यवसाय ₹73,791.30 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।
- ✦ जमाराशियाँ बढ़कर ₹32,273.02 करोड़ की हो गईं, जबकि अग्रिम राशियाँ बढ़कर ₹41,518.28 करोड़ की हो गईं।
- ✦ सकल लाभ ₹894.35 करोड़ का और निवल लाभ ₹675.30 करोड़ का रहा, जो सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और परिचालन दक्षता दर्शाता है।
- ✦ पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बढ़कर 25.42% हो गया, जो 99% की विनियामक अपेक्षा से काफी अधिक है, जिससे हमारी वित्तीय मजबूती परिलक्षित होती है।

प्राथमिकता क्षेत्र और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता

हमारे मिशन के अनुरूप, हमारे कुल अग्रिमों का 90% प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र मुख्य आधार बना रहा।

- ✦ कृषि क्षेत्र को प्रदान किए गए अग्रिम ₹24,960.66 करोड़ तक पहुँच गए, जिससे लगभग 15 लाख कृषक परिवारों को सहायता मिली।
- ✦ हमारे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें 1.08 लाख से अधिक समूहों को ₹10,795.97 करोड़ से अधिक का संवितरण हुआ, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग

हमने बैंक के परिचालन नेटवर्क की सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ, आईटी उत्पादों के निरंतर नवाचार और कार्यान्वयन तथा सेवाओं की डिलीवरी के लिए



स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान आईटी की अनेक नई पहलें शुरू की हैं।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित डिजिटल उत्पाद प्रारंभ किए हैं

- ❖ केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए प्रत्यक्ष सदस्यता - सभी शाखाओं के लिए अलग-अलग आईएफएस कोड
- ❖ मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली)
- ❖ रुपये संपर्क रहित डेबिट कार्ड
- ❖ यूपीआई लाइट
- ❖ डिजिटल लेनदेनों के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफआरएम)
- ❖ मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के लिए सिम बाइंडिंग सुविधा
- ❖ एनपीसीआई भारत आधार सीडिंग इनेबलर (बेस) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया
- ❖ सभी शाखाओं में माइक्रोसॉफ्ट 365 ईमेल समाधान लागू किया गया
- ❖ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, हमने 13.3 लाख से अधिक कार्ड जारी किए, जिससे कृषि ऋण तक आसान पहुँच संभव हुई।

आईबीए प्रौद्योगिकी पुरस्कार

बैंक को 24.01.2025 को मुंबई में आयोजित 20वें आईबीए प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

- ✧ सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बिक्री, भुगतान और जुड़ाव में उप-विजेता
- ✧ सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन में उप-विजेता
- ✧ सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी-युक्त बैंक में उप-विजेता
- ✧ एआई और एमएल अपनाने में सर्वश्रेष्ठ उप-विजेता

हमने 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) के 22 में से 22 परिदेयों को कार्यान्वित किया है। साथ ही हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 54 आंतरिक आईटी पहलें भी विकसित की हैं।

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा

समावेशी विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप, बैंक ने वित्तीय समावेशन में अपने प्रयासों का विस्तार किया:

- ▲ अब 33 लाख से भी अधिक पीएमजेडीवाई खाते सक्रिय हैं।
- ▲ पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकन क्रमशः 15.2 लाख, 31.9 लाख और 4.9 लाख को पार कर गए।
- ▲ 2,290 से अधिक ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) और 1,200 महिला

सीएसपी के साथ, बैंकिंग को तेलंगाणा के सुदूरतम गाँवों तक पहुँचाया गया।

- ▲ वर्ष के दौरान 7,400 से भी अधिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आस्ति गुणवत्ता

2.10% के सकल एनपीए अनुपात और शून्य के निवल एनपीए के साथ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखी गई, जो विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं और प्रभावी वसूली प्रयासों को दर्शाती है।

भविष्य की राह

वित्तीय वर्ष 2024-25 को हमारे बैंक के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। समामेलन ने समृद्ध विरासत और मजबूत ग्राहक आधार वाली संस्थाओं को एकजुट किया। यह अभिसरण एक संरचनात्मक परिवर्तन मात्र नहीं है - बल्कि यह अवसरों, अनुकूलन-क्षमता और विकास के एक नए युग की शुरुआत है।

समामेलन ने हमें अधिक शक्ति, परिमाण और व्याप्ति प्रदान किया है। व्यापक उपस्थिति, समृद्ध प्रतिभाशाली समूह और मजबूत पूँजी आधार के साथ, हम इस बात की पुनःकल्पना करने की एक अनूठी स्थिति में हैं कि बैंकिंग कैसे जीवन को प्रभावित कर सकती है और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। यह न केवल सुदृढ़ होने का क्षण है, बल्कि भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है।

विस्तारित नेटवर्क, मजबूत वित्तीय आधार और प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के साथ, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ग्रामीण समृद्धि को संवर्धित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और राज्य भर में समावेशी विकास को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, भारत सरकार, तेलंगाणा सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक और हमारे सभी मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी लगन और अथक मेहनत हमारी सफलता के पीछे की प्रेरक शक्ति रही है।

मैं, निदेशक मंडल की बैठकों के दौरान उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टि और समर्थन के लिए हमारे निदेशक मंडल की आभारी हूँ।

हम सब मिलकर एक मजबूत, अधिक अनुकूल और ग्राहक-केंद्रित तेलंगाणा ग्रामीण बैंक के निर्माण की आशा करते हैं।

वाई. शोभा


(अध्यक्ष)



प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
अ	प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक			
1	शामिल जिलों की संख्या	18	18	33
2	शाखाओं की संख्या	427	429	934
क)	ग्रामीण	316	318	640
ख)	अर्ध-शहरी	68	68	207
ग)	शहरी	31	31	68
घ)	महानगरीय	12	12	19
	अति लघु शाखाएँ	0	0	0
3	कुल कर्मचारी (प्रायोजक बैंक के कर्मचारियों को छोड़कर)	1743	1848	4571
	इनमें से अधिकारी	1104	1180	2821
4	जमा राशियाँ	12610.33	14194.81	32,273.02
	वृद्धि %	14.23%	12.56%	127.36%
5	बकाया उधार राशियाँ	5167.05	6456.97	16613.32
	वृद्धि %	28.80	24.96%	157.30%
6	बकाया सकल ऋण और अग्रिम	12893.00	14840.69	41518.28
	वृद्धि %	14.37%	15.11%	179.76%
	उपर्युक्त 6 में से, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	10160.90	11395.61	28817.99
	उपर्युक्त 6 में से, अ-प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	2732.10	3445.08	12700.49
	उपर्युक्त 6 में से, अजा/ अजजा को ऋण	2669.69	3593.27	10061.22
	उपर्युक्त 6 में से, लघु/ सीमांत किसानों/ कृषि श्रमिकों को ऋण	7150.74	7943.33	16883.46
	उपर्युक्त 6 में से, अल्पसंख्यकों को ऋण	497.88	569.78	825.91
7	ऋण जमा अनुपात %	102.24%	104.55%	128.65%
8	बकाया निवेश	2,572.49	2,383.82	5,445.25
	बकाया एसएलआर निवेश	2,512.67	2,368.82	5,430.25
	बकाया गैर-एलएलआर निवेश (टीडीआर सहित)	3,857.11	5,359.66	9,100.85
आ	औसत			
9	औसत जमा राशियाँ	11,015.35	13,453.73	18,102.51
	वृद्धि %	6.15%	22.14%	34.55%
10	औसत उधार राशियाँ	4,189.89	5,911.15	9172.21
	वृद्धि %	3.94%	41.08%	55.17%
11	औसत सकल ऋण और अग्रिम	11,779.73	13,775.94	21512.17
	वृद्धि %	13.54%	0.15	56.16%
12	औसत निवेश	4,641.16	7,120.92	9138.40
	वृद्धि %	-1.78%	53.43%	28.33%
	औसत एसएलआर निवेश	2,630.89	2,417.17	3123.96



(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
	औसत जमाराशियों के % के रूप में	23.88%	17.97%	17.26%
	औसत गैर-एसएलआर निवेश	2,010.27	4,703.75	6014.44569
	औसत जमाराशियों के % के रूप में	18.25%	34.96%	33.22%
13	औसत कार्यशील निधियाँ	17,127.39	21,859.29	32,083.04
इ	वर्ष के दौरान जारी ऋण			
14	वर्ष के दौरान जारी ऋण : (000' में)	98477335	116392318	295842757
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि %	30.32	18.19%	154.18
	उपर्युक्त 14 में से, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण (000' में)	65203294	76886497	215395575
	उपर्युक्त 14 में से, अ-प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण (000' में)	33274041	39505821	80447182
	उपर्युक्त 14 में से, अजा/ अजजा को ऋण (000' में)	23838596	20995855	100612173
	उपर्युक्त 14 में से, लघु/ सीमांत किसानों/ कृषि श्रमिकों को ऋण (000' में)	47995460	92235621	160707653
	उपर्युक्त 14 में से, अल्पसंख्यकों को ऋण (000' में)	5396558	5819615	3027446
ई	उत्पादकता			
15	प्रति शाखा	59.73	67.68	79.01
	प्रति कर्मचारी	14.63	15.71	16.14
	प्रति कर्मचारी लाभ (सकल)	0.34	0.29	0.20
उ	वसूली निष्पादन			
16	कुल			
	माँग (लाख में)	871922.00	1000757.92	1140331.17
	वसूली (लाख में)	673938.00	809429.03	973979.26
	अतिदेय (लाख में)	197984.00	191328.89	166351.92
	वसूली % (जून की स्थिति)	77.29	80.88	85.41
17	कृषि क्षेत्र			
	माँग (लाख में)	824984.00	959539.79	1097422.92
	वसूली (लाख में)	631513.00	771329.33	933833.25
	अतिदेय (लाख में)	193471.00	188210.46	163589.67
	वसूली % (जून की स्थिति)	76.55	80.39	85.09
18	कृषीतर क्षेत्र			
	माँग	46938.00	41218.13	42908.25
	वसूली	42425.00	38099.70	40146.00
	अतिदेय	4513.00	3118.43	2762.25
	वसूली % (जून की स्थिति)	90.39	92.43	93.56
ऊ	आस्ति वर्गीकरण			
19	क) मानक (लाख में)	1262917.16	1457601.69	4064780.16
	ख) अवमानक (लाख में)	11419.43	11690.83	30865.66
	ग) संदिग्ध (लाख में)	14577.14	14389.68	55081.64



(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
	घ) हानि (लाख में)	386.34	387.23	360.25
	कुल (लाख में)	1289300.07	1484069.43	4151827.92
20	बकाया सकल ऋणों और अग्रिमों के % के रूप में मानक आस्तियाँ	97.95	98.22	97.90
ए	लाभप्रदता विश्लेषण			
21	निम्नलिखित पर प्रदत्त ब्याज			
क)	जमाराशियों पर	526.88	740.86	1008.61
ख)	उधाराशियों पर	200.31	315.5	501.51
22	वेतन और भत्तों पर	261.04	306.17	554.59
23	अन्य परिचालन व्ययों पर	125.87	93.93	164.96
24	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान			
क)	अनर्जक आस्तियों के समक्ष	28.89	24.51	0
ख)	अन्य प्रावधान	33.84	5.38	7.46
ग)	परिशोधन	1.38	1.31	1.13
25	निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज			
क)	ऋणों और अग्रिमों पर	1173.46	1368.13	2087.43
ख)	एसएलआर निवेश/ अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/ गैर-एसएलआर/ माँग पर प्रतिदेय राशि/ अन्य बैंकों में टीडीआर	320.27	558.19	650.45
26	विविध आय	254.76	269.95	360.01
27	हानि/ लाभ	599.25	708.66	894.34
ऐ	अन्य सूचना			
28	प्राप्त शेयर पूँजी जमाराशियाँ	0.00	0.00	0.00
29	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम			
क)	निपटाए गए संचयी दावे	0.00	0.00	0.00
ख)	प्राप्त किंतु समायोजन लंबित दावे	0.00	0.00	0.00
ग)	निगम में लंबित दावे	0.00	0.00	0.00
30	संचयी प्रावधान	309.76	315.93	998.81
क)	अनर्जक आस्तियों के समक्ष	263.83	264.68	870.48
	मानक आस्तियों के समक्ष	42.52	47.85	124.93
ख)	अमूर्त आस्तियों, धोखाधड़ियों आदि के समक्ष	3.4	3.4	3.4
31	वर्ष के दौरान भट्टे खाते डाले गए ऋण			
क)	खातों की संख्या	9860	4749	
ख)	राशि	29.15	22.45	
32	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष			
क)	आरक्षित निधियाँ	464.69	583.31	2057.56
ख)	लाभ और हानि लेखे में शेष राशि	1501.28	1911.74	6316.98



निदेशक मंडल की रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के लिए

ग्रामीणों के जीवन को प्रकाशमान करते हुए





वर्ष 2024-25 के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट

हमें तेलंगाणा ग्रामीण बैंक की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के व्यवसाय एवं परिचालनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

II. व्यावसायिक कार्यनिष्पादन:

01.01.2025 से प्रभावी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के तेलंगाणा भाग के तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में विलय को दृष्टि में रखते हुए, इस वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यवसाय के स्तर पिछले वित्तीय वर्ष के स्तर से सीधे तुलनीय नहीं हैं। इस विलय के परिणामस्वरूप परिचालन के क्षेत्राधिकार में वृद्धि, शाखा नेटवर्क का विस्तार और व्यावसायिक पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष-दर-वर्ष तुलनात्मक स्थिति में परिवर्तन आया है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

व्यवसाय समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक का कुल कारोबार ₹73791.30 करोड़ रहा, जिसमें ₹32273.01 करोड़ की जमा राशियाँ और ₹40647.80 करोड़ के निवल अग्रिम शामिल हैं। बैंक अब 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों (पूर्ववर्ती टीजीबी के 8 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय और पूर्ववर्ती एपीजीबी के 9 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय) और 934 शाखाओं (पूर्ववर्ती टीजीबी की 441 शाखाएँ और पूर्ववर्ती एपीजीबी की 493 शाखाएँ) के माध्यम से राज्य भर में 8.9 मिलियन से भी अधिक के व्यापक ग्राहक आधार को सेवा प्रदान कर रहा है।

लाभ विश्लेषण:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹894.35 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह ₹708.66 (समामेलन - पूर्व टीजीबी) करोड़ था।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23 (समामेलन पूर्व)	2023-24 (समामेलन पूर्व)	2024-25 (समामेलन पश्चात्)
ब्याज आय	1492.35	1925.02	2736.75
ब्याज व्यय	727.18	1056.36	1513.12
गैर-ब्याज आय	254.76	269.95	397.72
गैर-ब्याज व्यय	386.91	400.11	719.54
प्रावधान और आकस्मिकताएँ	33.77	29.84	7.46
सकल लाभ (कर पूर्व लाभ)	599.25	708.66	894.35
आस्थगित कर देयता/ आस्थगित कर आस्ति	0.12	-1.58	0.95
कर व्यय	150.00	178.00	220.00
निवल लाभ	449.37	529.08	675.30

निवल ब्याज आय:

वर्ष के दौरान अर्जित कुल ब्याज आय ₹2736.75 करोड़ रही जबकि कुल ब्याज व्यय ₹1513.12 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान निवल ब्याज आय बढ़कर ₹1223.63 करोड़ हो गई जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ₹868.66 करोड़ थी।

ब्याज व्यय:

- जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज ₹1008.61 करोड़ का रहा (वित्तीय वर्ष 2024-25) जबकि गत वर्ष यह ₹740.86 करोड़ था (वित्तीय वर्ष 2023-24)।
- बैंक ने उधार राशियों (नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, मुद्रा इत्यादि से पुनर्वित्त) पर ब्याज के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹189.01 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹504.51 करोड़ का भुगतान किया जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹315.50 करोड़ था।

परिचालन व्यय:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन व्यय ₹719.54 करोड़ रहा जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ₹400.11 करोड़ था।

ब्याज आय:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ब्याज आय बढ़कर ₹2736.75 करोड़ हो गई जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹1925.02 करोड़ थी।
- बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में ऋण और अग्रिमों से ₹2087.43 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1368.13 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की थी।
- निवेशों से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2024-25 में ₹649.32 करोड़ तक पहुँच गई जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह ₹556.89 करोड़ थी।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात:

- बैंक ने 31.03.2024 तक की स्थिति के 20.18% की तुलना में 31.03.2025 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार 25.42% का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) दर्ज किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से काफी अधिक है और जो बैंक की मजबूती दर्शाता है।

अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान:

बैंक ने 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के रूप में ₹870.47 करोड़ का संचयी प्रावधान किया है (इसमें मानक आस्तियों पर ₹124.93 करोड़ का संचयी प्रावधान शामिल नहीं है)।



(₹ लाख में)

आस्तियाँ	2023-24		2024-25	
	बकाया	प्रावधान	बकाया	प्रावधान
मानक	14576.01	47.85	40647.80	124.93
अवमानक	116.91	116.91	308.66	308.66
अशोध्य और संदिग्ध	143.90	143.90	558.01	558.01
हानि	3.87	3.87	3.81	3.81
कुल	14840.69	312.53	41518.28	995.41

शेयर पूँजी और प्रदत्त पूँजी:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015, 2015 की सं.14 दिनांक 12/05/2015 के अनुसार, बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹2,000 करोड़ है। बैंक की अभिदत्त प्रदत्त शेयर पूँजी ₹57.28 करोड़ (₹10/- प्रति शेयर के 5,72,86,944 इक्विटी शेयर) है जिसमें भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में अंशदान दिया गया।

(₹ करोड़ में)

शेयर धारक	प्रदत्त पूँजी
भारत सरकार	2,864.35
तेलंगाणा सरकार	859.30
भारतीय स्टेट बैंक	2,005.04
कुल	5728.69

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष:

इस वर्ष के दौरान ₹675.30 करोड़ का निवल लाभ (कर पश्चात्) अर्जित किया गया, जिसमें से ₹135.06 करोड़ की राशि को सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित किया गया, ₹20 करोड़ की राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित किया गया और ₹520.24 करोड़ की राशि को लाभ और हानि लेखों में आगे ले जाया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार कुल आरक्षित निधियाँ और अधिशेष निधियाँ ₹8374.54 करोड़ रहीं जबकि गत वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार ये ₹2495.05 करोड़ थीं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2025
शेयर पूँजी	18.07	57.29
शेयर पूँजी जमा	0.00	0.00
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2495.05	8374.54
कुल	2513.12	8431.83

जमाराशियाँ:

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशियाँ ₹32,273.01 करोड़ की रहीं जबकि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ये ₹14,194.81 करोड़ की थीं।

जमा सम्मिश्र:

चालू खाता बचत खाता (कासा) जमाराशियाँ 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹12112.21 करोड़ तक पहुँच गईं जबकि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ये ₹5142.04 करोड़ की थीं। मीयादी जमाराशियाँ 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹20160.81 करोड़ के स्तर तक पहुँच गईं जबकि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ये ₹9052.77 करोड़ की थीं।

(₹ करोड़ में)

जमा सम्मिश्र	विव 2023-24	विव 2024-25
चालू खाता	148.69	423.89
बचत बैंक खाता	4993.35	11688.32
कुल चालू खाता बचत खाता	5142.04	12112.21
मीयादी जमाराशियाँ	9052.77	20160.81
कुल जमाराशियाँ	14194.81	32273.02

उधारराशियाँ:

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक की संकलित उधारराशियाँ ₹16613.32 करोड़ की रहीं जबकि 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ये ₹6456.97 करोड़ की थीं।

(₹ करोड़ में)

संस्था	31.03.2024 तक बकाया	31.03.2025 तक बकाया
नाबार्ड - एसटीएसएओ	600.00	591.00
नाबार्ड - योजनाबद्ध	3521.86	6656.85
नबार्ड - एसएसएओ	1200.00	5700.00
मुद्रा	0.00	9.73
एनएसएफडीसी	7.31	4.89
उप-जोड़	5329.17	12962.47
एनएसकेएफडीसी/ एनएसटीएफडीसी	1.92	2.17
एनएचबी	230.53	421.99
एनबीसीएफडीसी	6.19	5.51
कुल पुनर्वित्त	5567.81	13392.14
एसबीआई से मीयादी जमाराशियाँ पर ओडी	889.16	2549.18
आरबीआई (एमएसएफ)		672.00
कुल उधारराशियाँ	6456.97	16613.32

आस्तियां:

निवेश:

समामेलन के बाद बैंक का निवेश पोर्टफोलियो 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹2383 करोड़ से बढ़कर 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹5445.25 करोड़ हो गया।



अन्य बैंकों में मीयादी जमाराशियां:

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अन्य बैंकों के साथ मीयादी जमाराशियां बढ़कर ₹ 9085.85 करोड़ की हो गई जबकि पिछले वर्ष इनका स्तर ₹5344.66 करोड़ का था।

निवेश नीति:

बैंक की निवेश नीति तैयार की हुई है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशनिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है / इसमें संशोधन किए जाते हैं और निदेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है।

एसएलआर निवेश:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की शर्तों के अनुसार, एसएलआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने नीति में वर्णित क्षेत्रों में निवेश किए हैं। सभी एसएलआर निवेश केवल भारत सरकार/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ही किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का कार्य भारतीय स्टेट बैंक के पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ विभाग द्वारा किया जाता है।

गैर-एसएलआर निवेश:

गैर-एसएलआर निवेशों को म्यूच्युअल फंडों और बॉण्डों में निवेश किया जाता है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों/ बॉण्डों से प्राप्त होने वाले ब्याज की तत्काल प्राप्ति के लिए अनुप्रवर्तन और अनुवर्ती कार्रवाई करता रहता है। गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो से आय के रिसाव का कोई भी दृष्टांत नहीं था।

सीआरआर और एसएलआर:

बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के रूप में पर्याप्त शेष राशियाँ बनाए रखने की विनियामक अपेक्षा का अनुपालन किया है। बैंक में एनडीटीएल को ध्यान में रखते हुए सीआरआर और एसएलआर अपेक्षाओं का आकलन करने की एक अच्छी व्यवस्था विद्यमान है। पर्याप्त शेष राशियों के रखरखाव में वर्ष के दौरान कोई भी चूक नहीं हुई है। बैंक ने 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सीआरआर में ₹ 1423 करोड़ की राशि और एसएलआर में ₹ 5585.52 करोड़ (इसमें एसएलआर निवेश, हाथ में रोकड़ और चालू खातों में निवल शेषराशियाँ शामिल हैं) की राशि रखी है।

III. ऋण पोर्टफोलियो:

एपीजीवीबी के तेलंगाणा भाग के टीजीबी में समामेलन के फलस्वरूप, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के सकल अग्रिम ₹41518.28 करोड़ (निवल अग्रिम ₹ 40647.80 करोड़) के रहे जबकि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ये ₹ 14840.69 करोड़ के थे।

कृषि को ऋण:

वर्ष के दौरान, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत संवितरण ₹ 18675.81 करोड़ के स्तर तक पहुँच गए जबकि पिछले वर्ष के दौरान ये ₹ 6617.12 करोड़ के थे। कृषि में बैंक के उधारकर्ताओं की कुल संख्या 14,75,659 है। एसएचजी वित्त के लिए 80% से अधिक का ऋण भी कृषि कार्यों के लिए था।

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के अंतर्गत फसल ऋण:

भारत सरकार और नाबार्ड के निदेशों के अनुसार, हमने खरीफ 2012 से फसल ऋण उधारकर्ताओं के लिए संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली कार्यान्वित की है। हमने 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹ 13890.36 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 1330351 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जबकि पिछले वर्ष ₹ 5593.94 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 530813 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। वर्ष 2024-25 के दौरान हमने 987781 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ₹ 9879.04 करोड़ की राशि का संवितरण किया है जबकि पिछले वर्ष 417382 कार्ड धारकों को ₹ 4337.06 करोड़ की राशि संवितरित की थी।

स्वयं सहायता समूह:

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंक का बकाया एसएचजी पोर्टफोलियो 171154 खातों के साथ ₹ 10857.88 करोड़ का रहा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 108775 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 10795.97 करोड़ की राशि संवितरित की।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) – आजीविका – ब्याज सहायता योजना:

एनआरएलएम के तहत, बैंक ने सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की ब्याज दर पर ₹ 3.00 लाख तक की सीमा तक ऋण प्रदान किया और 10% की ब्याज दर पर ₹ 3.00 लाख से ₹ 5.00 लाख तक की सीमा के बीच ऋण प्रदान किया।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरण:

बैंक के कुल अग्रिमों में 90.00% हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों का रहा जबकि पिछले वर्ष इनका हिस्सा 79.60% था। मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण ₹ 28817.99 करोड़ के रहे जबकि 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ये ₹ 11395.61 करोड़ के थे। कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए ऋण ₹ 23301.97 करोड़ के रहे, जो कुल ऋण का 36.50% बनते हैं।

राज्य ऋण योजनाओं के प्रतिभागिता

राज्य की ऋण योजनाओं में बैंक की प्रतिभागिता निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2024 - 25	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	फसल ऋण	18999.80	9879.10
2	कुल कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	7500.48	8781.79
3	कृषीतर क्षेत्र	3343.09	1893.26
4	अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	436.86	985.41
	कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	30280.23	21539.56
5	अ-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2175.50	8044.80
	कुल ऋण संवितरित	32455.73	29584.36



वर्ष के दौरान संवितरित ऋण:

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 29584.36 करोड़ की राशि का संवितरण किया जबकि पिछले वर्ष ₹ 11064.01 करोड़ की राशि का संवितरण किया था। इनमें से, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संवितरण ₹ 21539.56 करोड़ के रहे जबकि पिछले वर्ष ये ₹ 7593.00 करोड़ के थे और कुल संवितरणों में इनका योगदान क्रमशः 72.81% और 68.63% रहा।

खुदरा ऋण वितरण:

समामेलन से दोनों बैंकों के बीच महत्वपूर्ण तालमेल बना जिससे विस्तारित इकाई को प्रणालियों, प्रक्रियाओं और ग्राहक पहुँच में संयुक्त शक्तियों का लाभ उठाने में मदद मिली है। इन तालमेलों के परिणामस्वरूप खुदरा ऋण में मजबूती आई है, जिनमें आवास, वाहन, शिक्षा और वैयक्तिक ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में प्राप्त गति, एकीकरण के लाभों, बेहतर परिचालन दक्षता और सामामेलन से उत्पन्न बेहतर ग्राहक जुड़ाव को दर्शाती है। खुदरा और एमएसएमई घटक में कार्य-निष्पानदन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	31.03.2024 तक बकाया		31.03.2025 तक बकाया	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	आवास ऋण	11414	2023.12	33887	6507.67
2	बंधक ऋण	1053	126.61	2780	311.51
3	शिक्षा ऋण	276	17.49	1092	103.41
4	माँग ऋण	11365	189.57	14462	308.23
5	कृषीतर क्षेत्र – मीयादी ऋण / एमएसएमई	79083	1049.48	258858	2878.79
6	वैयक्तिक ऋण	8511	527.55	21510	1462.02
7	वैयक्तिक स्वर्ण ऋण	165234	1672.46	577339	6791.12
	कुल	276936	5606.28	909928	18362.75

ऋण और अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	घटक	31 मार्च 2024		31 मार्च 2025	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
	अ) कृषि क्षेत्र				
1.	फसल ऋण	530813	5593.95	1330351	13890.36
2.	कृषि मीयादी ऋण	6335	20792.61	10447	437.79
3.	स्वयं सहायता समूह	59284	342169.02	134861	8809.26
	कुल कृषि क्षेत्र	596432	9223.56	1475659	23137.41
	आ) कृषीतर क्षेत्र				
4.	जीसीसी	16	0.03	04	0.01
5.	मीयादी ऋण (व्यवसाय)	35583	907.18	81335	2419.22
6.	आवास ऋण	8700	1106.98	22503	2760.38
7.	नकदी ऋण	43484	142.27	177519	459.56
8.	शिक्षा ऋण	261	15.59	861	50.41
	कुल कृषीतर क्षेत्र (प्राथमिकता-प्राप्त)	88044	2172.05	282222	5689.59
	कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	684476	11395.61	1757881	28826.99
	इ) अ-प्राथमिकता-प्राप्त				
9.	स्वर्ण ऋण	165234	1672.46	577339	6791.12
10.	माँग ऋण + सीके + स्टाफ ऋण + आवास ऋण* (एनपी) + ईएल* (एनपी) + टीएल* (एनपी)	23658	1761.77	50367	5882.03
11.	अन्य	358	10.86	558	18.13
	कुल गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	189250	3445.09	628264	12691.29
	कुल योग (अ+आ+इ)	873726	14840.69	2386145	41518.28



एमएस इनावोल एफपीओ को ₹ 6,48,000 की राशि का ड्रोन ऋण



आरबीओ द्वारा श्री पी. देवेंद्र राव को ₹29,00,000 का हार्वेस्टर ऋण मंजूर



हमारे सिरसिल्ला शाखा, जगतियाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पावरलूम्स यूनिट को ऋण देना



हमारे मांचेरियल शाखा, मांचेरियल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अन्नपूर्णा मिलेट्स यूनिट को ऋण प्रदान करना



हमारे जहीराबाद शाखा, सांगरेड्डी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हार्वेस्टर यूनिट को ऋण देना



सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

हमारा बैंक सीजीटीएमएसई का सदस्य है और एमएसएमई के अंतर्गत ऋणों के लिए ऋण गारंटी का उपयोग कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ऋण, जिनमें खुदरा व्यापार अग्रिम और छोटे सड़क और परिवहन ऋण भी शामिल हैं, के ₹200.00 लाख तक की सीमा के ऋण सीजीटीएमएसई का गारंटी कवर प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं।

अब तक सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत कवर किए गए ऋण खातों के विवरण निम्नासनुसार हैं:

(₹ लाख में)

ऋण गारंटी का नाम	वर्ष 2024-25 के दौरान		संचयी	
	खातों की संख्या	राशि ₹	खातों की संख्या	राशि ₹
सीजीटीएमएसई	6038	2729.14	11060	4207.09
सीजीएफएमयू	100129	468061.85	203867	836006.51

आस्ति गुणवत्ता - अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन

बैंक ने अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जो अब ₹870.48 करोड़ (सकल) की रह गई हैं - जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल अग्रिमों का 2.10% है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ये कुल अग्रिमों का 1.78% थीं।

निवल अनर्जक आस्तियाँ अब शून्य हैं जबकि 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार ये 0.00% थीं। बैंक ने अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित रखने के लिए केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया और समुचित रणनीतियाँ कार्यान्वित की है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियाँ ₹ 870.48 करोड़ हैं जबकि 31.03.2024 तक ये ₹ 264.68 करोड़ थीं।

सरफेसी अधिनियम और मुकदमा दायर करना

खाते के अनर्जक आस्ति बन जाने के तुरन्त पश्चात् सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी की गई थी। इसकी निगरानी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक अंतरालों में की गई। इस संबंध में हमारी कार्रवाइयों के अच्छे परिणाम निकले हैं। हमने सरफेसी के तहत विशेष रूप से प्रत्यक्षदर्शी कार्रवाइयाँ कीं।

प्रत्येक क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की निगरानी करने के प्रयोजन से अनन्य रूप से एक डेस्क. अधिकारी को तैनात किया गया है। यह अधिकारी सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने, मुकदमा दायर करने, वाहनों को जब्त करने आदि के साथ-साथ मुकदमा दायर मामलों को बंद करने, एयूसीए वसूली इत्यादि सुनिश्चित करता है।

वापस लिए गए कर्जों और मुकदमा दायर खातों में वसूली पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुकदमों के निपटान में तेजी लाने के लिए सभी क्षेत्रों में अधिवक्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

सरफेसी के तहत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है

	खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
प्रारंभ कुल सरफेसी	622	92.80
नियमित किए गए	516	79.01
वर्ष के अंत में बचे हुए	106	13.79
उपर्युक्त में से		
जारी माँग नोटिसें	27	2.61
जारी कब्जा नोटिसें	63	8.56
कब्जे में लिए गए	16	2.62

मुकदमा दायर मामलों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है

	खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मुकदमा दायर	1154	36.17
डिक्री प्राप्त	556	17.76
बेदखली याचिका दायर	114	5.58
मुकदमा दायर करने के पश्चात् वसूली	205	6.02

अनर्जक आस्तियों को कम करने/ रोकने के लिए निम्नानुसार रणनीतियाँ अपनाई गईं:

1. प्रत्येक क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों की निगरानी करने के प्रयोजन से अनन्य रूप से एक डेस्क अधिकारी को तैनात किया गया है जो सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने, मुकदमा दायर करने, वाहनों को जब्त करने आदि के साथ-साथ मुकदमा दायर मामलों को बंद करने, एयूसीए की वसूली इत्यादि सुनिश्चित करता है।
2. ₹5.00 लाख और उससे अधिक की अनर्जक आस्तियों का अनुप्रवर्तन संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है।
3. एक समीक्षा तंत्र की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ प्रबंधक (व्यवसाय) और क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
4. फसल ऋण के समय पर नवीकरण के फायदों - जैसे वित्तमानों का बढ़ना, फसल बीमा सुविधा, भारत सरकार से ब्याज सहायता प्रोत्साहन और वड्डी लेन ऋणालु और अन्य सरकार प्रायोजित योजनाओं - पर प्रकाश डालते हुए सभी गाँवों में बैठकों के



आयोजन, वॉल पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाने के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

- अनर्जक आस्तियों की निगरानी और उन्हें कम करने के लिए शीर्ष प्रबंधन ने क्षेत्रीय प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों (व्यवसाय), वसूली अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों से छोटे-छोटे अंतरालों में आवधिक रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित कीं।
- क्षमता निर्माण करने और अनर्जक आस्तियों में कमी लाने के लिए कार्यनिष्पादन का अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारियों को शामिल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में पाँच से छह क्लस्टर बनाए गए हैं।
- अतिदेय बन चुके निजी स्वर्ण ऋणों से संबंधित स्वर्णाभूषणों की मासिक अंतरालों में नीलामी आयोजित की गई।

आस्ति वर्गीकरण

आस्तियाँ	2024-25	
	बकाया	%
मानक	40647.80	97.90
अवमानक	308.66	0.74
अशोध्य और संदिग्ध	558.01	1.34
हानि	3.81	0.01
कुल अनर्जक आस्तियाँ	870.48	2.10
कुल	41518.28	100.00

IV. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा और निरीक्षण

बैंक की सभी गतिविधियाँ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के अधीन आती हैं, जिसके अंतर्गत अलग-अलग प्रकार की लेखापरीक्षाएँ की जाती हैं:

जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरएफआईए)

हमारे प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के सुझावों के अनुसरण में बैंक में अक्तूबर 2011 से जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

लेखापरीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रायोजक बैंक के सुझाव के अनुसार दिनांक 08.12.2017 से बैंक में आरएफआईए का नया प्रारूप प्रारंभ किया गया जिसमें रेटिंग प्रणाली के मानदंड-वार अंक निम्नानुसार हैं:

संशोधित रेटिंग	अंकों का दायरा
अच्छी तरह से नियंत्रित – ए+	>=850
पर्याप्त रूप से नियंत्रित – ए	>=700 और <850
साधारण रूप से नियंत्रित – बी	>=600 और <700
असंतोषजनक नियंत्रण – सी	<600

प्रत्येक मापदंड के अंतर्गत आबंटित अंकों को भी निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

क्र.सं.	मापदंड	संशोधित प्रारूप के अंक
1	व्यवसाय विकास	100
2	ऋण जोखिम प्रबंधन	450
3	परिचालन जोखिम प्रबंधन	410
4	बाह्य अनुपालन	30
5	स्वयं-लेखापरीक्षा	10

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) रिपोर्ट के संशोधित प्रारूप को, आईएस और आईटी जोखिम संवीक्षा शामिल करते हुए उसे उसी वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान कार्यान्वित किया गया था।

अच्छी तरह से 'नियंत्रित - ए+' और 'पर्याप्त रूप से नियंत्रित - ए' रेटिंग प्राप्त करने वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा पिछली लेखापरीक्षा की तिथि से 18 महीनों के अंदर की गई जबकि 'साधारण रूप से नियंत्रित-बी' और 'असंतोषजनक नियंत्रण-सी' रेटिंग वाली शाखाओं की लेखा परीक्षा एक वर्ष (12 महीनों) के अंदर ही की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा होनी थी उनमें से 537 (एएमएच सहित) शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इन शाखाओं को प्रदान की गई रेटिंग निम्नाशुनुसार है:

रेटिंग	2024-25 के दौरान लेखापरीक्षित 537 शाखाओं (एएमएच और शाखाएँ) में से
अच्छी तरह से नियंत्रित – ए+	358
पर्याप्त रूप से नियंत्रित – ए	178
साधारण रूप से नियंत्रित – बी	01
असंतोषजनक नियंत्रण - सी	0
सेवा शाखा को रेटिंग नहीं	0
कुल	537

लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टों को बंद किया गया/ जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, सुधारात्मक उपाय किए गए। लेखापरीक्षा विभाग ने बैंक में प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने परिचालन, निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के संचालित किए हैं।

संगामी लेखापरीक्षा

हमारे बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में, नाबार्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से संगामी लेखा परीक्षा प्रारंभ की गई। वर्तमान में त्रिसठ (63) लेखापरीक्षकों की सहायता से 343 शाखाओं और 58 हबों में संगामी लेखापरीक्षा संपन्न की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में संगामी



लेखापरीक्षा के अधीन हमने बैंक के ऋण एवं अन्य एक्सपोजरों के कम से कम 50% हिस्से को कवर करने के लिए बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है।

संगामी लेखापरीक्षा की व्याप्ति की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई कि उसके अधीन निम्न लिखित ओआरएम और सीआरएम क्षेत्र शामिल हो जाएँ, यथा

- (क) नकदी का रखरखाव,
- (ख) प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा,
- (ग) विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग,
- (घ) विविध और उच्चत खाते,
- (ङ) समाशोधन अंतर,
- (च) तुलनपत्रेतर मर्दे, सुरक्षा संबंधी पहलू, आस्तियों की गुणवत्ता का सत्यापन, नाबार्ड/ आरबीआई दिशानिर्देशों की अनुपालना इत्यादि।

इसके अतिरिक्त दक्षता का स्तर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गई हैं:

अनुपालना लेखापरीक्षा

गत वर्ष की आरएफआईए शाखाओं में से 10% शाखाओं को अनुपालना लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूची के अनुसार 380 (68.96%) शाखाओं में अनुपालना लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

वेबकास (वेब आधारित संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली)

सभी चयनित इकाइयों में संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली के प्रभावी अनुप्रवर्तन और कामकाज के उद्देश्य से बैंक में 07.10.2023 को एक ऑनलाइन वेब आधारित संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी, जो अब स्थिर रूप से कार्य कर रही है और संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा निरंतर आधार पर इसका उपयोग किया जा रहा है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 343 शाखाओं में 63 संगामी लेखा परीक्षकों (सीए) द्वारा ऑनलाइन डब्ल्यूबीसीएस एप्लिकेशन के माध्यम से संगामी लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल व्यवसाय का 61.29% शामिल है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 50% के मानदंड से अधिक है।

ओटीएमएस (ऑफलाइन लेनदेन अनुप्रवर्तन प्रणाली)

धोखाधड़ियों को रोकने/ हानियों को कम से कम रखने के लिए, हमारे बैंक में 12.02.2024 से ओटीएमएस (ऑफसाइट लेनदेन अनुप्रवर्तन प्रणाली) एप्लिकेशन कार्यान्वित किया गया था। ओटीएमएस द्वारा विचलित/ संदिग्ध लेनदेनों/ अपवादों के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं जिनपर शाखाओं/ आरबीओ द्वारा निरंतर आधार पर कार्रवाई की जानी होती है।

हमारे बैंक ने ए एण्ड एस विभाग, एसबीआई, सीसी, मुंबई द्वारा अग्रेषित अपवादों की सूची में से 34 अपवादों की पहचान की है। इन 34 अपवादों में से 7 अपवाद दैनिक रूप से, 18 अपवाद साप्ताहिक रूप से, एक (1) अपवाद पाक्षिक रूप से और 8 अपवाद मासिक रूप से जनरेट होते हैं।

इन अपवादों पर आरबीओ द्वारा अपनी संबंधित शाखाओं के साथ दैनिक आधार पर सुधार/ समापन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय, निरंतर आधार पर लंबित ओटीएमएस एलर्टों को बंद/ ठीक करने के लिए, आरबीओ/ शाखाओं के साथ अनुप्रवर्तन करता है।

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति

यह निदेशक मंडल की एक उप-समिति है जो आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है और बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रकटनों, अनुपालना और जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है। भारतीय स्टेट बैंक के दो नामिती निदेशकों और भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के नामिती निदेशकों के सदस्यों के रूप में लेखापरीक्षा समिति गठित होती है। निदेशक मंडल के वरिष्ठतम निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें रोटेशन के आधार पर वार्षिक रूप से बनाया जा सकता है। समिति की तिमाही अंतरालों में बैठकें होती हैं, यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो बैठकें जल्दी-जल्दी भी होती हैं। समिति निम्नीलिखित क्षेत्रों की समीक्षा करती है:

- विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं के आयोजन और उनकी अनुपालना की स्थिति।
- (क) जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षाओं (ख) उच्चत लेखापरीक्षा रिपोर्टों (ग) संगामी लेखापरीक्षा आदि में पाई गई सामान्य अनियमितताएँ।
- क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के अन्य विभागों की लेखापरीक्षा
- वर्ष के दौरान की गई विशेष लेखापरीक्षाएँ, यदि की गई हों तो।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई, विशेष रूप से “असंतोषजनक” शाखाओं और बड़ी शाखाओं तथा साथ ही संगामी लेखापरीक्षा के प्रेक्षकों की समीक्षा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा बड़ी शाखाओं की जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित की गई अनियमितताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- ऐसी शाखाएँ जहाँ लेखापरीक्षा की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है।
- नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन लेखापरीक्षा, आरएफआईए, उच्चत लेखापरीक्षा रिपोर्टें, सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुपालना।



- लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर असंतोषजनक अनुपालना प्रस्तुत करने, अनुपालना प्रस्तुत करने में देरी करने और कमियों को ठीक न करने के लिए जवाबदेही तय करना.
- बाद में सामने आने वाली गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने में आंतरिक निरीक्षणकर्ता अधिकारियों/ सांविधिक लेखापरीक्षकों की ओर से होने वाली चूक की समीक्षा.
- बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से और बैंक द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों अथवा संभावित जोखिमों पर ध्यान देने हेतु लेखांकन नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों/ तंत्र नियंत्रण प्रणालियों की आवधिक समीक्षा.
- वित्तीय स्थिति – तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता विवरण और प्रकटन.
- आंतरिक रखरखाव (हाउसकीपिंग) की स्थिति और अंतर कार्यालय समाधान (बीसीजीए) और बकाया प्रविष्टियाँ.
- संगामी लेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियों को धारण करने का प्रमाणन.
- प्रकाश में आई/ नाबार्ड/ आरबीआई को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की स्थिति.

अन्य प्रशासनिक इकाइयों की लेखापरीक्षा

प्रबंध लेखापरीक्षा

हमारे बैंक की प्रबंध लेखापरीक्षा हमारे बैंक के प्रायोजक बैंक यानी एसबीआई द्वारा की जाती है. नवीनतम प्रबंध लेखापरीक्षा 15.07.2024 को की गई थी और बैंक को 72.34 अंकों के साथ 'ए-' रेटिंग प्रदान की गई है. हमने प्रबंध लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी अनुपालना निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी है.

नाबार्ड द्वारा निरीक्षण

नाबार्ड द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है. नाबार्ड द्वारा पिछला निरीक्षण बैंक की 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति के अनुसार किया गया था और 76.59 अंकों के साथ "ए" के रूप में अनुपालना रेटिंग प्रदान की गई है. पर्यवेक्षकीय रेटिंग अभी प्राप्ति होनी शेष है.

सांविधिक लेखापरीक्षा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार बैंक से यह अपेक्षित है कि वह भारत सरकार के अनुमोदन से, अपने यहाँ खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा करवाने के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करे.

तनुदुसार, वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं. को सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है.

नाबार्ड द्वारा दिनांक 17.04.2025 के अपने पत्र संदर्भ सं. राबैं.आईडीडी. आरआरबी- नीति/10313/323(सी) /2025-26 के माध्यम से संसूचित दिशानिर्देशों के अनुसरण में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बैंक की 601 शाखाओं और प्रधान कार्यालय की लेखापरीक्षा संपन्न की और बैंक की लेखा बहियों के समग्र रखरखाव के प्रति संतोष व्यक्त किया.

V. वित्तीय समावेशन योजना

01.01.2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के तेलंगाणा भाग का तेलंगाणा ग्रामीण बैंक में विलय होने के फलस्वरूप, नीचे दिए गए क्षेत्रों में परिलक्षित स्तर पिछले वित्तीय वर्ष के साथ सीधे तुलनीय नहीं हैं.

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) पहलों के तहत कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है

वित्तीय समावेशन योजना पहल	31.03.2024 तक की स्थिति	31.03.2025 तक की स्थिति
प्रधान मंत्री जन धन योजना खाते (सं.)	17,33,559	33,38,373
खोले गए बचत बैंक - वित्तीय समावेशन खाते (सं.)	2,61,456	3,94,305
सक्रिय किए गए रुपये डेबिट सह एटीएम कार्ड (सं.)	1,65,515	5,43,960
बचत बैंक-वित्तीय समावेशन में बकाया राशि (₹ लाख में)	4181.16	3622.11
जारी रुपये - केसीसी कार्ड (सं.)	3,83,008	14,26,570
वर्ष 2023-24 में शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता जागरूकता बैठकें (वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा आयोजित बैठकों के अतिरिक्त)	5,628	7,427
आरबीआई शिविर - वित्तीय साक्षरता सप्ताह	427	933
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – बीमा नामांकन (सक्रिय)	4,70,187	15,20,493
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना – बीमा नामांकन (सक्रिय)	8,77,413	31,88,994
अटल पेंशन योजना – नामांकन – वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान	51,142	92,989
अटल पेंशन योजना – नामांकन - (संचयी)	2,10,959	4,88,889

सरकार ने बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) की शुरुआत की है, जो बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करने, निधिरहित लोगों का निधीयन करने और अ-सेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों की सेवा करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है.

बैंक भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) को



सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है. तेलंगाणा राज्य के 33 जिलों के 3930 बैंक रहित गाँवों को 2290 ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) की मदद से बैंक की एफआईपी के तहत कवर किया गया है. ये 2290 ग्राहक सेवा बिंदु माइक्रो-एटीएम की मदद से दूरदराज और बैंकिंग सुविधा से वंचित गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.

ग्राहक सेवा बिंदु पर उपलब्ध सेवाएँ

1. खाता खुलवाना (एसबी/ आरडी/ टीडीआर),
2. वित्तीय लेनदेन,
3. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
4. एनपीए/ एयूसीए वसूली,
5. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई,
6. एसबीआई लाइफ/ एसबीआई जनरल/ ऋणों का लीड जनरेशन.



हमारे ग्राहक सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि ग्राहकों को निर्बाध और गुणात्मक सेवाएँ प्रदान की जा सकें. 1266 ग्राहक सेवा प्रदाताओं ने बीसी प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है. 173 ग्राहक सेवा प्रदाता डीआरए (ऋण वसूली एजेंट) प्रमाणित हैं.

महिला ग्राहक सेवा प्रदाता:

हमारे बैंक के साथ 1200 महिला सीएसपी कार्यरत हैं जो कुल ग्राहक सेवा प्रदाताओं का 52.40% हैं. महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य को सीएसपी के रूप में नियुक्त करने की बैंक में नीति विद्यमान है.

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग उत्पादों का प्रचार-प्रसार और ग्राहक सेवा प्रदाताओं की भूमिका को प्रकाशमान करने के लिए शाखाएँ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित कर रही हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड की अनुदान सहायता से 5890 एफडीएलसी बैठकों का आयोजन किया गया.

एफडीएलसी के लिए नाबार्ड से प्राप्त अनुदान सहायता:

क्रम सं.	अवधि	कितने कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे	आयोजित कुल कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान सहायता ₹ में
1	01.09.2024 - 31.12.2024	350	349	Rs.19,57,639

नाबार्ड द्वारा दी गई अनुसूची के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमने वित्तीय डिजिटल साक्षरता शिविरों का 100% आयोजन पूरा किया है.



(मोतीरामगुड़ा गाँव, शामपुर शाखा, आदिलाबाद क्षेत्र)



(लालशोगुड़ा, ताडिहतूर शाखा, आदिलाबाद क्षेत्र)



(अय्यवारिगुड़ा मंडल, याचारम शाखा, हैदराबाद - I क्षेत्र)



(रायकल मंडल, अलीपुर शाखा, जगित्याल क्षेत्र)

साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं (11) ने 1537 वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जबकि लक्ष्य था 924.



(वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं ने ग्रामीण गाँवों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए)





वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) 2025:

वित्तीय साक्षरता - महिला समृद्धि: आरबीआई की एक पहल

हमारे बैंक ने 24.02.2025 से 28.02.2025 तक 933 गाँवों में निम्नलिखित तीन उद्देश्यों के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किए, यथा-

- अ. वित्तीय आयोजना
- आ. बचत और जोखिम प्रबंधन
- इ. विकास के लिए ऋण का उपयोग



श्री डी. रमेश (महाप्रबंधक-II), श्री के वी कृष्ण शर्मा (महाप्रबंधक-V)
और टीजीबी के स्टाफ ने अन्य बैंकों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए
वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025-26 वॉकथॉन में भाग लिया.

पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना):

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय प्रणाली से अधिक लोगों को जोड़ने और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन योजना है. पीएमजेडीवाई का उद्देश्य कमजोर वर्गों को सस्ती लागत पर बैंक खातों, धन-प्रेषण, क्रेडिट सेवाओं, पेंशन और बीमा जैसे वित्तीय उत्पादों तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करना है.

जनधन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन की पूरी अवधारणा को ही बदल कर रख दिया है. इससे पात्र नागरिकों को ही डीबीटी का लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी के लूपहोल्स को बंद करने में मदद मिली है.

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:

गरीबों और वंचितों को, विशेष रूप से किफायती लागत पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई नामक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू की हैं. हमारा बैंक सामाजिक

सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा और पेंशन योजनाएँ प्रदान कर सामाजिक सरोकार का एक सक्रिय हिस्सा बन रहा है.

पीएमजेडीवाई - यह पॉलिसी प्राकृतिक और दुर्घटना वश मृत्यु को कवर करती है. प्रवेश की आयु केवल 18 से 50 वर्ष तक ही है और नवीकृत करवाने पर पॉलिसी 55 वर्ष तक जारी रहती है. इसमें स्वतः नवीकरण की सुविधा (बशर्ते कि खाते में शेष राशि उपलब्ध रहती है) के साथ ₹436/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2,00,000/- का पॉलिसी कवरेज मिलता है.

पीएमएसबीवाई - यह पॉलिसी दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी (आंशिक और पूर्ण) अशक्तता को कवर करती है. इसमें प्रवेश की आयु 18 से 70 वर्ष तक है. इसमें स्वतः नवीकरण सुविधा (बशर्ते कि खाते में शेष राशि उपलब्ध रहती है) के साथ ₹20/- प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2,00,000/- का पॉलिसी कवरेज मिलता है.

एपीवाई - 18-40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल हो सकता है, चाहे उसकी नियोजन स्थिति कुछ भी हो, आयकर दाताओं को छोड़कर.



सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिपोर्ट:

उत्पाद	वि.व.2024-25 के लिए लक्ष्य	वि.व.2024-25 के लिए उपलब्धि	उपलब्धि %	संचयी नामांकन
एपीवाई 	82980	92989	112.06%	4,88,889
पीएमजेबीवाई 	301263	384769	127.71%	15,20,493
पीएमएसबीवाई 	436076	555752	127.44%	31,88,994
पीएमजेडीवाई 	359580	378902	105.37%	33,38,373

टीजीबी के आंतरिक अभियान:

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित टीजीबी आंतरिक अभियान चलाए गए

1. एपीवाई टीजीबी ट्रेण्डरसेटर्स कैम्पेन - सभी पात्र ग्राहकों को एपीवाई के अंतर्गत शामिल करने के लिए
2. सब का सुरक्षा अभियान - केसीसी उधारकर्ताओं और एसएचजी के लिए एसएसएस का कवरेज
3. पीएमजेडीवाई लीडरशिप कैम्पेन - पीएमजेडीवाई खातों के वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अंतर-क्षेत्रीय प्रतियोगिता
4. जनसुरक्षा लीग - एसएसएस के वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध अभियान

आधार नामांकन केन्द्र :

आधार नामांकन/ अपडेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए हमारे 93 आधार नामांकन केन्द्र स्थापित हैं.

ग्रीन चैनल काउंटर (शाखाओं में माइक्रो एटीएम):

शाखाओं में 933 माइक्रो एटीएम लगाए गए हैं.

ग्रीन चैनल काउंटर के फायदे:

ग्राहकों को	शाखाओं को
♦ वाउचर लिखने से मुक्ति ♦ देरियों से मुक्ति – त्वरित और दक्ष सेवा ♦ अन्य लोगों पर निर्भरता से मुक्ति (विशेष रूप से अशिक्षित ग्राहकों के लिए) ♦ विकल्पों से मुक्ति – ईपीएस या डेबिट कार्ड	♦ आधे-अधूरे भरे/ त्रुटिपूर्ण वाउचरों से मुक्ति ♦ हस्ताक्षर सत्यापन से मुक्ति ♦ वाउचर प्रमाणीकरण से मुक्ति ♦ वीवीआर जाँच से मुक्ति ♦ लेखन-सामग्री व्यय से मुक्ति

मोबाइल एटीएम बैंक:

2019 और 2020 में नाबार्ड की अनुदान सहायता से 12 एटीएम मोबाइल बैंक नियोजित की गई ताकि ग्राहकों को उनके स्थान पर ही बैंकिंग प्रौद्योगिकियाँ प्रदर्शित की जा सकें और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें. ये मोबाइल एटीएम वाहन हमारे बैंक के परिचालन क्षेत्रों में चल रहे हैं और वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों के संबंध में जागरूकता प्रसारित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं.

समुदाय आधारित गतिविधियाँ - भारत सरकार की एक पहल:

- ❖ स्वच्छता ही सेवा 4.0 अभियान: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता की महत्ता और जागरूकता का सृजन. ये कार्यक्रम 02.10.2024 से 31.10.2024 तक आयोजित किए गए.
- ❖ शाखाओं ने ग्राम पंचायत परिसरों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, सार्वजनिक सड़कों, खेल प्रांगणों और बाग-बगीचों आदि में अनेक स्वच्छता अभियान चलाए.
- ❖ स्वच्छता की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदराज के गाँवों में 15 नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किए गए.



- ❖ हमारे बैंक की अभिलेख प्रतिधारण नीति के अनुसार शाखाओं में सभी पुराने अभिलेखों का निस्तारण किया गया।
- ❖ उक्त अवधि के दौरान 20931 निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों को सक्रिय किया गया।



डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2025 - आरबीआई की एक पहल

देश भर के विभिन्न वर्गों के लोगों में डिजिटल भुगतान के उपयोग के बारे में एक केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक 2021 से डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) मना रहा है। हमने अपनी मोबाइल एटीएम वैनों का उपयोग कर इस अभियान का संचालन किया है और 10.03.2025 से 15.03.2025 तक ई-बात (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और जागरूकता प्रशिक्षण) कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

पुरस्कार

- पीएफआरडीए: हमारे बैंक ने एपीवाई पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित 13 अभियानों में अर्हता प्राप्त की।
- जून 2024 से फरवरी 2025 के लिए एपीवाई विजेता बुधवार अभियान - 9 पुरस्कार (वंडरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेन्स्डे)
- क्षेत्रीय प्रमुखों/नोडल अधिकारियों के लिए 05.08.2024 से 30.09.2024 तक एपीवाई रिटायरमेंट रिवॉल्यूशनरी अभियान - विजनरी रिवॉल्यूशनरी
- 05.06.2024 से 30.09.2024 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चेयरपर्सन के लिए एपीवाई मेगा एक्सेलेंस अभियान - पार एक्सेलेंस माइलस्टोन
- 07.11.2024 से 17.11.2024 तक बैंक के लिए एपीवाई अल्टीमेट चैम्पियन्स कप कैम्पेन - कांस्य पुरस्कार
- 01-04-2024 से 31-03-2025 तक एपीवाई सेवा प्रदाता (टीजीबी) के लिए एपीवाई वार्षिक पुरस्कार अभियान - एपीवाई अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस अचीवर



बैंक की अध्यक्ष श्रीमती वाई. शोभा एपीवाई पुरस्कार ग्रहण करते हुए

- ❖ अभियान की अवधि के दौरान पेंशन परिवार निवारण बैठकें आयोजित की गईं।
- ❖ शाखाओं में कर्मचारियों द्वारा पेड़-पौधे लगाए गए।



पुरस्कार ग्रहण करते हुए



VI. सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) पहलें

हम नीचे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हमारे बैंक में आईटी में हुई प्रगति की जानकारी दे रहे हैं।

क. ईएपीजीवीबी (तेलंगाणा) क्षेत्र की 493 शाखाओं का टीजीबी के साथ विलय - 01.01.2025 से प्रभावी:

- हमने सभी 48 लाख ग्राहकों का वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा माइग्रेट कर दिया है।
- हमने ईएपीजीवीबी के उत्पादों को टीजीबी के सीबीएस में माइग्रेट कर दिया है और उनके तदनुसूची प्रधान खाता बहियों की मैपिंग कर दी है।
- पूर्ववर्ती एपीजीवीबी बैंक में सक्रिय एटीएम कार्ड उपयोगकर्ताओं को वितरित करने हेतु 01.01.2025 तक शाखाओं में 7.5 लाख नए एटीएम कार्डों की व्यवस्था कर दी है।
- हमने 01.01.2025 से सभी डिजिटल उत्पादों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ईपीएस आदि का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया है।
- हमने सभी प्रणालियों के आईपी पते और एक्टिव डिरेक्टोरी सर्विसेज को टीजीबी के डोमेन में माइग्रेट कर दिए हैं।

ख. सेवा प्रदाता मेसर्स सी एज के समन्वय में नई आईटी पहलों का कार्यान्वयन

1. केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँ

हमारा बैंक पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप-सदस्य के रूप में एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतानों में भाग लेता था, और 15 जनवरी 2025 तक पूरे बैंक के लिए एक ही आईएफएससी कोड (SBIN0RRDCGB) का उपयोग करता था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे बैंक को 16 जनवरी 2025 को आरटीजीएस के प्रत्यक्ष सदस्य और 25 जनवरी 2025 को एनईएफटी के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में सक्रिय कर दिया है। प्रत्येक शाखा को अलग-अलग आईएफएस कोड आवंटित किए गए हैं।

2. बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को अब हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत कर दिया गया है। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो एक सुविधाजनक, सुरक्षित और निर्बाध बिल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। इस एकीकरण के साथ, ग्राहक अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से, कभी भी और कहीं भी, सीधे विभिन्न बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

3. रुपये संपर्करहित डेबिट कार्ड

हमारे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, पॉस टर्मिनलों पर सुरक्षित, टैप-एंड-गो भुगतान की सुविधा देते हैं, जिससे पिन डालने या कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत कम हो जाती है।

4. यूपीआई लाइट – ग्राहक बिना पिन डाले कम मूल्य के लेन-देन कर सकते हैं, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में तेजी और सुविधा रहती है।

5. वॉट्सएप बैंकिंग – ग्राहक वॉट्सएप के जरिए प्रमुख बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 9278031313 सेव कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से "Hi" भेज कर शुरुआत कर सकते हैं।

6. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) – इसे डिजिटल लेनदेन के लिए एक सक्रिय धोखाधड़ी निवारण प्रणाली के रूप में लागू किया गया। किसी भी समस्या के लिए, ग्राहक टोल-फ्री नंबर 1800 532 7444, 1800 123 6230, 1800 833 1004 पर संपर्क कर सकते हैं।

7. एसडी-वैन का कार्यान्वयन

हमने सभी शाखाओं और कार्य-स्थलों पर एसडी-वैन की संस्थापना कार्यान्वित की है, जिससे नेटवर्क सुरक्षा और कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। इसके कार्यान्वयन से निर्बाध कनेक्टिविटी और बेहतर नेटवर्क उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। यह केंद्रीकृत नियंत्रण भी प्रदान करता है, जिससे कुशल नेटवर्क प्रबंधन और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होता है।

8. भारत आधार सीडिंग इनेबलर (बेस)

हमारा बैंक बेस से जुड़ गया है। बेस, NPCI द्वारा शुरू किया गया एक प्लैटफॉर्म है जो व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए स्वयं-सेवा मोड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु आधार सीडिंग और डी-सीडिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।

ग. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक में ही विकसित आईटी की पहलें

1. टीआईए चैटबॉट

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक इंटरएक्टिव एसिस्टेंट (टीआईए) चैटबॉट।

- इसे ग्राहकों के प्रश्नों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए हमारी वेबसाइट में विकसित और एकीकृत किया गया है।
- यह उपयोगकर्ताओं को इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीके से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
- इस चैटबॉट को जमा योजनाओं, एसएसएस योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग, ऋण विवरण और एटीएम कार्ड आदि सहित बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



2. उच्च-मूल्य वाले आरटीजीएस सबमिशन हेतु पोर्टल

- ✦ शाखाओं के लिए ₹ 20 लाख और उससे अधिक के आरटीजीएस लेनदेन प्रस्तुत करने हेतु एक अलग, सुरक्षित पोर्टल निर्मित किया गया।
- ✦ इससे उच्च-मूल्य के भुगतानों को शीघ्र सत्यापन और निपटान हेतु अलग करने में मदद मिली, जिससे बड़े लेनदेनों पर नियंत्रण में सुधार हुआ और जोखिम कम हुआ।

3. ई-परिपत्रों के लिए वाटरमार्किंग समाधान:

- ✦ समस्त संगठन में जारी ई-परिपत्रों के लिए डिजिटल वॉटरमार्किंग प्रणाली कार्यान्वित की गई।
- ✦ इससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता बढ़ी, छेड़छाड़ या दुरुपयोग हतोत्साहित हुआ, और आंतरिक सूचना सुरक्षा प्रोटोकॉलों को सहारा मिला।

4. जीपीएस निर्देशांक डैशबोर्ड

- ✦ जीपीएस निर्देशांक डैशबोर्ड सभी शाखाओं के अक्षांश और देशांतर विवरणों को कैप्चर और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ✦ इससे सटीक स्थान ट्रैकिंग सक्षम हुई और मानचित्रण-आधारित सेवाओं और परिचालन आयोजना को सहारा मिला।

5. हार्डवेयर इन्वेंटरी डैशबोर्ड

- ✦ हार्डवेयर इन्वेंटरी डैशबोर्ड शाखाओं, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय से विस्तृत हार्डवेयर आंकड़ों को एकत्र करने और प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया है।
- ✦ इससे सभी स्थानों पर प्रणालियों, उपकरणों और परिसंपत्तियों की केंद्रीकृत ट्रैकिंग सक्षम हुई।

6. एनएसी स्विचों की स्थिति दर्शानेवाला डैशबोर्ड

- ✦ एनएसी कार्यान्वयन की स्थिति दर्शानेवाले डैशबोर्ड को शाखाओं/कार्यालयों में एनएसी स्विच प्राप्त होने और उनके संबंधित पोर्ट विवरणों को ट्रैक करने के बारे में वास्तविक समय के अपडेट जानने के लिए विकसित किया गया है।
- ✦ यह निगरानी और योजना बनाने में सहायता के लिए शाखा, क्षेत्रीय (क्षेत्रीय कार्यालय) और बैंक-व्यापी स्तर पर समेकित सारांश प्रदर्शित करता है।

7. इंटरनेट कनेक्शन्स डैशबोर्ड

इंटरनेट कनेक्शन डैशबोर्ड को पूरे बैंक में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या, उनकी

बैंडविड्थ और संबंधित भुगतान विवरणों को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है।

8. आसान अनुमोदन

कागज के उपयोग को समाप्त करने के लिए, कहीं भी, कभी भी गैर-वित्तीय नोट अपलोड करने और अनुमोदित करने के लिए इंटरनेट वेब एप्लिकेशन, जिसके परिणामस्वरूप तेज और निर्बाध अनुमोदन होता है।

9. टीजीबी टॉक में संपर्क बिंदु सहायता

- ✦ जब भी कोई कर्मचारी "रीसेट" कीवर्ड टाइप करते हैं, संपर्कों की सूची अपने आप पॉप-अप होकर दिखाई देने लगती है।
- ✦ टॉगल में टीजीबी टॉक को रिपोर्ट करने की नई सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारी जिस पेज पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी समस्या/टिप्पणी पोस्ट कर सकते हैं। यह टूल पेज को स्वचालित रूप से ट्रैक करेगा और शिकायतों को टीजीबी टॉक पर पोस्ट करेगा।

10. नैराष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) डैशबोर्ड

- ✦ एनपीसीआई की पावती फ़ाइलें पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं ताकि अधिदेश की स्थिति (सफल या असफल) को ट्रैक किया जा सके।
- ✦ अधिदेश की वर्तमान स्थिति (मौजूद है या मौजूद नहीं) को ट्रैक किया जा रहा है।
- ✦ पोर्टल से अधिदेश रद्द करने के अनुरोध किए जा सकते हैं।
- ✦ सभी ईएमआई की अधिदेश/खाता स्थिति, लेनदेन विवरण और ग्राहक विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।

11. केसीसी आईएसएस - दावा प्रस्तुति

- ✦ एपीआई एकीकरण के माध्यम से आईएसएस पोर्टल पर केसीसी डेटा का समेकन और अपलोड करना।
- ✦ इस प्रक्रिया में विभिन्न शाखाओं और प्रणालियों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के डेटा का व्यवस्थित समेकन शामिल रहता है, जिसके बाद एक सुरक्षित एपीआई इंटरफ़ेस के माध्यम से डेटा को फसल ऋण (केसीसी-आईएसएस) पोर्टल पर स्वचालित रूप से अपलोड किया जाता है।
- ✦ इस एकीकरण से विनियामक रिपोर्टिंग में सटीकता, स्थिरता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है, मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है और डेटा की विश्वसनीयता बढ़ती है।

इस एपीआई-आधारित अपलोड से आंतरिक बैंकिंग प्रणालियों और आईएसएस पोर्टल के बीच निर्बाध संचार की सुविधा सुगम होती है, जिससे केसीसी-आईएसएस पोर्टल पर डेटा का ससमय अद्यतन संभव होता है।



12. प्रतिभूति अनुप्रवर्तन पोर्टल - सीजीटीएमएसई और सीजीएफएमयू खाते

- ✦ एक प्रतिभूति-केंद्रित पोर्टल जो सीजीटीएमएसई और सीजीएफएमयू जैसी ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले खातों का समेकित विवरण प्रस्तुत करता है।
- ✦ पोर्टल में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए आवेदन करने हेतु एक मॉड्यूल भी शामिल है, जिससे शाखा-स्तरीय कागजी कार्रवाई और टर्नअराउंड समय को कम करने में मदद मिलती है।

13. एएमएच अध्यक्ष रैंकिंग

- ✦ एएमएच के लिए एक कार्य-निष्पादन रैंकिंग प्रणाली, जो माह-दर-माह बजट की उपलब्धियों, शाखाओं के माध्यम से लीड सोर्सिंग और टर्नअराउंड समय (टीएटी) आदि जैसे प्रमुख मापदंडों पर आधारित है।
- ✦ डैशबोर्ड व्यक्तिगत और तुलनात्मक कार्य-निष्पादन का एक पारदर्शी और डेटा-आधारित दृश्य प्रदान करता है।
- ✦ यह एएमएचों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और निरंतर लक्ष्योन्मुख कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है।

14. एएमएच इनवर्ड ट्रेकिंग

- ✦ एएमएच डैशबोर्ड ग्राहक लीड्स को कैप्चर करने और उन्हें समय पर अनुमोदन और संवितरण हेतु शाखा से एएमएच तक भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ✦ यह प्रत्येक लीड की प्रगति को विभिन्न चरणों के माध्यम से ट्रैक करता है, जैसे - लीड की शुरुआत, संसाधन और समापन। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है, लीड प्रबंधन दक्षता में सुधार करता है और ग्राहक अधिग्रहण प्रयासों को बढ़ाता है।

15. स्वर्ण ऋण दस्तावेजीकरण

मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रसंस्करण प्रभार, अभिरक्षा प्रभार और मूल्यांकन प्रभार की गणना और मंजूरी सूचना में उसे शामिल करना, स्वर्ण ऋण पच्ची तैयार करना - 2 प्रतियों में (ग्राहक प्रति और बैंक प्रति)।

16. धान क्रेडिट डैशबोर्ड

- ✦ धान क्रेडिट डैशबोर्ड उन खातों की सूची प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है जिनमें डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में राशि जमा की गई है।
- ✦ इस आंकड़े का उपयोग शाखाओं द्वारा संबंधित ग्राहकों को राशि निकालने के लिए सचेत करने, बकाया राशि वसूलने आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

- ✦ जमा करने की तिथि के साथ शाखावार और क्षेत्रवार डेटा प्रदर्शित किया जाता है।

17. रैतुभरोसा डैशबोर्ड

- ✦ सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के खातों में जारी रैतुभरोसा जमाराशि।
- ✦ यह डेटा डैशबोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है ताकि शाखाएँ ग्राहकों को जमा की गई राशि संवितरित कर सकें।
- ✦ जमा करने की तिथि के साथ शाखावार और क्षेत्रवार डेटा प्रदर्शित किया जाता है।

18. ऋण माफी डैशबोर्ड

- ✦ यह डैशबोर्ड वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त ऋण माफी का एक विस्तृत दृश्य प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ✦ यह लाभार्थियों की संख्या; प्राप्त माफी की कुल राशि, संवितरण की स्थिति, शाखा-वार और क्षेत्र-वार कुल राशियाँ/सारांश जैसे प्रमुख मीट्रिक्स दर्शाता है।

19. लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (एलओएस)

- ✦ एलओएस के माध्यम से उत्पन्न ऋण आवेदनों और खातों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक अनुप्रवर्तन उपकरण।
- ✦ यह डैशबोर्ड अनुमोदनों, लंबित रहने और अस्वीकृति की स्थिति का क्षेत्रवार विवरण प्रदान करता है, जिससे ऋण प्रसंस्करण दक्षता में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

20. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा डैशबोर्ड

- ✦ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवीवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य 18 विशिष्ट व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना और सशक्त बनाना है।
- ✦ शाखाओं के लिए आवेदन संख्या, संवितरण टिप्पणियाँ आदि दर्ज करने हेतु यह पोर्टल बनाया गया है। यह क्षेत्रवार और शाखावार प्रगति को ट्रैक करने के लिए उपयोगी है।

21. विश्वास डैशबोर्ड

- ✦ विश्वास-योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/अनुसूचित जाति (एससी) के स्वयं सहायता समूहों या व्यक्तियों को ब्याज सहायता प्रदान करना है।
- ✦ यह डैशबोर्ड प्रधान कार्यालय और शाखाओं को पात्र ग्राहकों का डेटा एकत्र करने में मदद करता है, जिसे वेब पोर्टल पर सबमिट किया



जाता है. सब्मिट करने पर, सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खातों में जमा कर दी जाएगी.

22. व्यवहार्यता योजना

बैंक प्रत्येक माह व्यवहार्यता योजना विवरणी प्रस्तुत करता है. इसको ध्यान में रखते हुए, हमने मासिक विवरणी तैयार करने के लिए व्यवहार्यता योजना डेटा डैशबोर्ड को स्वचालित कर दिया है. इसमें निम्नलिखित डेटा खंड शामिल हैं:

- लाभ और हानि सत्यापन
- अग्रिम
- चालू खाता बचत खाता (कासा)
- जोखिम और एनपीए
- डिजिटल चैनल
- वित्तीय समावेशन

23. एओएफ प्रसंस्करण हेतु एलसीपीसी पोर्टल - एलसीपीसी नलगोंडा (ईएपीजीवीबी)

- ✦ एलसीपीसी नलगोंडा केंद्र में खाता खोलने के फॉर्म (एओएफ) के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया एक केंद्रीकृत पोर्टल.
- ✦ यह प्रणाली ईएपीजीवीबी नेटवर्क के अंतर्गत शाखाओं से प्राप्त सभी एओएफ प्रस्तुतियों में मानकीकृत डेटा संग्रहण, सत्यापन कार्यप्रवाह और स्थिति ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है.

24. कार्य-निष्पादन समीक्षा डैशबोर्ड

विभिन्न उत्पादों और ग्राहक वर्गों के लिए क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन डेटा प्रस्तुत करने हेतु डिजाइन किया गया एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड. इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ✦ जमाराशियाँ
 - क) चालू खाता बचत खाता (कासा)
 - ख) कुल जमाराशियाँ
- ✦ अग्रिम
 - a) कृषि
 - b) एमएसएमई
 - c) वैयक्तिक
 - d) स्टाफ
 - e) अन्य

25. ग्राहक जोखिम श्रेणी डैशबोर्ड

- ✦ भारतीय रिज़र्व बैंक सभी श्रेणियों (निम्न, मध्यम और उच्च) के ग्राहकों के लिए नियमित रूप से पुनः-केवाईसी करवाने हेतु अनुप्रवर्तन कर रहा है.
- ✦ इसे ध्यान में रखते हुए, हमने ग्राहकों की श्रेणी के अनुसार उनके केवाईसी लंबित होने की तिथि की निगरानी के लिए पुनः-केवाईसी डैशबोर्ड तैयार किया है.

- ✦ इस डैशबोर्ड की सहायता से, शाखाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार समय पर ग्राहकों का केवाईसी अपडेट करवाने के लिए उनसे संपर्क कर रही हैं.

26. आधार डीबीटी पोर्टल

- ✦ आधार डीबीटी पोर्टल, सेवा शाखा के उपयोगकर्ताओं को एसीएच-वार और एपीबी-वार आधार डीबीटी सारांश तैयार करने के लिए ज़िप फ़ाइलें अपलोड करने की सुविधा देता है.
- ✦ यह दैनिक और मासिक सारांश के साथ-साथ प्रभावी ट्रैकिंग और समाधान के लिए व्यक्तिगत खाता विवरण खोजने की सुविधा भी प्रदान करता है.

27. सीआईएफ डी-डुप्लीकेशन डैशबोर्ड

- ✦ बैंक के ऐसे अनेक ग्राहक हैं जिनके एक ही आधार संख्या पर अलग-अलग सीआईएफ हैं.
- ✦ हमने आधार कार्ड संख्या के आधार पर डी-डुप्लीकेशन डैशबोर्ड विकसित किया है जो शाखाओं के डुप्लिकेट ग्राहकों को प्रदर्शित करता है.
- ✦ शाखाएँ आरबीआई के अनुपालन हेतु ऐसे ग्राहकों को एकीकृत कर रही हैं.

28. सीकेवाईसी कानूनी निकाय डैशबोर्ड

आरबीआई की मासिक विवरणी के अनुसार सीकेवाईसी कानूनी निकाय डेटा की निगरानी के लिए, हमने सी-केवाईसी कानूनी निकाय की वर्तमान स्थिति जानने के लिए डैशबोर्ड विकसित किया है.

29. एसबीआई सामान्य स्वास्थ्य पॉलिसी डैशबोर्ड

एसबीआई जनरल हेल्थ की उन पॉलिसियों, जिनका नवीनीकरण हो चुका है और जिनका नवीनीकरण होना बाकी है, के लिए ट्रैकिंग डैशबोर्ड ताकि शाखाएँ अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें.

30. बीएसआर रिटर्न

बीएसआर रिटर्न (बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न) बैंकों द्वारा आरबीआई को प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य रिपोर्टें होती हैं, जिनमें ऋण (बीएसआर-1) और जमा (बीएसआर-2) के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है. ये दोनों रिटर्न स्वचालित होते हैं और इस डैशबोर्ड के माध्यम से आवश्यक प्रारूप जनरेट किया जा सकता है.

31. चेक बुक और लेखन-सामग्री डैशबोर्ड

निम्नलिखित कार्यों के लिए डैशबोर्ड विकसित किया गया है:

- ✦ चेक बुक मुद्रित करने के बाद एडब्ल्यूबी नंबर सहित चेक बुक के ट्रैकिंग विवरण प्राप्त करने.



- कारण सहित वापस आ गई चेक बुक के विवरण प्राप्त करने.
- अप्रयुक्त चेक बुक, बैंकर चेक, माँग ड्राफ्ट का डेटा एकत्र करने के लिए पृष्ठ. जिसका उपयोग उनके निस्तावरण के लिए किया जाता है.

32. क्रय समिति का स्वचालन

अचल आस्ति विभाग के लिए अधिप्राप्ति की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु इस एप्लिकेशन को विकसित किया गया है.

- यह सभी माँगपत्रों, निविदाओं और संबंधित अनुमोदनों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है.
- यह पहल अधिप्राप्ति की सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाती है और अनुप्रवर्तन को सरल बनाती है.

33. सुरक्षा ऑडिट डैशबोर्ड

सुरक्षा अधिकारी द्वारा शाखाओं में किए गए सुरक्षा ऑडिट और उनकी स्थिति जानने के लिए ट्रैकिंग डैशबोर्ड.

34. एनपीए अनुप्रवर्तन समिति ऑनलाइन

- विस्तृत विश्लेषण और सूचित निर्णय लेने में सुविधा के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) डेटा संकलित किया जाता है और उसे नियमित रूप से एनपीए अनुप्रवर्तन समिति को प्रस्तुत किया जाता है.
- उक्त रिपोर्ट में आस्ति वर्गीकरण रुझान, खाता-वार और खंड-वार एनपीए की स्थिति, वसूली प्रदर्शन और आयु विश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण जानकारीयों शामिल रहती हैं.
- यह समीक्षा प्रक्रिया समिति को पूरे नेटवर्क में समग्र आस्ति गुणवत्ता की निगरानी करने, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने और सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई करने में शाखाओं का मार्गदर्शन करने हेतु सक्षम बनाती है.
- यह एनपीए का भार कम करने और बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए रणनीतिक योजना बनाने में भी सहायता करती है.

35. ओटीएस पोर्टल

- दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणों के निपटान को सुगम बनाने के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) पोर्टल डिज़ाइन किया गया है.
- यह पोर्टल एक व्यापक, एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो प्रस्तावित ओटीएस राशियों के आधार पर स्वचालित रूप से वास्तविक, अनुमानित और कुल हानियों की गणना करता है.
- यह निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, अनुपालन सुनिश्चित करता है और निर्णयन में पारदर्शिता दर्शाता है.

36. एनपीए डैशबोर्ड में सीसी पीएनपीए खाते

- समाप्ति तिथि तक पहुँच चुके नकदी ऋण खातों की निगरानी के लिए

एक डैशबोर्ड.

- यह शाखाओं को खातों की पहचान करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में मदद करता है ताकि समय पर उनका नवीनीकरण या उन्हें बंद करना सुनिश्चित किया जा सके और अनियमितताओं के जोखिम को कम किया जा सके.

37. एनपीए में उतार-चढ़ाव

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में दैनिक उतार-चढ़ावों की निगरानी के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, जो परिवर्धन (नए खातों का एनपीए बन जाना) और कमी (वसूली, उन्नयन, या बड़े खाते में डालना) दोनों को रिकॉर्ड करती है.
- यह ट्रैकिंग तंत्र किसी निश्चित अवधि के लिए एनपीए में निवल परिवर्तन की स्पष्ट और सामयिक स्थिति स्पष्ट करता है.

38. स्वर्ण ऋण समाप्ति खाते

- अगले 30 दिनों के भीतर समाप्त होने वाले स्वर्ण ऋण खातों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया एक डैशबोर्ड.
- यह सुविधा शाखा की टीमों को समय पर चुकौती के लिए ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जिससे खातों के अतिदेय होने या अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) बन जाने का जोखिम कम हो जाता है.

39. पेंशन प्रबंधन प्रणाली में सुधार

1993 से पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अनुग्रह राशि घटक समावेशन, महंगाई भत्ते के बकाया की गणना और टीजी शाखाओं के ईएपीजीवीबी डेटा को स्थानांतरित किया गया.

40. प्रशिक्षण प्रबंधन हेतु एसएलसी पोर्टल - ई-एपीजीवीबी

- कर्मचारी ज्ञानार्जन केंद्र (एसएलसी) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जीवनचक्र के प्रबंधन हेतु एक समर्पित प्लैटफॉर्म.
- यह पोर्टल प्रशिक्षण सत्रों हेतु कर्मचारियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन परीक्षाएँ संचालित करता है, और भविष्य के कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण के बाद संरचित प्रतिक्रिया प्राप्त करता है.

41. एचआरआईएस @ टॉगल में प्रगति:

- वचन पत्र: पिछले वर्षों (5 वर्ष) के लिए बैंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान किए गए अनुलाभों के मौद्रिक मूल्य पर आयकर न काटने और न भेजने हेतु सहमति की ऑनलाइन प्रस्तुति.
- ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी के लिए नामांकन (फॉर्म एफ): सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभों से जोड़ने के लिए अपने द्वारा नामित व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करना होता है.



- ✦ डिजिटलीकृत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी): बाहरी रोजगार/उच्च अध्ययन हेतु पूर्व-अनुमति के लिए अनुमोदन.
- ✦ सितंबर 2025 के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा राज्यों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में स्वैच्छिक अंशदान के लिए 1 पीएल काटने हेतु सहमति की ऑनलाइन प्रस्तुति.
- ✦ पदोन्नति मॉड्यूल - पात्र कर्मचारियों द्वारा आंतरिक पदोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन और नियंत्रकों द्वारा प्रधान कार्यालय को अप्रेषित/अनुशंसित करने हेतु अनुमोदन मॉड्यूल.
- ✦ मासिक भत्ते - कार्यालय परिचारकों को वॉशिंग भत्ता और साइकिल/दोपहिया वाहन भत्ता हेतु मॉड्यूल जनवरी 2025 से सक्षम किया गया.
- ✦ कर्मचारी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट: स्व-मूल्यांकन (फॉर्म-I), कार्य-निष्पादन मूल्यांकन (फॉर्म-II), रिपोर्टिंग (फॉर्म-III, IV, V, VI), समीक्षा (फॉर्म-VII) और 3 सदस्यों द्वारा स्क्रीनिंग जैसे फॉर्मों की ऑनलाइन प्रस्तुति.
- ✦ जीटीएलआई - जीटीएलआई का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों से सहमति प्राप्त करने हेतु पृष्ठ, यह पृष्ठ जीटीएलआई का सारांश भी प्रदर्शित करता है.
- ✦ अनिवार्य शिक्षण प्रमाणपत्र - आईबीपीएस की परीक्षा के अंक, प्रमाणपत्र के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराए गए.

42. आरसीएसए

एपीजीवीबी की तर्ज पर टीजीबी में भी पोर्टल, जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन कार्यान्वित किया गया है.

- ✦ पूर्वनिर्धारित जोखिम विवरण प्राप्त करने के लिए शाखाओं को रिस्कन ओनर, कंट्रोल ओनर, कंट्रोल फ्रीक्वेंसी आदि जैसे इनपुट भरना होता है.
- ✦ अंततः हम दिए गए इनपुट के आधार पर शाखा का समग्र जोखिम सूचकांक और शाखा का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं. आरसीएसए का कार्य लंबित रखने वाली शाखाओं और कार्य पूरा कर चुकी शाखाओं की निगरानी के लिए भी इस डैशबोर्ड का उपयोग किया जा सकता है.

43. लॉकर मीदी - भद्रता मादी (लॉकर आपका - सुरक्षा हमारी)

यह डैशबोर्ड शाखाओं को, किराए पर दिए गए लॉकरों और उपलब्ध लॉकरों की संख्या के साथ-साथ वसूले जाने वाले अतिदेय किराये की जानकारी देता है. इस अभियान के दौरान, शाखाओं को किराए पर दिए गए या बंद किए गए लॉकरों और वसूले गए किराये का विवरण प्रस्तुत करना होता है.

44. एपीवाईट्रेंड सेटर

- ✦ पात्र ग्राहकों द्वारा एपीवाई नामांकन के लिए अभियान.

- ✦ अभियान की अवधि: 01-07-2024 से 30-09-2024 तक.
- ✦ एपीवाई नामांकनों की संख्या - 34,493

45. पीएमजेडीवाई लीडरशिप

बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों, विशेष रूप से छात्रों के लिए पीएमजेडीवाई खाता खोलने के लिए शाखाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान. शाखा-वार क्षेत्र-वार प्रगति प्रदर्शित की गई. अभियान के लिए शाखाओं को लक्ष्य दिए गए.

- ✦ अभियान की अवधि: 05.07.2024 से 30.09.2024 तक.

46. सबकी सुरक्षा

- ✦ पीएमजेडीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत सभी पात्र कवर न किए गए ग्राहक, विशेष रूप से केसीसी उधारकर्ता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य.
- ✦ अभियान की अवधि: 05.07.2024 से 30.09.2024 तक.

47. धननिधि

क्षेत्र-वार और शाखा-वार आवर्ती जमा अभियान डैशबोर्ड.

- ✦ अभियान की अवधि - 29.01.2025 से 31.03.2025 तक.
- ✦ 9,315 नए आवर्ती जमा खाते खोले गए, जिनकी राशि ₹ 4.02 करोड़ है.

48. बीपॉजिटिव

क्षेत्र-वार और शाखा-वार जमाराशियों को ट्रैक करने के लिए खुदरा जमा संग्रहण अभियान डैशबोर्ड.

- ✦ अभियान की अवधि - 25.11.2024 से 31.12.2024 तक.

49. संपदा

क्षेत्र-वार और शाखा-वार बचत बैंक खाता अभियान डैशबोर्ड.

- ✦ अभियान की अवधि - 01.07.2024 से 31.12.2024 तक.
- ✦ 66,184 बचत बैंक खाते और 10,040 नए प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए.

50. संपदा 2.0:

- ✦ अभियान की अवधि - 05.02.2025 से 31.03.2025 तक.
- ✦ 28,664 नए बचत बैंक खाते खोले गए.

51. धनवर्षा

चालू खातों को गतिशील बनाने के लिए अभियान. क्षेत्र-वार और शाखा-वार चालू खाता अभियान डैशबोर्ड.

- ✦ अभियान की अवधि: 01.07.2024 से 31.12.2024 तक.
- ✦ अभियान के दौरान 530 नए चालू खाते खोले गए.



52. धनवर्षा 2.0

✦ अभियान की अवधि – 05.02.2025 से 31.03.2025 तक.

✦ अभियान की अवधि के दौरान 785 नए चालू खाते.

घ. पुरस्कार एवं सम्मान - आईबीए प्रौद्योगिकी पुरस्कार

बैंक को मुंबई में 24/01/2025 को आयोजित 20वें आईबीए प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

- सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बिक्री, भुगतान और जुड़ाव में उप-विजेता
- सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन में उप-विजेता
- सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक में उप-विजेता
- एआई और एमएल अपनाने में सर्वश्रेष्ठ उप-विजेता



बैंक की अध्यक्ष श्रीमती वाई. सोभा आईबीए प्रौद्योगिकी पुरस्कार ग्रहण करती हुई

VII. मानव संसाधन, प्रशिक्षण और औद्योगिक संबंध

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा जारी विभाजन अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए, एपीजीवीबी ने अपने कर्मचारियों से विभाजित एपीजीवीबी और टीजीबी में से किसी एक को चुनने के विकल्प आमंत्रित किए, जो कार्य समूह द्वारा अनुशंसित जनशक्ति संबंधी मुद्दों के निपटान की अन्य शर्तों के अधीन हैं. इसके साथ ही, कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, दोनों बैंकों में से, जिस बैंक के भत्ते तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं, उन्हें 01.01.2025 से कर्मचारियों को प्रदान किया गया.

कंप्यूटर वेतनवृद्धि - बैंक के निदेशक मंडल ने आईबीए और राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारी संघ के बीच दिनांक 29.10.1993 के पूरक समझौता ज्ञापन के अनुसार, 01.11.1993 से प्रभावी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर वेतन वृद्धि प्रदान करने और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली के अनुदेशों के अनुसार बकाया राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है. तदनुसार, उपर्युक्त लाभ को डीएफएस की समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित किया गया.

तेलंगाणा राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में दान: बैंक के कर्मचारियों और प्रायोजक बैंक के अधिकारियों ने स्वेच्छा से ₹48 लाख की राशि का योगदान दिया है और बैंक के "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" से ₹2 लाख की राशि प्रदान की गई है, जिससे कुल ₹50 लाख की राशि सितंबर 2024 में तेलंगाणा राज्य में आई अभूतपूर्व बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की गई. हमारे अध्यक्ष द्वारा 18.09.2024 को तेलंगाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी गारु को माँग ड्राफ्ट सौंपा गया.



टीजीबी स्टाफ द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 50 लाख का दान

वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंक की स्टाफ संख्या और उसकी रचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2025
1	अधिकारी वेतनमान - V	11
2	अधिकारी वेतनमान - IV	81
3	अधिकारी वेतनमान - III	275
4	अधिकारी वेतनमान - II	931
5	अधिकारी वेतनमान - I	1523
6	कार्यालय सहायक	1352
7	कार्यालय परिचारक	398
	कुल	4571

वर्ष के दौरान बैंक की सेवा से 38 स्टाफ सदस्य सेवानिवृत्त हुए, 70 स्टाफ सदस्यों ने त्यागपत्र दिया, 02 स्टाफ सदस्यों ने वीआरएस लिया, 02 स्टाफ सदस्यों को बैंक की सेवा से बर्खास्त किया गया और 03 स्टाफ सदस्य दिवंगत हुए.

भर्तियाँ

क्रम सं.	संवर्ग	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सदस्यों की सं.
1	कार्यालय सहायक	136
2	अधिकारी वेतनमान - I	145
3	अधिकारी वेतनमान - II	29
4	अधिकारी वेतनमान - III	4

बैंक नए भर्ती हुए स्टाफ सदस्यों को कौशल प्रदान करने और उन्हें सभी क्षेत्रों की जानकारीयों प्रदान करने के लिए निरंतर कार्यरत है ताकि वे दिन-प्रतिदिन के कार्यों को अच्छी तरह से संभाल सकें और मौजूदा स्टाफ सदस्यों को पुनःप्रशिक्षित कर सकें. सभी भर्तियाँ आईबीपीएस द्वारा आयोजित साक्षात्कार सहित सामान्य लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की गई हैं.



एपीजीबीबी तेलंगाणा स्टाफ द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 65 लाख का दान

नए और पुराने स्टाफ सदस्यों की संख्या की तुलना

वर्ष	नए	पुराने	कुल
2013-14	154	992	1146
2014-15	412	967	1379
2015-16	529	929	1458
2016-17	565	900	1465
2017-18	636	842	1478
2018-19	987	803	1790
2019-20	1085	669	1754
2020-21	1358	373	1731
2021-22	1356	324	1680
2022-23	1509	234	1743
2023-24	1667	181	1848
2024-25 (समामेलन के उपरांत)	4174	397	4571

पदोन्नतियाँ

बैंक ने निम्नानुसार विभिन्न संवर्गों में 240 लोगों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया. पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा आईबीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई.

क्रम सं.	ग्रेड में पदोन्नत	पदों की संख्या
1	अधिकारी वेतनमान - I	63
2	अधिकारी वेतनमान - II	116
3	अधिकारी वेतनमान - III	50
4	अधिकारी वेतनमान - IV	10
5	अधिकारी वेतनमान - V	1
6	कार्यालय सहायक	0
	कुल	240



बैंक ने लिखित परीक्षा से पहले पदोन्नति के लिए पात्र सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण देने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा किया है। इससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार लिखित परीक्षा देने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने में सक्षम हुए।

आंतरिक शिकायत समिति (पॉश)

हमने, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को कार्यान्वित कर बैंक में महिला कर्मचारियों के लिए कार्य करने का एक सुरक्षित वातावरण स्थापित किया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्य करने के लिए हमने 17 क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। हम दोनों वर्गों के कर्मचारियों को एक स्वस्थ और प्रवाहकीय कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करते आ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमें 01 पॉश शिकायत प्राप्त हुई है।

स्टाफ कल्याण उपाय

मेडिकलेम पॉलिसी

भारत सरकार के दिनांक 20.10.2016 के पत्र सं. एफ.8/1/2015 - आरआरबी के अनुसरण में हमारे बैंक ने कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अनुसूची IV में वर्णित 10 वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार चिकित्सा बीमा योजना लागू की है। इस योजना में कर्मचारी + पति/पत्नी + आश्रित बच्चे + 2 आश्रित माता-पिता/ सास - ससुर शामिल हैं, जिनकी बीमा राशि क्रमशः अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ₹ 4,00,000 और ₹ 3,00,000 है। यदि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च बीमा राशि से अधिक का होता है, तो हमने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्रमशः ₹ 4.00 लाख और ₹ 3.00 लाख तक के अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए एक कॉरपोरेट बफर भी लिया हुआ है। इस योजना में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित अनुमोदित अस्पतालों में तुरंत नकदीरहित चिकित्सा सुविधा के साथ अस्पताल में बिना किसी परेशानी के प्रवेश की सुविधा के अलावा, 10% बीमा राशि तक के घरेलू उपचार खर्च भी शामिल हैं।

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी

हमारे अधिकांश स्टाफ सदस्य युवा हैं और अक्सर विभिन्न आधिकारिक कार्यों जैसे नकदी प्रेषण, वसूली के लिए फील्ड दौरे, इकाइयों के निरीक्षण, समीक्षा बैठकों इत्यादि के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम और जान के खतरे का भी सामना करते हैं।

हमने कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने और स्टाफ सदस्यों के मनोबल को ऊँचा रखने के लिए प्रति कर्मचारी ₹15.00 लाख की सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी ले रखी है।

ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण निधि

बैंक ने ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के मामलों में प्रावधान संबंधी

आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रेच्युटी के रूप में ₹ 148.86 करोड़, पेंशन के रूप में कुल ₹ 1481.76 करोड़ और छुट्टी नकदीकरण के रूप में ₹ 126.10 करोड़ का कॉर्पस रखा है।

औद्योगिक संबंध

प्रबंधन और अधिकारी संघ व कर्मचारी संघ ने वर्ष के दौरान सामने आने वाले नेमी प्रकार के मुद्दों के अनुकूल समाधान निकालते हुए स्टाफ सदस्यों के कल्याण और बैंक के व्यवसाय के विकास के लिए मिलकर काम किया है। वर्ष के दौरान कार्य का सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहा।

अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का कल्याण

बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और भर्ती, पदोन्नति आदि से संबंधित पहलुओं में वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया। बैंक ने कल्याण संघों के प्रतिनिधियों और उनके संपर्क अधिकारियों के साथ उनकी शिकायतों के निवारण के लिए नियमित बैठकें आयोजित कीं। बैंक ने कर्मचारियों के मनोबल और अभिप्रेरणा को ऊँचा बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए हैं।

सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान

बैंक ने यह नीति बना रखी है कि सभी सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान स्टाफ सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पूरा कर लिया जाए। यह प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले शुरू हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर भुगतान करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो सकें।

स्टाफ सदस्यों को पेंशन का भुगतान

बैंक ने सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों/ सेवानिवृत्त और दिवंगत स्टाफ सदस्यों के आश्रितों को 01.11.1993 से प्रभावी पेंशन के भुगतान के लिए भारत सरकार के दिनांक 03.10.2024 के पत्र एफ.सं.8/4/2024-आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 में संशोधनों से संबंधित नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई के दिनांक 04.10.2024 के ईमेल में निहित अनुदेशों को लागू किया है। बैंक ने 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार पेंशन के भुगतान की देयता पूरी करने के लिए ₹1481.31 करोड़ का प्रावधान (बीमांकिक मूल्य पर) किया है।

अनुकंपा के आधार अनुकंपा नियुक्ति की योजना

बैंक ने दिनांक 31.12.2018 के अपने पत्र सं. 7/38/ 2014 - आरआरबी के माध्यम से जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लागू योजना के अनुसार अपने यहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संशोधित मॉडल योजना लागू की है। हमारे बैंक में दोनों विकल्प मौजूद हैं अर्थात् अनुकंपा नियुक्ति/ अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान।



वार्षिक कर्मचारी प्रशिक्षण रिपोर्ट

कर्मचारियों के निरंतर विकास और क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ने पूरे वर्ष विभिन्न केंद्रों पर अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की है। इस वर्ष, हमने अपनी प्रशिक्षण पहलों का विस्तार किया और अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को और सुदृढ़ किया है, तथा उच्च स्तर के सेवा गुण और परिचालन दक्षता सुनिश्चित की है।

प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण

इस वर्ष हमारे वृहद् प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1,743 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण सत्रों का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना, ग्राहक सेवा कौशल में सुधार लाना और कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं में सफलता के लिए आवश्यक साधन प्रदान करना था। सभी कर्मचारियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ये प्रशिक्षण सत्र विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए गए।

- ♦ कार्यालय सहायक: 77 कर्मचारियों को प्रशासनिक कौशल, दक्षता और परिचालन ज्ञान में सुधार लाने के उद्देश्य से लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- ♦ अधिकारी: 1,666 अधिकारियों को बैंक के लक्ष्यों और उभरते बैंकिंग परिवेश के अनुरूप उनके प्रबंधकीय, तकनीकी और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएँ

- ♦ ई-एपीजीवीबी का स्टाफ ज्ञानार्जन केंद्र (एसएलसी): एपीजीवीबी के टीजीबी में विलय के बाद, एपीजीवीबी का एसएलसी टीजीबी को आवंटित कर दिया गया। विलय किए गए कार्यबल को हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों और मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस विलय ने व्यक्तिगत, ग्राहक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने की हमारी क्षमता को

बढ़ाया, और प्रशिक्षण का ध्यान टीमों के बीच सुचारू एकीकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहा।

- ♦ चल रही प्रशिक्षण की पहलें: हमने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना जारी रखा है ताकि वे बैंकिंग उद्योग में नवीनतम परिवर्तनों, जैसे विनियामक परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और ग्राहक संबंध प्रबंधन, से अद्यतन रह सकें।

प्रशिक्षण का प्रभाव

प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ♦ कार्यालय सहायकों और अधिकारियों, दोनों के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार।
- ♦ कर्मचारियों की सहभागिता और अभिप्रेरणा में वृद्धि।
- ♦ नई बैंकिंग प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को संभालने की दक्षता में वृद्धि।
- ♦ बेहतर ग्राहक सेवा और परिचालनात्मक उत्कृष्टता।

भविष्य की योजनाएँ

हम निरंतर और प्रासंगिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आगे बढ़ते हुए, हम इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

- ♦ डिजिटल बैंकिंग कौशल: आधुनिक ग्राहकों की माँगों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को उन्नत डिजिटल बैंकिंग ज्ञान और साधनों से सुसज्जित करना।
- ♦ नेतृत्व विकास: निर्णय लेने और रणनीतिक कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।



एसएलसी संगारेड्डी में स्टाफ प्रशिक्षण



- ◆ क्रॉस-फंक्शनल प्रशिक्षण: अधिक लचीलेपन और सहकार्य के लिए कर्मचारियों को विभिन्न बैंकिंग कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

उपसंहारा

कर्मचारी प्रशिक्षण में हमारा निवेश संगठनात्मक विकास और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में सहायक रहा है। कौशल विकास और कर्मचारी सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमें विश्वास है कि हमारा कार्यबल उद्योग मानकों में अग्रणी बना रहेगा और भविष्य में सफलता की ओर अग्रसर होगा।

VIII. निदेशक मंडल

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की 9 बैठकें आयोजित कीं।

स्थानांतरणों/ सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं और उनके स्थान पर नए निदेशकों को नामित किया गया है:

1. श्री बिनोद कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक (एबीयू - जीएसएस), भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के स्थान पर श्री प्रियव्रत मिश्र, उप महाप्रबंधक (एबीयू - जीएसएस), भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद को भारतीय स्टेट बैंक के आदेशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
2. श्रीमती शिव तुलसी देवता, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड के स्थान पर श्रीमती दीप्ति सुनिल, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड को नाबार्ड के आदेशों के अनुसार नाबार्ड द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

बैंक, रिपोर्ट के वर्ष के दौरान पदत्याग करने वाले निदेशकों द्वारा उनकी बहुमूल्य सेवाएँ और मार्गदर्शन के प्रति सराहना और आभार अभिलेखबद्ध करता है।

ix. सतर्कता प्रशासन:

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" के प्रमुख विषय के साथ बैंक ने 28 अक्तूबर से 3 नवंबर 2024 तक अपने प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालयों और सभी शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया।

सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा पूरी स्फूर्ति और उत्साह के साथ प्रायोजक बैंक के निर्देशों के अनुसार सभी गतिविधियों का आयोजन किया गया और हमने अनंतिम लक्ष्यों के अनुसार सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया।

बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता ग्राम सभाओं, वाद-विवाद/ भाषण/ परिचर्चाओं, परिवाद निवारण शिविरों इत्यादि का आयोजन किया, प्रमुख स्थानों पर बैनर प्रदर्शित किए, नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि पर प्रधान कार्यालय में प्रश्नोत्तरी का आयोजन और सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया।

सभी स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों को अपने दैनंदिन कार्यों में सतर्क रहने हेतु सुग्राही बनाने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और समीक्षा बैठकों में एक सत्र रखा गया।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

व्हिसल ब्लोअर तंत्र कामकाज के दौरान उच्चतम नैतिक, सदाचारी और व्यावसायिक मानकों को सुनिश्चित करने और बैंक के भीतर कॉरपोरेट अभिशासन की एक स्थायी और मजबूत संस्कृति का निर्माण करने के लिए होता है। इस नीति का उद्देश्य बैंक के सभी कर्मचारियों को अवैध, अनैतिक या अनुचित कार्यों, व्यवहारों अथवा पद्धतियों की संभावित अथवा वास्तविक घटना को प्रतिशोध से डरे बिना रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कर्मचारी इस नीति के माध्यम से अनियमितताओं, कदाचारों और अन्य दुष्कर्मों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। बैंक में व्हिसल ब्लोअर नीति वर्ष 2006 से प्रचलन में है।



हमारे परिसर में बतुकम्मा समारोह



आभारोक्तियाँ

बैंक का निदेशक मंडल, बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपनी सराहना अभिलेखबद्ध करता है, जिससे वे बेहतर कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने में सक्षम हुए. बैंक का निदेशक मंडल सभी ग्राहकों को बैंक पर उनके द्वारा रखे गए विश्वास और उनसे निरंतर प्राप्त संरक्षण के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है. निदेशक मंडल भविष्य में भी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है.

निदेशक मंडल बैंक के विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर मिले मूल्यवान सहयोग के लिए भारत सरकार, तेलंगाणा सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं.

बैंक का निदेशक मंडल समय-समय पर बैंक को मिले बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति भी असीम आभार प्रकट करता है.

बैंक का निदेशक मंडल तेलंगाणा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों और जिला प्रशासन से हमेशा प्राप्त हुए लगातार सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल बैंक की लेखापरीक्षा को उचित समय पर पूरा करने में केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं. और शाखा लेखापरीक्षकों के सहयोग, मार्गदर्शन और तत्परता के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल बैंक की लेखापरीक्षा को उचित समय पर पूरा करने में केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं. और शाखा लेखापरीक्षकों के सहयोग, मार्गदर्शन और तत्परता के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है.

बैंक के विकास और कामकाज में समर्पित भागीदारी के लिए बोर्ड बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों की सराहना करता है. यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि बैंक इस वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर सका और सहमति ज्ञापन के तहत अनेक मापदंडों के अंतर्गत लक्ष्यों से अधिक की उपलब्धि प्राप्त कर सका. निदेशक मंडल भविष्य में भी बैंक के समग्र विकास के लिए स्टाफ सदस्यों की अभिप्रेरित भागीदारी और निरंतर प्रयासों की कामना करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से.

वाई. शोभा

(अध्यक्ष)



आँकड़ों में प्रदर्शन

तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा अनुसूचियां और खातों पर टिप्पणियां



बैंक के लेखा परीक्षक - सनदी लेखाकार

- | | |
|--|---|
| 1. मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक | 16. मेसर्स मनोहर एण्ड वेंकट, गाँधीनगर, हैदराबाद. |
| 1. मेसर्स जी.के.राव एण्ड कं.
अमीरपेट रोड, हैदराबाद. | 17. मेसर्स श्रीधर मोहन एण्ड एसोसिएट्स
माधापुर, हैदराबाद. |
| 2. मेसर्स बेलडी एण्ड एसोसिएट्स
खैरताबाद, हैदराबाद. | 18. मेसर्स अग्रवाल एण्ड लड्डा, हैदराबाद. |
| 3. मेसर्स वाई.तिरुपतय्या एण्ड कं.
न्यू नल्लाकुंटा, हैदराबाद. | 19. मेसर्स शर्मा एण्ड कं., सोमाजीगुडा, हैदराबाद. |
| 4. मेसर्स आकाशम एण्ड एसोसिएट्स
मासाब टैंक, हैदराबाद. | 20. मेसर्स एम हरीश एण्ड एसोसिएट्स, करीमनगर. |
| 5. मेसर्स त्रिवेदी एण्ड बंग
मेहदीपट्टणम, हैदराबाद. | 21. मेसर्स स्वामी एण्ड शेषाद्रि
कवाड़ीगुडा, सिकंदराबाद. |
| 6. मेसर्स जीएमके एसोसिएट्स
चिराग अली लेन, हैदराबाद. | 22. मेसर्स एससीवी एण्ड एसोसिएट्स
अमीरपेट, हैदराबाद. |
| 7. मेसर्स सी.रामचंद्रम एण्ड कं.
माधापुर, हैदराबाद. | 23. मेसर्स सी वेंकट कृष्णा एण्ड कं.
बंजारा हिल्स, हैदराबाद. |
| 8. मेसर्स सोमांची एण्ड कं.
सैफाबाद, हैदराबाद. | 24. मेसर्स आर.बी.काबरा एण्ड कं.
तिलक रोड, हैदराबाद. |
| 9. मेसर्स सी वी एस बालचंद्र एण्ड कं.
सुल्तान बाजार, हैदराबाद. | 25. मेसर्स एस.बी.काबरा एण्ड कं.
नारायणगुडा, हैदराबाद. |
| 10. मेसर्स चक्रधर एण्ड नंदन
एसडी रोड, सिकंदराबाद. | 26. मेसर्स वीएसएमबी एण्ड एसोसिएट्स
कुम्मरगुडा, सिकंदराबाद. |
| 11. मेसर्स के एस राव एण्ड कं.
ईरम मंजिल कॉलोनी, हैदराबाद. | 27. मेसर्स मतेश एण्ड रमणा
हिमायतनगर, हैदराबाद. |
| 12. मेसर्स आतोटा एण्ड कं.
निजामपेट, हैदराबाद. | 28. मेसर्स जी डी उपाध्याय एण्ड कं.
सिद्धिअंबर बाजार, हैदराबाद. |
| 13. मेसर्स एसवीआरएल एण्ड कं., वरंगल. | 29. मेसर्स कारा एण्ड एसोसिएट्स
बंजारा हिल्स, हैदराबाद. |
| 14. मेसर्स एस कस्तूरी रंगन एण्ड कं.
चिराग अली लेन, अबिड्स, हैदराबाद. | 30. मेसर्स पीपीकेजी एण्ड कं., हैदराबाद. |
| 15. मेसर्स एनएसवीआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
माधापुर, हैदराबाद. | 31. मेसर्स एम एस राव एसोसिएट्स
गाँधीनगर, हैदराबाद. |
| | 32. मेसर्स सूर्यनारायण एण्ड सुरेश
बंजारा हिल्स, हैदराबाद. |
| | 33. मेसर्स डी शिव नागेश्वर राव एण्ड कं.
बशीर बाग, हैदराबाद. |



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने तेलंगाणा ग्रामीण बैंक ('बैंक') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक के तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरणों, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 24 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 577 शाखाओं की उस तिथि को समाप्त वर्ष की विवरणियाँ शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, उनका चयन बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('नाबार्ड') द्वारा उसे जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया है।

तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण में लेखापरीक्षा नहीं की गई 332 शाखाओं और 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ भी सम्मिलित हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का बैंक के अग्रिमों में 24.95% का हिस्सा है, जमा राशियों में 23.24%, ब्याज आय में 22.57% और ब्याज व्यय में 16.01% का हिस्सा है।

- हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('नाबार्ड') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और बैंक के लिए वांछित तरीके और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और:

- अपनी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, एक पूर्ण और सही तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित हैं और उसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र दर्शाया जा सके।
- अपनी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा लाभ का सही शेष दर्शाता है; और
- नकदी प्रवाह विवरण, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी के प्रवाहों का सही और स्पष्ट चित्र दर्शाता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नाम के खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और भारत में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मुद्दे

- हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे वे हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों पर वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उनपर अपने अभिमत पर पहुँचने में प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दों पर अलग अभिमत नहीं दिए गए हैं।



महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदें	उसे कैसे निपटाया गया है
अग्रिम: ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण, उनपर प्रावधान और आय निर्धारण में सटीकता भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान. अग्रिमों में नकदी ऋण, माँग पर चुकाए जाने वाले ओवरड्राफ्ट ऋण और मीयादी ऋण होते हैं. बैंक की कुल आस्तियों का 70.08% अग्रिम हैं. ये, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन (आईआरएसी) मानदंडों और भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक अपनी लेखांकन नीति सं.3.2 के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के आधार पर इन अग्रिमों को वर्गीकृत करता है. अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान के लिए एक उचित तंत्र की स्थापना आवश्यक होती है. बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेन-देनों का लेखा-जोखा रखता है, जिससे यह भी पता चलता है कि अग्रिम अर्जक हैं या अनर्जक. इसके साथ ही, अनर्जक आस्ति वर्गीकरण आईटी प्रणाली (सीबीएस) के माध्यम से किया जाता है और आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों (अर्जक और अनर्जक) के लिए प्रावधानन एक्सेल शीट जैसे साधनों का उपयोग कर सिस्टम के बाहर किया जा रहा है. यदि अलग-अलग या कुल मिलाकर, आईआरएसी मानदंडों का सही-सही पालन नहीं किया जाता है, तो इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति हो सकती है. लेनदेनों की प्रकृति, विनियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय वातावरण, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमानन/ निर्णयन को ध्यान में रखते हुए, यह मद वित्तीय विवरणों के अभिप्रेत उपयोगकर्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण मामला है. इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे लेखापरीक्षा का एक प्रमुख मामला माना है. तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा, शेष राशियों की महत्ता के कारण, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानन पर केंद्रित थी.	आईआरएसी मानदंडों और भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों/ निर्देशों और साथ ही बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में अग्रिमों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित का परीक्षण शामिल था: - बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, अकस्मात् लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा जैसे निगरानी तंत्रों की उपस्थिति और प्रभावशीलता; - हमने मौलिक प्रक्रियाओं की प्रकृति, सामयिकता और विस्तार निर्धारित करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की है तथा बैंक की अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अनुसार की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं और नाबार्ड के निरीक्षण के प्रेक्षणों के अनुपालन की जाँच की. - हमें आवंटित शाखाओं में मौलिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में, हमने सभी बड़े अग्रिमों की जाँच की जबकि अन्य अग्रिमों की जाँच नमूना आधार पर की गई. - हमें आवंटित शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए सिस्टम में डेटा प्रविष्टि की सटीकता; - अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भर किया गया. - हमने आईटी प्रणाली के बाहर प्रावधानों की गणना की प्रक्रिया, उसकी सटीकता और लेखा बहियों के साथ उसके मिलान के सत्यापन के लिए व्यापक प्रक्रियाएँ कीं. - भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानन के लिए प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का आकलन किया. उपर्युक्त सत्यापन के आधार पर, हम ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण, उन पर प्रावधानन और आय के निर्धारण से संतुष्ट हैं.



महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मद	कैसे निपटाया गया है
निवेश: निवेशों का वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन निवेशों में, बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं। बैंक की कुल आस्तियों में निवेशों का हिस्सा 9.38% है। ये निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार अधिशासित होते हैं। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्य-निर्धारण, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय की तदनुसारी अमान्यता व उसके समक्ष प्रावधान से संबंधित निदेश शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्य निर्धारण नाबार्ड/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों/ सूचनाओं को इकट्ठा करना शामिल रहता है जैसे कि एफबीआईएल दें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दें। मूल्य निर्धारण के कार्य की जटिलताओं और निर्धारण की सीमा, लेनदेनों की मात्रा, हाथ में निवेश और विनियामक ध्यान की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए, इसे लेखापरीक्षा का एक प्रमुख मामला माना गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान पर केंद्रित थी। साथ ही, बैंक निवेश रजिस्टर का रखरखाव एक्सेल टूल में कर रहा है और सभी गणनाएँ भी इसी टूल के माध्यम से ही की जा रही हैं।	भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों की डिज़ाइन, परिचालन प्रभावशीलता और मौलिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और जाँच शामिल थी। विशेष रूप से - - हमने अनर्जक निवेशों के मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण और पहचान के संबंध में नाबार्ड / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा। - हमने इन निवेशों के सही मूल्य का पता लगाने हेतु विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का आकनल और मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन कर, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र/ नाबार्ड के दिशानिर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन की जाँच की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियाँ (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में शामिल हों; - हमने एक्सेल में रखे गए निवेशों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का वित्तीय विवरणों के साथ मिलान करते हुए जाँच की है ताकि प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के निदेशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उपर्युक्त सत्यापन के आधार पर, हम निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए किए गए प्रावधान से संतुष्ट हैं।



महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मद	कैसे निपटाया गया है
आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की आस्तियों और देयताओं का आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा के बीच विभाजन "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014" के अधिनियमन और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना और निर्देशों के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की आस्तियों और देयताओं को आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा के बीच विभाजित कर दिया गया है। यह विभाजन 01.01.2025 से और इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की सिफारिशों के अनुसार प्रभावी कर दिया गया है। विभाजन के बाद, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) को एपीजीवी बैंक से संबंधित तेलंगाणा की 493 शाखाओं और अन्य कार्यालयों और प्रधान कार्यालय की आस्तियाँ और देयताएँ प्राप्त हुई हैं (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 1 देखें)। बैंक को रु. 31,121.01 करोड़ की आस्तियाँ और रु. 30,997.91 करोड़ की देयताएँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें रु. 6,157.61 करोड़ की आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। बैंक के तुलन-पत्र का आकार 31.12.2024 की तुलना में 01.01.2025 तक 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। साथ ही, आस्तियों और देयताओं को विनियोजित करते समय, कुछ मदों पर कार्य समूह की सिफारिशों से इतर वित्तीय सेवाएँ विभाग के 13 नवंबर 2024 के पत्र एफ.सं.15/15/2015ई-आरआरबी द्वारा नियुक्त अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुसार अलग तरीके से विचार किया गया था। बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर विभाजन की जटिलताओं और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने तेलंगाणा ग्रामीण बैंक द्वारा 01.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार एपीजीवीबी से संबंधित आस्तियों और देयताओं के अपनाए जाने को लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल थे: प्रबंधन से "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014", वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना और निर्देश, कार्य समूह की सिफारिशें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की आस्तियों और देयताओं के विभाजन के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों को समझना। 31.03.2024 तक के एपीजीवीबी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार आस्तियों और देयताओं के विभाजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ संपन्न की गईं। 01.04.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान एपीजीवीबी के तुलन-पत्र से प्राप्त 17 नई मदों के संबंध में प्रभाजन विधि का आकलन और मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 08 आस्ति पक्ष पर और 09 देयता पक्ष पर थीं। वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के आलोक में, कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर आस्तियों और देयताओं को प्रभाजित करते समय विभाजन तर्क में किए गए परिवर्तनों का आकलन और मूल्यांकन किया गया। द्विभाजित शेष राशियों के टीजीबी में अंतरण और भविष्य की प्रणाली एकीकरण की सटीकता पर 12-12-2025 की विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर निर्भर किया गया है। हमने एपीजीवीबी से अंतरित कानूनी मामलों की स्थिति और महत्वपूर्ण प्रगति की भी समीक्षा की है। हमने आरक्षित पूँजी की मात्रा निर्धारित करने तथा किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता के लिए प्रबंधन की गणना की जाँच की है। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हम 01-01-2025 तक एपीजीवीबी से प्राप्त आस्तियों और देयताओं के विभाजन और टीजीबी द्वारा उन्हें अपनाए जाने से संतुष्ट हैं।



अन्य मामले:

- हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 577 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। इनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2025 तक रु. 21,786 करोड़ की कुल आस्तियाँ और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु. 1,835 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गईं, और हमारी राय में, जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, वे पूरी तरह से उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा एक अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई, जिन्होंने 30 अप्रैल 2024 को उन वित्तीय विवरणों पर अपनी अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के अभिशासन के लिए प्रभावित व्यक्तियों के दायित्व

- बैंक के निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन संलग्न वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों। इस दायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना तथा लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल हैं जिनका परिचालन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित था कि वे धोखाधड़ी या त्रुटि और निष्पक्ष चित्रण करने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित कर सकें, और किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त रहें।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर लेखांकन को निरंतर आधार पर प्रयोग करते रहने के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्काधारित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन तो है, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदंडों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी। दुष्प्रस्तुतियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों।
- लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम अपनी व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही:



- क. हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन भी करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त होते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने के जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़े होते हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है।
- ख. हम बैंक के प्रबंधन द्वारा पयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- ग. हम लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान तो नहीं है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो। अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने अभिमत को आशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं।
- घ. हम प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनकी विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो।
9. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं।
10. हम अनिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले, माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है।
11. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों के आधार पर ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हैं। हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित को होने वाले संभावित लाभ ऐसे संप्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

12. बैंक के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म ए और फॉर्म बी के अनुसार तैयार किए गए हैं।
13. उपर्युक्त पैरा 6 से 14 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन रहते हुए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटन की सीमाओं के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क. हमने वे सारी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं; और



- ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों हेतु पर्याप्त पाई गई हैं.
- घ. हमारी राय में, बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए बही खातों की जाँच से ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार अपने बही खातों का रखरखाव समुचित रूप से किया है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से समुचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं.
- ङ. इस रिपोर्ट के अंतर्गत विचार किए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण खाता बहियों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
- च. बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें प्रेषित की गईं और हमने हमारी रिपोर्ट बनाने के लिए उनका समुचित रूप से उपयोग किया है; और

हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, प्रयोज्य लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

कृते **उमामहेश्वर राव एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं.004453S

(**सीए राकेश भानू अमरा**)

भागीदार

सदस्यता सं. 228411

यूडीआईएन: 25228411BMJMTL5044

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 29 अप्रैल 2025



तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
हैदराबाद

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि 000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूँजी और देयताएँ			
पूँजी	1	57 28 69	18 07 23
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	8374 54 25	2495 05 12
जमाराशियाँ	3	32273 01 69	14194 81 38
उधाराशियाँ	4	16613 32 40	6456 97 30
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	683 73 37	260 24 37
कुल		58001 90 40	23425 15 40
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	6	1457 18 06	566 24 07
बैंकों में शेष और माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	7	9134 31 94	5368 10 34
निवेश	8	5445 24 92	2383 81 52
अग्रिम	9	40647 80 16	14576 01 69
अचल आस्तियाँ	10	135 67 42	50 19 33
अन्य आस्तियाँ	11	1181 67 90	480 78 45
कुल		58001 90 40	23425 15 40
आकस्मिक देयताएँ	12	117 24 26	69 77 28

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.,**
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीकरण सं. 004453S

कृते तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

सीए राकेश भानू अमरा
भागीदार
सदस्यता सं. 228411टी. चंद्र शेखर
महाप्रबंधक-Iवाई. शोभा
अध्यक्षश्री वी. शिव कुमार
मप्र (आरआबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र
(निदेशक)श्रीमती दीप्ति सुनिल,
उमप्र, नाबार्ड
(निदेशक)श्री राजू रत्नावत
समप्र, आरबीआई
(निदेशक)श्री प्रियव्रत मिश्र
उमप्र (एबीयू-जीएसएस), एसबीआई, एलएचओ
(निदेशक)श्री राई रवि
अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग,
(तेलंगाणा सरकार, निदेशक)डॉ. बी. गोपी, आईएसएस
कृषि निदेशक,
(तेलंगाणा सरकार, निदेशक)

दिनांक: 29.04.2025

स्थान: हैदराबाद



तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
हैदराबाद

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(राशि 000 में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. आय			
अर्जित आय	13	2736 75 20	1925 01 54
अन्य आय	14	362 00 59	269 95 23
वापस किया गया प्रावधान		35 71 63	0
कुल		3134 47 42	2194 96 77
II. व्यय			
खर्च किया गया ब्याज	15	1513 11 96	1056 36 06
परिचालन व्यय	16	719 54 79	400 10 65
प्रावधान और आकस्मिकताएं		7 46 09	29 83 98
कुल		2240 12 84	1486 30 69
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ		894 34 58	708 66 08
घटा: आयकर के लिए प्रावधान	-	220 00 00	178 00 00
(घटा) / जोड़: (डीटीएल) / डीटीए	+	95 00	(1 58 54)
कर-पश्चात् लाभ	क	675 29 58	529 07 54
गत वर्ष से आगे लाया गया लाभ	ख	5796 74 51	1501 28 33
लाभ (लाभों) का विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	i	135 05 91	105 81 51
आरक्षित पूंजी में अंतरण	ii	0	0
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	iii	0	0
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधियों में अंतरण	iv	20 00 00	12 80 00
आगे लाए गए लाभ का शेष	v	520 23 67	410 46 03
तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि (ख+v)		6316 98 18	1911 74 36

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.,**
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीकरण सं. 004453S

कृते तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

सीए राकेश भानू अमरा
भागीदार
सदस्यता सं. 228411टी. चंद्र शेखर
महाप्रबंधक-Iवाई. शोभा
अध्यक्षश्री वी. शिव कुमार
मप्र (आरआबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र
(निदेशक)श्रीमती दीप्ति सुनिल,
उमप्र, नाबार्ड
(निदेशक)श्री राजू रत्नावत
समप्र, आरबीआई
(निदेशक)श्री प्रियव्रत मिश्र
उमप्र (एबीयू-जीएसएस), एसबीआई, एलएचओ
(निदेशक)श्री राई रवि
अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग,
(तेलंगाणा सरकार, निदेशक)डॉ. बी. गोपी, आईएसएस
कृषि निदेशक,
(तेलंगाणा सरकार, निदेशक)

दिनांक: 29.04.2025

स्थान: हैदराबाद



तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
हैदराबाद

अनुसूची-1 - पूँजी

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I प्राधिकृत पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर के 2,00,00,00,000 शेयर)	2000,00,00	2000,00,00
II निर्गमित पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर के 5,72,86,944 शेयर)	57,28,69	18,07,23
III अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर के 5,72,86,944 शेयर)	57,28,69	18,07,23
कुल	57,28,69	18,07,23

अनुसूची - 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I सांविधिक आरक्षित निधियाँ अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	527,19,62 1066,56,50 0	421,38,12 105,81,51 0
कुल	1593,76,12	527,19,63
II आरक्षित पूँजी निधियाँ अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4,91,14 130,64,75 0	4,91,14 0 0
कुल	135,55,89	4,91,14
III शेयर प्रीमियम अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0 0 0	0 0 0
कुल	0	0
IV धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	51,20,00 267,30,22 0	38,40,00 12,80,00 0
कुल	318,50,22	51,20,00
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ अथशेष वर्ष के दौरान परिवर्धन वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0 9,73,84 0	0 0 0
कुल	9,73,84	0
V लाभ और हानि लेखों में शेषराशि	6316,98,18	1911,74,35
कुल (I, II, III, IV और V)	8374,54,25	2495,05,12



अनुसूची - 3 - जमाराशियाँ

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
अ. I.	माँग जमाराशियाँ		
	i. बैंकों से	0	0
	ii. अन्य से	423,88,86	148,69,69
II	बचत बैंक जमाराशियाँ	11688,32,05	4993,33,97
III	मीयादी जमाराशियाँ		
	i. बैंकों से	4968,30,97	2622,05,59
	ii. अन्य से	15192,49,81	6430,72,13
कुल (I II और III)		32273,01,69	14194,81,38
आ.	i. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	32273,01,69	14194,81,38
	ii. भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	0	0
कुल		32273,01,69	14194,81,38

अनुसूची - 4 - उधारराशियाँ

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
I	भारत में उधार		
	i. भारतीय रिज़र्व बैंक	672,00,00	210,00,00
	ii. अन्य बैंक (एसबीआई और इंडसइंड)	2549,18,25	679,16,14
	iii. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		
	क) नाबर्ड	12947,84,93	5321,85,86
	ख) राष्ट्रीय आवास बैंक	421,98,82	230,52,80
	ग) मुद्रा	9,72,80	0
	घ) एनएसएफडीसी	12,57,60	15,42,50
II	भारत के बाहर से उधार	0	0
कुल (I और II)		16613,32,40	6456,97,30

अनुसूची - 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
I	देय बिल	55,58,67	25,06,68
II	अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	913	19,91
III	उपचित ब्याज	38,78,06	19,74,26
IV	अन्य (प्रावधान सहित)		
	मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान	124,93,18	47,84,69
	पेंशन और एनपीएस के लिए प्रावधान	0	0
	आयकर के लिए प्रावधान	0	0
	अन्य देयताएँ	464,34,33	167,38,83
कुल		683,73,37	260,24,37



अनुसूची - 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I हाथ में नकदी	1073633	469552
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि		
i. चालू खाते में	13498173	5192855
ii. अन्य खातों में	0	0
कुल (I और II)	1457,18,06	566,24,07

अनुसूची - 7 - बैंकों में शेष और माँग एवं अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क. चालू खातों में	48,46,52	23,44,66
ख. अन्य जमा खातों में	90858542	53446568
ii) माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि		
क. बैंकों में	0	-
ख. अन्य संस्थाओं में	-	-
कुल (i और ii)	9134,31,94	5368,10,34
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	-	-
ii) अन्य जमा खातों में	-	-
iii) माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-
कुल (i, ii, iii)	-	-
कुल जोड़	9134,31,94	5368,10,34

अनुसूची - 8 - निवेश

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I भारत में निम्नलिखित में निवेश		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	5430,24,92	2368,81,52
घटाएँ: प्रावधान/ मूल्यहास	0	-
निवल एसएलआर	5430,24,92	2368,81,52
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
iii. शेयर	-	-
iv. डिबेंचर और बॉण्ड	15,00,00	15,00,00
घटाएँ: प्रावधान	-	-
उप-जोड़ गैर-एसएलआर	15,00,00	15,00,00
v. सहायक संस्थाएँ तथा/ अथवा संयुक्त उद्यम	-	-



विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
I	vi. अन्य		
	इंदिरा विकास पत्र / किसान विकास पत्र आदि	-	-
	म्यूचुअल फंड	-	-
	घटाएँ: प्रावधान	-	-
	उप-जोड़ गैर-एसएलआर	-	-
कुल गैर-एसएलआर (निवल)		15,00,00	15,00,00
कुल - भारत में निवल निवेश		5445,24,92	2383,81,52
II	भारत से बाहर निवेश	-	-
	घटाएँ: प्रावधान/ मूल्यहास	-	-
कुल II का निवल		-	-
कुल जोड़ (I+II)		5445,24,92	2383,81,52

अनुसूची - 9 - अग्रिम

(राशि 000 में)

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
अ	i. खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
	ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय ऋण	25012,61,76	9983,51,69
	iii. मीयादी ऋण	15635,18,40	4592,50,00
	कुल	40647,80,16	14576,01,69
आ	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	34542,66,10	11738,32,67
	ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
	iii. अप्रतिभूत	6105,14,06	2837,69,02
	कुल	40647,80,16	14576,01,69
इ	I. भारत में दिए गए अग्रिम		
	i. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	27988,32,67	11144,32,52
	घटाएँ: जारी आईबीपीसी	-	-
	उप-जोड़	27988,32,67	11144,32,52
	ii. सावर्जनिक क्षेत्र	-	-
	iii. बैंक	-	-
	iv. अन्य	12659,47,49	3431,69,17
	कुल	40647,80,16	14576,01,69
	II. भारत के बाहर दिए गए अग्रिम		
	i. बैंकों से देय	-	-
	ii. अन्य से देय	-	-
	कुल	-	-
सकल अग्रिम		41518,27,92	14840,69,44
घटाएँ: आईएनसीए		-	-
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान		870,47,76	264,67,75
निवल अग्रिम		40647,80,16	14576,01,69



अनुसूची - 10 - अचल आस्तियाँ

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I. परिसर		
31 मार्च तक की लागत पर	14,66,46	14,66,46
i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	21,01,30	0
ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	9,48	80
iv. उक्त दिनांक को मूल्यहास	1,39,78	10,08
कुल I	34,27,96	14,56,38
II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित)		
31 मार्च तक की लागत पर	93,41,98	85,05,05
i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	148,93,66	8,45,95
ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	3,78
iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	9,33,94	7,06,70
iv. उक्त दिनांक को मूल्यहास	140,96,18	57,84,27
कुल II	101,39,46	35,62,95
III. चल रहे पूँजीगत कार्य		
31 मार्च तक की लागत पर	0	0
i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
कुल III	0	0
कुल I और II	135,67,42	50,19,33

अनुसूची - 11 - अन्य आस्तियाँ

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)	0	0
ii. उपचित ब्याज	214,39,44	189,17,42
iii. प्रदत्त अग्रिम कर/ स्रोत पर काटा गया कर*	35,61,21	6,28,58
iv. लेखन सामग्री और स्टाम्प	24	25
v. दावों की पूर्ति पर अधिप्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	0	0
vi. अन्य		
क) भारत सरकार/ नाबार्ड से प्राप्य ब्याज सहायता	686,20,71	272,46,76
ख) विविध आस्तियाँ (धोखाधड़ियाँ, नकदी की चोरी)	0	0
ग) अन्य (उच्चत उपयोगी सेवाएँ आदि)	245,46,30	12,85,44
कुल	1181,67,90	480,78,45
* प्रावधानों को घटाने के बाद		



अनुसूची - 12 - आकस्मिक देयताएँ

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें उधार नहीं माना गया है	10,99,54	4,83,16
ii. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
iii. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	-	-
iv. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी	-	-
क. भारत में	21,55,94	6,76,05
ख. भारत के बाहर	-	-
v. स्वीकृतियाँ, परांकन और अन्य दायित्व	-	-
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है (डीईएफ खाता)	84,68,78	58,18,07
कुल	117,24,26	69,77,28

अनुसूची - 13 - अर्जित ब्याज

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर छूट	2087,43,47	1368,12,71
ii. निवेशों पर ब्याज	246,41,33	174,90,35
घटाएँ: प्रीमियम का परिशोधन	(1,13,34)	1,30,55
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	403,63,40	381,56,27
iv. अन्य	4,034	1,72,76
कुल	2736,75,20	1925,01,54

अनुसूची - 14 - अन्य आय

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. कमीशन, विनिमय और दलाली	212,68,37	137,84,59
ii. निवेशों की बिक्री पर लाभ		
घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर घाटा	12,03	1,54,70
iii. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ		
घटाएँ: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर घाटा	0	0
iv. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ		
घटाएँ: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर घाटा	0	-21
v. विनिमय लेनदेनों पर लाभ		
घटाएँ: विनिमय लेनदेनों पर घाटा	0	0
vi. विदेशों में/ भारत में स्थित सहायक संस्थाओं/ कंपनियों और / अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के माध्यम से अर्जित आय	0	0
vii. विविध आय	149,44,25	130,56,15
कुल	362,00,59	269,95,23



अनुसूची - 15 - खर्च किया गया ब्याज

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. जमाराशियों पर ब्याज	1008,60,51	740,86,25
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारराशियों पर ब्याज	0	0
iii. अन्य		
क. एसबीआई/ अन्य बैंकों के ओवरड्राफ्ट	81,77,08	27,66,51
ख. नाबार्ड - पुनर्वित्त	380,67,50	265,45,93
ग. एनएचबी - पुनर्वित्त	31,63,32	11,14,16
घ. मुद्रा, एनएसएफडीसी, आदि	10,43,55	11,23,21
iv. आईबीपीसी सहभागिता पर ब्याज	0	0
कुल	1513,11,96	1056,36,06

अनुसूची - 16 - परिचालन व्यय

(राशि 000 में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	554,58,84	306,17,45
ii. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	26,39,78	17,25,50
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री	3,03,36	1,82,52
iv. विज्ञापन और प्रचार	6,42	93
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	9,43,43	7,06,92
vi. निदेशक के शुल्क, भत्ते और व्यय	0	0
vii. लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	1,37,41	39,20
viii. विधि प्रभार	8,94	558.78
ix. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	62,54	38,72
x. मरम्मत और अनुरक्षण	33,00,03	13,63,59
xi. बीमा	27,51,82	15,81,12
xii. अन्य व्यय	63,42,22	37,49,12
कुल	719,54,79	400,10,65



तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
हैदराबाद

अनुसूची - 17: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

अ. तैयारी का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत निरंतर चल रही संस्था का अनुपालन करते हुए लेखों के संचित आधार पर तैयार किए गए हैं जो उन मामलों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित है भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं, इनमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और उनमें किए गए संशोधनों द्वारा निर्धारित यथा लागू संवैधानिक प्रावधानों, विनियामक मानदंडों/ दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में विद्यमान पद्धतियां शामिल हैं।

आ. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के क्रम में प्रबंधन से यह अपेक्षित होता है कि वे वित्तीय विवरणों की तिथि तक आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित राशि और प्रतिवेदन की अवधि के दौरान प्रतिवेदित आय और व्यय पर विचार करते समय आकलनों और अनुमानों का उपयोग करें। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और समुचित हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन पर आधारित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच की भिन्नताओं को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होंगे/ भौतिक रूप धारण करेंगे।

इ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

1. राजस्व निर्धारण:

- 1.1. अन्यथा सूचित को छोड़कर आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.2. जैसे-जैसे ब्याज/ डिस्काउंट आय उपचित होती है उसे लाभ और हानि लेखा में दर्शाया जाता है, निम्नलिखित को छोड़कर:
 - (i) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से प्राप्त आय जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल होते हैं और इनका निर्धारण इनकी उगाही पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
 - (ii) निवेशों पर अतिदेय ब्याज।
- 1.3. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ/ हुई हानि को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त लाभ (लागू करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि को छोड़कर) को "आरक्षित पूंजी निधि खाते" में विनियोजित किया जाता है। परिपक्वता अवधि तक धारित श्रेणी में निवेशों के अधिग्रहण पर यदि कोई छूट मिलती है तो उसका लेखांकन बिक्री / मोचन के समय किया जाता है।
- 1.4. लाभांश का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- 1.5. कमीशन और विनियम तथा लॉकर का किराया नकदी आधार पर मान्य किया जाता है।
- 1.6. अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 1.7. मुकदमा दायर खातों के मामले में किए गए कानूनी एवं अन्य व्ययों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और ऐसे व्ययों को वसूली के समय आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

2. निवेश

सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों में लेनदेनों को "निपटान की तारीख" पर अभिलिखित किया जाता है।

- 2.1. वर्गीकरण: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)।



2.2. वर्गीकरण का आधार:

- * बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।
- * ऐसे निवेश जिन्हें प्रधानतया खरीदी की तिथि से 90 दिनों के अंदर पुनः बेचने के लिए धारित किया जाता है उन्हें "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- * जिन निवेशों को उक्त दोनों श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता है उन्हें "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी निवेश को खरीदी के समय एचटीएम/ एचएफटी/ एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में विनियामक मानदंडों के अनुरूप उन्हें श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

2.3. तुलन-पत्र में प्रकटन:

तुलन-पत्र में निवेशों को सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों और बॉण्डों, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों तथा अन्य के रूप में वर्गीकृत और प्रकटित किया जाता है।

2.4. मूल्य निर्धारण : प्रत्येक वर्गीकरण में प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निम्नानुसार किया जाता है:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में:

- (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/ कमीशन को लागत में से घटाया जाता है।
- (ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में किए गए दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि के भुगतान पहले ही कर दिए जाते हैं और उन्हें लागत से घटा दिया जाता है।
- (ग) ऋण के लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और उसे लागत या बिक्री प्रतिफल से हटा दिया जाता है।
- (घ) म्यूच्युअल फंडों के अधिग्रहण पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क मूल्य को खरीद मूल्य माना जाता है अथवा लेखा बहियों में पूंजीकृत किया जाता है।
- (ङ) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में लागत का निर्धारण लागत की भारित औसत पद्धति पर किया जाता है तथा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों का लागत निर्धारण एफआईएफओ (क्रय-क्रम मूल्यन विधि) आधार पर किया जाता है।

ii. एचएफटी/ एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण के दिन रहने वाली अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य से कम लागत पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है। तथापि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण मूल्य/ बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात् इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और यदि कोई परिणामी मूल्यहास होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है।

iii. परिपक्वता तक धारित श्रेणी: परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश, अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसे मामलों में परिपक्वता की शेष अवधि के लिए प्रीमियम का परिशोधन स्थिर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। प्रीमियम के ऐसे परिशोधन को "निवेशों पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

iv. अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेशों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। अस्थायी मूल्यहासों को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के हास के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है।

v. बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियां: एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों के लिए बाजार मूल्य पर या विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर अलग-अलग पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी (यथा सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर और बॉण्ड, सहायक संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम और अन्य) के लिए हर एक समूह के निवल मूल्य हास के लिए प्रावधान किया जाता है तथा निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की जाती है। बाजार भाव पर दर्शाने के बाद मूल्यहास के लिए प्रावधान करने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य यथावत् रह जाता है।

vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को अर्जक और अनर्जक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश अनर्जक तब बनते हैं जब:

- क) ब्याज/ किस्त (परिपक्वता पर प्राप्य राशि सहित) देय हो जाती है और वह 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदत्त रह जाती है।



- ख) इक्विटी शेयरों के मामले में नवीनतम तुलन-पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु.1/- प्रति कंपनी के रूप में आंका जाता है तो ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाता है।
- ग) यदि किसी निकाय द्वारा ली गई कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति है तो उसी निकाय द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी अनर्जक निवेश और इसके विपरीत माना जाता है।
- घ) डिबेंचरों/ बॉण्डों में निवेश, जिन्हें अग्रिम की प्रकृति का माना जाता है वे भी अनर्जक निवेश के मानदंडों के अधीन होते हैं जैसा कि निवेशों पर लागू होता है।

2.5. पुनःखरीद/प्रतिवर्ती पुनःखरीद लेनदेनों के लिए लेखांकन:

बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनःखरीद और प्रतिवर्ती पुनःखरीद लेनदेन निष्पादित कर रखे हैं। पुनःखरीद लेनदेन ऐसे उधार होते हैं जिनके अंतर्गत पुनःखरीद के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लिया जाता है। जबकि दूसरी ओर प्रतिवर्ती पुनःखरीद के लेनदेनों में प्रतिभूतियों को खरीदकर निधियाँ उधार दी जाती हैं।

- क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेनदेनों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में लेखांकित किया जाता है।
- ख) पुनःखरीद खाते की शेषराशि को अनुसूची-4 (उधारराशियाँ) के तहत वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिवर्ती पुनःखरीद खाते की शेषराशि को अनुसूची-6 (बैंकों में शेषराशि और माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
- ग) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुनःखरीद के लेनदेनों की उधार लागत और प्रतिवर्ती पुनःखरीद के लेनदेनों के राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

3. ऋण अथवा अग्रिम और उनके लिए प्रावधान:

3.1. ऋणों और अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियाँ तब अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) बनती हैं जब:

- कृषि अग्रिमों के मामले में:
 - i) अल्पावधि फसलों के मामले में, जहाँ मूल राशि अथवा ब्याज की किस्त दो फसलीय मौसमों के लिए अतिदेय रह जाती है, और
 - ii) दीर्घावधि फसलों के मामले में जहाँ मूल राशि अथवा ब्याज की किस्त एक फसलीय मौसम के लिए अतिदेय रह जाती है।
- कृषीतर अग्रिमों के मामले में:
 - i) मीयादी ऋणों के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रह जाती है।
 - ii) ओवरड्राफ्ट अथवा नकदी ऋण अग्रिमों के मामले में जब खाता "अनियमित" रहने लगता है यानी खाते में बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक रह जाती है अथवा खाते में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों के लिए किसी भी प्रकार के जमा नहीं दर्ज किए जाते हैं अथवा उक्त अवधि के दौरान देय ब्याज को कवर करने के लिए खाते में पर्याप्त जमाराशि नहीं रहती है।

3.2. अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निवर्तमान दिशानिर्देशों/ निदेशों के अनुसार किए जाते हैं:

सभी अग्रिमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है यानी मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। अग्रिमों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए जाते हैं:

- क) मानक आस्तियाँ: मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान निम्नलिखित दरों पर किए जाते हैं:
 - कृषि एवं एसएमई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिमों के लिए 0.25%.
 - वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र के लिए 1%.
 - उपर्युक्त (1) और (2) में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी अग्रिमों के लिए 0.40%.



यह सामान्य प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य प्रावधान" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

- ख) अवमानक आस्तियाँ: कोई भी ऋण आस्ति जो 12 माह तक या उससे कम की अवधि के लिए अनर्जक रह जाती है तो वह अवमानक आस्ति कहलाती है।

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें (नाबार्ड दिशानिर्देश)	बैंक द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त दरें	कुल विशिष्ट प्रावधान दर
प्रतिभूत अंश	10.00%	90.00%	100.00%
अप्रतिभूत अंश	20.00% (न्यूनतम)	80.00%	100.00%

- ग) संदिग्ध आस्तियाँ: कोई भी ऋण आस्ति जो 12 माह की अवधि तक अवमानक आस्ति की श्रेणी में बनी रहती है तो वह संदिग्ध आस्ति बन जाती है।

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरें (नाबार्ड दिशानिर्देश)		बैंक द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त दरें	कुल विशिष्ट प्रावधान दर
प्रतिभूत अंश	1 वर्ष तक	20.00%	80.00%	100.00%
	1 से 3 वर्ष तक	30.00%	70.00%	100.00%
	3 वर्ष से अधिक	50.00%	50.00%	100.00%
अप्रतिभूत अंश		100.00%	100.00%	100.00%

- घ) हानि आस्तियाँ: हानि आस्ति वह होती है जिसमें हानि की पहचान तो की जा चुकी है किंतु राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। बकाया अग्रिमों पर 100% प्रावधान

- 3.3. अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण प्रावधान, वसूला नहीं गया ब्याज, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे घटाए जाते हैं।
- 3.4. पुनःसंचित/पुनःअनुसूचित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निवर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।
- 3.5. अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह विनियमकों द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- 3.6. पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों के समक्ष वसूली गई राशियों को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- 3.7. भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है और निवल अनर्जक आस्तियों की गणना हेतु इन पर विचार नहीं किया गया है।
- 3.8. अनर्जक आस्तियों पर वसूल किए गए ब्याज को आय खाते में लिया जाता है बशर्ते कि ब्याज के रूप में खाते में जमा की गई राशि संबंधित उधारकर्ता को मंजूर नई/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में न ली गई हो।

4. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेशों और सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग के लिए नीति विद्यमान है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ, मूल्यहास और परिशोधन:

- 5.1. अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।



5.2. आस्ति को उपयोग में लाने से पहले उसकी लागत में खरीद की लागत और उक्त आस्ति को प्राप्त करने के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या उसके संबंध में किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाई गई आस्तियों पर होने वाले परवर्ती व्ययों का पूँजीकरण केवल तभी किया जाता है जब उस आस्ति अथवा उसकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि हो सकती है.

5.3 मूल्यहास/परिशोधन का प्रावधान निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है:

अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास/परिशोधन दर
भवन	1.667%
बिजली के उपकरणों को छोड़कर फर्नीचर और फिक्शर	10%
कंप्यूटर; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते हैं; कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं होते हैं और सॉफ्टवेयर विकास की लागत.	33.33%
ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ नकदी जमा मशीन/ कॉइन डिस्पेंसर/ कॉइन वेंडिंग मशीन और बिजली के अन्य उपकरण	20.00%
सर्वर	25.00%
नेटवर्क उपकरण	20.00%
मोटर वाहन	20.00%
सुरक्षित जमा लॉकर, अग्नि रोधी डाटा सेफ	5.00%

5.4. वर्ष के दौरान अधिप्राप्त की गई आस्तियों के संबंध में अनुपातिक आधार पर यानी वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किए जाने वाले दिनों के हिसाब से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है.

5.5. ₹.1000/- से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति को खरीदी के वर्ष में ही चार्ज-ऑफ किया जाता है.

6. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता:

जब किसी घटना के घटित होने अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसा लगता है कि किसी आस्ति की अंकित राशि की वसूली भी नहीं हो सकती है तब उन अचल आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के लिए समीक्षा की जाती है. धारित और प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों की वसूलीयोग्यता को उस आस्ति की अंकित राशि के साथ उसके द्वारा सृजित होने वाले भावी निवल बटुआगत नकदी प्रवाह की तुलना के माध्यम से मापा जाता है. यदि ऐसी आस्तियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं तो पहचान की जाने वाली क्षतिग्रस्तता को उस राशि से मापा जाता है जो आस्ति की अंकित राशि से उसके उचित मूल्य से अधिक हो जाती है.

7. कर्मचारी लाभ:

7.1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों जैसे चिकित्सा लाभ इत्यादि जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि उसी अवधि के लिए मानी गई है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं.

7.2. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

i) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क) उपदान: बैंक अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान देयता का प्रावधान करता है. "तेलंगाणा ग्रामीण बैंक कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट" में अंशदान द्वारा इस देयता का निधीयन किया जाता है.



- ख) छुट्टी नकदीकरण: बैंक पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान करता है।
- ग) पेंशन: बैंक 31.03.2010 को या उससे पहले भर्ती होने वाले अपने सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह परिलाभ मासिक भुगतान के रूप में नियमानुसार पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा अवधि के दौरान उनकी मृत्यु पर या सेवा से हटाए जाने पर प्रदान किया जाता है। यह भुगतान नियमानुसार विभिन्न चरणों में किया जाता है। बैंक वेतन के 10% की दर से पेंशन निधि में मासिक योगदान करता है। बैंक इस देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान करता है। पेंशन देयता की गणना स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है और पेंशन विनियमनों के अंतर्गत पेंशन के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बैंक निधि में समय-समय पर अतिरिक्त अंशदान करता रहता है।
- ii) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:
- क) भविष्य निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में माना जाता है और उसे उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखे को प्रभारित किया जाता है।
- ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): बैंक अपने उन सभी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है जो 31.03.2018 के बाद बैंक में शामिल हुए हैं। जो कर्मचारी 01.04.2010 से 31.03.2018 के बीच बैंक में शामिल हुए हैं उन्हें स्वेच्छा से एनपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। इस योजना के अनुसार, योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योजना में अंशदान करते हैं। इसी की मिलती-जुलती राशि का योगदान बैंक भी करता है। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा के रूप में रखा जाता है और भविष्य निधि शेष के चालू खाते के समान दर पर ब्याज अर्जित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान और ब्याज को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित योगदान राशि एनपीएस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

8. आयकर व्यय:

आयकर, यदि लागू हो, की गणना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रासंगिक कर प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

आयकर व्यय, वर्तमान कर और आस्थगित कर की कुल राशि होता है। वर्तमान कर और आस्थगित कर के व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" एवं भारत में प्रचलित कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों अथवा देयताओं में किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखागत आय, आगे ले जाई गई हानियों के बीच समय के अंतरों के प्रभाव पर विचार कर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग कर मापा जाता है जो तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित की हुई हों। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है। समुचित/ लगभग निश्चित रूप से प्राप्ति होने के प्रबंधन के पूर्वानुमान के आधार पर आस्थगित कर आस्तियों को रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि को निर्धारित और पुनः आकलित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को अवशोषित न हुए मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाए जाने के माध्यम से केवल तब ही पहचाना जा सकता है यदि विश्वसनीय प्रमाणों द्वारा समर्थित यह आभासी सुनिश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के लाभों के समक्ष वसूला जा सकता है।

9. सरकारी अनुदान:

उद्यम के लिए उपलब्ध सरकारी अनुदानों पर निम्नलिखित के लिए विचार किया जाता है:-

- क) जहां एक समुचित आश्वासि रहती है कि उद्यम उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा।
- ख) जहां उद्यम द्वारा इस तरह के लाभ अर्जित किए गए हैं और यह निश्चित रूप से सुनिश्चित है कि अंतिम संग्रह किया जाएगा।

विशिष्ट अचल आस्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को इसके अंकित मूल्य की गणना के लिए संबंधित आस्ति के सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया जाता है।

**10. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान:**

10.1. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुसरण में बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता प्रदान करता है जब उसपर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता हो और उस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का संभावित बहिर्गमन होता हो एवं दायित्वों की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो।

निम्नलिखित मामलों में प्रावधान मान्य नहीं किया जाता है:

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व जिसका होना या न होना भविष्य की एक या अनेक आनश्चित घटनाओं पर निर्भर करता है जिन पर बैंक का पूरी तरह से कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है; अथवा
- ख) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होता है परंतु उसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:
 - * यह संभावित नहीं है कि उस दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी; अथवा
 - * दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलिखित किया जाता है। इनका आकलन नियमित अंतरालों में किया जाता है और कुछ अत्यंत विरल परिस्थितियों, जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर दायित्व के केवल उस अंश, जिसके संदर्भ में आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्गमन संभावित हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.2. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को नहीं दर्शाया जाता है।

11. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में आयकर आधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि शामिल है।

12. पट्टे:

पट्टे जहाँ पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई मद के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतानों को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

उक्त दिनांक की हमारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं.004453S

कृते तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

सीए राकेश भानू अमरा
भागीदार (सदस्यता सं. 228411)

(टी. चंद्रशेखर)
महाप्रबंधक-I

(वाई.शोभा)
अध्यक्ष

दिनांक: 29.04.2025

स्थान: हैदराबाद



तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित)
हैदराबाद

अनुसूची - 18 - लेखों पर टिप्पणियाँ - मार्च 2025

1. आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा के बीच आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की आस्तियों और देयताओं का विभाजन

"आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014" के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 2719ई और 2718ई के माध्यम से सभी 5 जिलों (नामत: वरंगल, मेदक, खम्मम, नलगोंडा और महबूबनगर) को आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) के अधिकार क्षेत्र से हटाकर तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) के अधिकार क्षेत्र के साथ जोड़ दिया है।

तथापि, 20 अक्टूबर 2014 की उपर्युक्त भारत सरकार की अधिसूचना को लागू करने में शामिल तकनीकी बाधयताओं/ कठिनाइयों के कारण एपीजीवीबी ने 31.12.2024 तक अपने मूल अधिकार क्षेत्र में काम करना जारी रखा, जिसमें तेलंगाणा के तत्कालीन 5 जिले (अब 21 जिलों के रूप में पुनर्गठित) और शेष आंध्र प्रदेश के 3 पूर्ववर्ती जिले (अब 7 जिलों के रूप में पुनर्गठित) शामिल थे।

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) ने 17 जून 2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग (डीओएलएफ) से राय मांगी। विधि कार्य विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 27/06/2022 के अपने ई-ऑफिस सं. 60984; डीवाई सं.449069/एडीवी.बी/2022 और डीवाई सं.449406 (आरकेएस) 2022 के माध्यम से अपना अभिमत दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विभाजन "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014" के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार की दिनांक 13 नवंबर 2024 की अधिसूचना एफ. सं. 15/15/2015(ई)-आरआरबी के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की 31-03-2024 तक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति और कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की आस्तियों और देयताओं का विभाजन दो राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा, के बीच किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, एपीजीवीबी से संबंधित 493 शाखाओं, 9 क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों (आरबीओ) और 2 प्रशासनिक कार्यालयों को 01-01-2025 से टीजीबी में विलय कर दिया गया।

कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार, दोनों बैंकों के बीच आरक्षित निधियों का वितरण उनके व्यावसायिक अनुपात के समानुपात में किया गया है। यथा निर्धारित आरक्षित निधियों का संबंधित अंश, तेलंगाणा ग्रामीण बैंक (टीजीबी) को प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	31.12.2024 तक आरक्षित निधियाँ	एपीजीवीबी से प्राप्त आरक्षित निधियाँ	01.01.2025 तक कुल आरक्षित निधियाँ
सांविधिक आरक्षित निधियाँ	527.20	931.51	1,458.71
आरक्षित पूँजी निधियाँ	4.91	7.55	12.46
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधियाँ	51.20	247.30	298.50
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ	0.00	9.74	9.74
लाभ और हानि लेखे में शेष	2,272.61	3,885.00	6,157.61
कुल आरक्षित निधियाँ	2855.92	5081.10	7937.02

- एपीजीवीबी की आस्तियों और देयताओं को डीएफएस के निर्देशों और कार्य समूह द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों/ संचालन समिति के निर्देशों के अनुसार दोनों बैंकों के बीच विभाजित किया गया है।



विभाजन के बाद, 01-01-2025 को टीजीबी द्वारा प्राप्त आस्तियाँ और देयताएँ निम्नानुसार हैं:

(राशि रु. करोड़ में)

आस्तियाँ	एपीजीवीबी से टीजीबी में विभाजित आस्तियाँ
नकदी और आरबीआई के साथ शेष	686.16
अग्रिम	22526.80
निवेश	6479.82
अचल आस्तियाँ	83.83
अन्य आस्तियाँ	1344.39
कुल आस्तियाँ (अ)	31,121.00

देयताएँ	एपीजीवीबी से टीजीबी में विभाजित देयताएँ
अंश पूँजी	39.21
आरक्षित निधि और अधिशेष	5081.10
जमा राशियाँ	16829.41
उधार राशियाँ	7865.89
अन्य देयताएँ	1182.30
कुल देयताएँ (आ)	30997.91

देयताओं की तुलना में आस्तियों का आधिक्य (अ-आ)	123.09
---	---------------

एपीजीवीबी से प्राप्त अतिरिक्त आस्तियों को आरक्षित पूँजी में समायोजित किया गया है.

- अंतर-शाखा लेनदेनों, अंतर-कार्यालय खातों और उच्चत, विविध जमा, समाशोधन समायोजन से संबंधित बकाया प्रविष्टियाँ समाधान/ समायोजन की प्रक्रिया में हैं. प्रबंधन का मानना है कि इसमें शामिल राशियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और संदिग्ध प्रकृति की नहीं हैं तथा प्रावधान पर विचार करने हेतु पर्याप्त नहीं है.

(राशि रु. लाख में)

क्रम सं.	समयावधि	नामे प्रविष्टियों की सं.	नामे प्रतिवष्टियों की राशि	जमा प्रविष्टियों की सं.	जमा प्रविष्टियों की राशि	निवल जमा स्थिति
1	3 माह तक	0	0	2	9.30	9.30
2	3 से 6 माह	0	0	0	0	0
3	6 माह से 1 वर्ष	0	0	0	0	0
4	1 वर्ष से 5 वर्ष	0	0	0	0	0
5	5 वर्ष से ऊपर	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	2	9.30	9.30



3. प्रतिभूति प्रपत्रों और स्टाम्पों को छोड़कर, वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखन सामग्री को उपभोग की गई माना गया और उसे व्यय खाते में दर्ज किया गया है। तथापि, प्रतिभूति प्रपत्रों और स्टाम्पों की राशि से संबंधित व्यय को, वर्ष के दौरान उनके उपयोग के आधार पर व्यय खाते में दर्ज किए जा रहे हैं।

4. अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान:

क. बैंक के प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा और मूल्यांकन के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए ₹ 87047.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 26467.75 लाख) के प्रावधान की आवश्यकता है। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार लेखा बहियों में **₹ 87047.76 लाख** (पिछले वर्ष ₹ 26467.75 लाख) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें ₹ 60580.01 लाख (पिछले वर्ष ₹ 84.84 लाख) का वृद्धिशील प्रावधान शामिल है।

ख. **₹ 12493.18 लाख** (पिछले वर्ष ₹ 4784.69 लाख) की राशि 31 मार्च 2025 तक के खातों में "मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान" शीर्षक के तहत सामान्य प्रावधानों के रूप में मानी गई है, जैसा कि अनुसूची 5 की मद 4 में बताया गया है।

5. कर्मचारी लाभ:

परिभाषित लाभ योजनाएँ:-

क. ग्रेच्युटी:-

- बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता को पूरा करने के लिए ₹ 328.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 173.00 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31 मार्च 2025 तक कर्मचारियों की कुल ग्रेच्युटी देयता ₹ 15115.03 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3959.20 लाख) हो गई।
- उपर्युक्त ग्रेच्युटी देयता का निधीयन निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है i) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 7475.16 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1589.12 लाख) की सीमा तक, और ii) एलआईसी द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर धारित ₹ 175.34 लाख (पिछले वर्ष ₹ 881.37 लाख) की सीमा तक, iii) एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 5541.59 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2459.44 लाख) की सीमा तक, iv. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 2514.28 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0 लाख) की सीमा तक, v. आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 2514.42 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹ 0 लाख) की सीमा तक, vi. टीजीबी की नल्लाकुंटा शाखा के चालू खाते में ₹ 340.28 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹ 0.93 लाख) जमा निधि द्वारा।

ख. वर्ष 2024-25 के लिए पेंशन देयता

- बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए ₹ 14700.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2836.00 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31 मार्च 2025 तक कर्मचारियों की कुल पेंशन देयता ₹ 148131.04 लाख (पिछले वर्ष ₹ 46457.01 लाख) हो गई।
- उपर्युक्त पेंशन देयता का निधीयन निम्नलिखित के माध्यम से किया जाता है:
 - एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 40216.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 15404.81 लाख) की सीमा तक, और
 - एलआईसी द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर धारित ₹ 437.65 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3404.14 लाख) की सीमा तक,
 - एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 36600.81 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10851.37 लाख) की सीमा तक,
 - इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 5035.16 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0 लाख रुपये) की सीमा तक,
 - आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 25780.17 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5262.66 लाख) की सीमा तक,
 - फ्यूचर जनराली इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 5732.69 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0 लाख) की सीमा तक,
 - बजाज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹ 842.24 लाख (पिछले वर्ष ₹ 776.40 लाख) की सीमा तक,



8. आदित्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा टीजीबी के कॉर्पस के नाम पर ₹20687.02 लाख (पिछले वर्ष ₹10837.60 लाख) की सीमा तक,
9. टीजीबी नल्लाकुंटा शाखा के चालू खाते में ₹768.19 लाख (पिछले वर्ष ₹28.60 लाख) की राशि.

ग. छुट्टी नकदीकरण देयता:-

- i. बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण देयता को पूरा करने के लिए ₹105.00 लाख (पिछले वर्ष ₹482.10 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31 मार्च 2025 तक कर्मचारियों की कुल देयता ₹12104.52 लाख (पिछले वर्ष ₹4416.19 लाख) हो गई.

6. कराधान:

क) चालू वर्ष के लिए कर:

वर्ष के लिए कर योग्य आय की गणना के आधार पर, चालू कर देयता के लिए लेखा बहियों में ₹220,00.00 लाख (पिछले वर्ष ₹178,00 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है.

ख) आस्थगित कर:

विवरण	2024-25	2023-24
आस्थगित कर देयताएँ:		
1) खाता बहियों के अनुसार मूल्यहास योग्य आस्तियों के बही मूल्य और कर के प्रयोजन के अवलिखित बही मूल्य के बीच के अंतर पर	114.76	38.70
अथ	38.70	50.72
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले सामयिक अंतर	76.06	
वर्ष के दौरान रिवर्स किए गए सामयिक अंतर		(12.02)
कर की दरों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ (रिवर्स किए गए)	-	
इति	114.76	38.70
2) विशेष आरक्षित निधियों पर	8,016.06	1,288.60
अथ	1,288.60	-
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले सामयिक अंतर	6,727.46	1,288.60
वर्ष के दौरान रिवर्स किए गए सामयिक अंतर	-	
कर की दरों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ (रिवर्स किए गए)	-	
इति	8,016.06	1,288.60
कुल	8,130.82	1,327.30
आस्थगित कर आस्तियाँ	-	-
- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत नामंजूर पर	3,177.54	1,111.56
अथ	1,111.56	-
वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले सामयिक अंतर	2,065.98	1,111.56
वर्ष के दौरान रिवर्स किए गए सामयिक अंतर	-	
कर की दरों में परिवर्तन के कारण समायोजन/ (रिवर्स किए गए)	-	
इति	3,177.54	1,111.56
निवल आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)	(4,953.28)	(215.74)
अथ शेष	(5048.28)	(57.20)
प्रावधान/ (रिवर्सल)	(95.00)	158.54



7. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विवरण नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण के अंतर्गत मद संख्या 27 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण में दिए गए हैं।

8. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, बैंक ने अपने लाभ का 20% के रूप में ₹135,05.91 लाख (पिछले वर्ष ₹105,81.51 लाख) की राशि विनियोजित की है और इसे सांविधिक आरक्षित खाते में अंतरित किया है।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने परिपक्वता अवधि के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के रूप में ₹113.34 लाख (पिछले वर्ष ₹130.55 लाख) की राशि को मान्यता दी है।

10. पट्टे:

बैंक ने अपने परिचालनों के लिए परिसरों को परिचालनात्मक पट्टे पर लिया है, जो निरस्तीकरण योग्य पट्टे हैं। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, परिसर के स्वामियों के साथ आपसी बातचीत के आधार पर नवीनीकरण हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया वर्ष के लिए कुल पट्टा भुगतान ₹1396.18 लाख (पिछले वर्ष ₹943.87 लाख) है।

11. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन:

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को नाबार्ड से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को माइक्रो एटीएम के लिए नाबार्ड से ₹22.04 लाख का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ था।

12. खंड रिपोर्टिंग:

प्राथमिक (व्यावसायिक खंड): बैंक पूरी तरह से निवेश युक्त बैंकिंग क्षेत्र उद्योग में कार्य करता है, जो विभिन्न जोखिमों और लाभों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः ये आंकड़े केवल इसी खंड विशेष से संबंधित हैं।

द्वितीयक (भौगोलिक खंड): बैंक की गतिविधियाँ/ परिचालन केवल तेलंगाणा राज्य में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने तक ही सीमित हैं और अतः आंकड़े केवल इसी खंड विशेष से संबंधित हैं।

13. संबंधित पक्ष के लेनदेन:-

आईसीएआई द्वारा "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" पर जारी लेखा मानक 18 के पैरा 9 के अनुसार, एक राज्य-नियंत्रित उद्यम होने के नाते, बैंक को अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष के साथ संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेनों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य संबंधित पक्ष लेनदेन नीचे प्रकट किए गए हैं:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
श्रीमती वाई. शोभा, अध्यक्ष	50.80	37.68
श्री वी. एस. महेश, महाप्रबंधक (आईटी) (जुलाई 2023 तक)	0.00	18.17
श्रीमती के. पी. शोभा रानी, महाप्रबंधक - आईटी (जून 2024 तक)	11.92	35.26
श्री के. वी. प्रसाद, महाप्रबंधक-III (जून 2024 तक)	13.31	34.12
श्री डी. रमेश, महाप्रबंधक-II	45.20	27.45
श्रीमती भारती तायार, महाप्रबंधक (सतर्कता)	49.41	29.08
श्री टी. चंद्र शेखर, महाप्रबंधक-I	40.16	15.78
श्रीमती कोमंडूरु लक्ष्मी, महाप्रबंधक - आईटी (जून 2024 से)	28.97	0.00
श्री टी. सुधाकर, महाप्रबंधक-III (जून 2024 से)	28.90	0.00
श्री वी. अनिल, महाप्रबंधक-IV (जनवरी 2025 से)	3.00	0.00
श्री के. वी. कृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक-V (जनवरी 2025 से)	3.00	0.00
श्री एस. सतीश बाबू, मुख्य प्रबंधक (लेखा परीक्षा) (अक्तूबर 2024 से)	13.01	0.00



बैंक के निदेशक:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	नामिती
1	श्रीमती वाई. शोभा, अध्यक्ष	भारतीय स्टेट बैंक
2	श्री वी. शिव कुमार, मप्र (आरआरबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट केंद्र	भारतीय स्टेट बैंक
3	श्री प्रियव्रत मिश्र, उमप्र, एसबीआई, स्थानीय प्रधान कार्यालय	भारतीय स्टेट बैंक
4	श्रीमती दीप्ति सुनिल, उमप्र	नाबार्ड
5	श्री राजू रत्नावत, समप्र	भारतीय रिज़र्व बैंक
6	श्री राई रवि, अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग.	तेलंगाणा सरकार
7	डॉ. बी. गोपी, आईएएस, कृषि निदेशक	तेलंगाणा सरकार

14. आय प्रति शेयर

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात् निवल लाभ	52023.67	41046.03
इक्विटी शेयरों की संख्या	5728.69	1807.23
इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	5728.69	1807.23
प्रति शेयर मूल आय (₹ में)	9.08	22.71
प्रति शेयर तनु आय (₹ में)	9.08	22.71
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

15. आस्तियों का हास

बैंक के प्रबंधन के मतानुसार, चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियों में हास के कोई भी संकेत नहीं हैं.

16. 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कोई भी पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं.



नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन
लेखों का भाग बनने वाली टिप्पणियों के अनुबंध (अनुसूची - 18)

17. विनियामक पूँजी

a) विनियामक पूँजी की रचना (बेसल-1 मानदंडों के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1) / प्रदत्त शेयर पूँजी और प्रारक्षित निधियाँ (कटौतियों, यदि कोई हों, को घटाकर)	8431.83	2513.12
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*/ अन्य टियर 1 पूँजी	-	-
iii)	टियर 1 पूँजी (i + ii)	8431.83	2513.12
iv)	टियर 2 पूँजी	124.93	47.85
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)	8556.76	2560.97
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	33665.09	12691.74
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए में प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर पूँजी और आरक्षित निधियाँ	25.05	19.80
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	25.05	19.80
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूँजी)	0.37	0.38
x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	25.42	20.18
xi)	लीवरेज अनुपात	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
xii)	निम्नलिखित की शेयरधारिता का प्रतिशत		
	क) भारत सरकार	50.00	50.00
	ख) राज्य सरकार (नाम स्पष्ट करें)	15.00	15.00
	ख) प्रायोजक बैंक	35.00	35.00
xiii)	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूँजी की राशि	शून्य	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूँजी, जिसमें से: लिखत के प्रकार (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर, स्थायी कर्ज लिखत, आदि) के अनुसार सूची दें. वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) यह भी स्पष्ट करें कि क्या लिखत बेसल II और बेसल III का पालन करते हैं.	शून्य	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से: लिखत के प्रकार (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर, स्थायी कर्ज लिखत, आदि) के अनुसार सूची दें. वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) यह भी स्पष्ट करें कि क्या लिखत बेसल II अथवा बेसल III का पालन करते हैं.	शून्य	शून्य



18. आस्ति देयता प्रबंधन

क) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता क्रम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पहला दिन	2 - 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियाँ	47.01	1813.02	911.17	1164.36	1749.44	1714.31	3401.16	5984.56	3791.76	1080.54	10615.69	32273.02
अग्रिम	0.00	624.20	556.44	1221.62	2112.77	1406.93	6266.93	14751.78	10152.34	2213.38	2211.89	41518.28
निवेश	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	10.06	74.21	6.49	2147.22	405.85	2797.50	5445.24
उधारराशियाँ	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3925.03	7697.49	2789.14	1520.63	9.03	16613.32
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



19. निवेश

क) 31.03.2025 तक निवेश पोर्टफोलियो की रचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
सकल	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
घटाएँ : अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.04
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21
घटाएँ : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	2960.21	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2975.21
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ : मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
कुल निवेश	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	5445.25	
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	5430.25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5445.25	0.00	0.00	0.00	5445.25	

31.03.2024 तक निवेश पोर्टफोलियो की रचना

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
सकल	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82
घटाएँ: अनर्जक निवेशों (एनपी आई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.82



(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सहायक संस्थाएँ और/अथवा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	941.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	941.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल निवेश	2368.82	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00	2383.82	
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	2368.82	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2383.82	0.00	0.00	0.00	2383.82	



ख) मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए प्रावधानों में घट-बढ़

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
i) निवेशों के मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
क. अथशेष	0.00	0.00
ख. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
ग. घटाएँ: वर्ष के दौरान अपलिखित / प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
घ. इतिशेष	0.00	0.00
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में घट-बढ़		
क. अथशेष	0.00	0.00
ख. जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	0.00	0.00
ग. घटाएँ: आहरण	0.00	0.00
घ. इतिशेष	0.00	0.00
iii) बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित / चालू श्रेणी में निवेशों के इतिशेष के प्रतिशत के रूप में निवेश उचार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि में इतिशेष	0.00	0.00

ग) परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी को / से बिक्री और अंतरण

- + बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में/से प्रतिभूतियाँ नहीं बेची है.
- + बैंक ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में ₹412.81 करोड़ और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से परिपक्वता तक धारित श्रेणी में ₹116.94 करोड़ अंतरित किए हैं.

घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क)	अथशेष	0.00	0.00
ख)	वर्ष के दौरान 1 अपैल से परिवर्धन	0.00	0.00
ग)	उपर्युक्त अवधि के दौरान हुई कमियाँ	0.00	0.00
घ)	इतिशेष	0.00	0.00
ड)	धारित कुल प्रावधान	0.00	0.00



ii. गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संघटना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की राशि	'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियाँ	'रेट न की गई' प्रतिभूतियों की राशि	'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियों की राशि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		31.03.25 को	31.03.24 को	31.03.25 को	31.03.24 को	31.03.25 को	31.03.24 को	31.03.25 को	31.03.24 को	31.03.25 को	31.03.24 को
क)	पीएसयू	15.00	15.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख)	वित्तीय संस्थाएँ	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग)	बैंक	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ)	निजी कॉरपोरेट	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड)	सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च)	अन्य	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ)	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	15.00	15.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ड. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया				
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	790.00	791.14	319.92	321.58	672.00	668.43
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ								
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								
ii) रिवर्सरेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ								
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ								



- + एफवी: उचित मूल्य
- + एमवी: बाज़ार मूल्य

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया
i) रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	11.94	224.83	193.60	223.80
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ				
ii) रिबर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	62.29	267.17	21.96	--
ख) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
ग) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ				

सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाज़ार मूल्य के रूप में)

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेनों की प्रमात्रा	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप प्राप्त की गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



31.03.2024 की स्थिति के अनुसार:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेनों की प्रमात्रा	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप प्राप्त की गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



20. आस्ति गुणवत्ता

क) 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ 000' में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और अनर्जक आस्तियाँ						
अथशेष	145760168.71	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	148406943.21
अथशेष (एपीजीवीबी से 31.12.2024)	232841132.47	2680934.66	5700004.35	8455.86	8389394.87	241230527.34
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					7429617.50	
घटाएँ: वर्ष के दौरान हुई कमियाँ					9761010.78	
इतिशेष	406478016.12	3086566.03	5580104.26	38105.80	8704776.09	415182792.21
सकल अनर्जक आस्तियों में निम्नलिखित के कारण कमियाँ हुई:						
उन्नयन					3412948.02	
वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					5076017.48	
तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन					0.00	
उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन					1272045.28	
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का अथशेष	478469.19	1169083.48	1438967.63	38723.39	2646774.50	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए/ एपीजीवीबी से जुड़े प्रावधान					7542416.30	
घटाएँ: रिवर्स किया गया अधिक प्रावधान / बढ़ाकृत ऋण					1484414.71	
धारित प्रावधानों का इतिशेष	1249317.46	3086566.03	5580104.26	38105.80	8704776.09	
निवल अनर्जक आस्तियाँ						
अथशेष		0.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					0.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान की गई कमियाँ					0.00	
इतिशेष		0.00	0.00	0.00	0.00	



	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
अस्थाई प्रावधान						0.00
अथशेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00
अस्थाई प्रावधानों का इतिशेष						
तकनीकी अपलेखन और उनपर की गई वसूलियाँ						0.00
तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन लेखों का अथशेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों से की गई वसूलियाँ						0.00
इतिशेष						0.00

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सकल एनपीए के प्रति सकल अग्रिम	2.10%	1.78%
निवल एनपीए के प्रति निवल अग्रिम	0.00	0.00
प्रावधान व्याप्ति अनुपात	100%	100%



ख) क्षेत्र - वार अग्रिम और सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

	क्षेत्र *	31.03.2025 तक			31.03.2024 तक		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
अ	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र						
i.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	23137.47	711.36	3.07	9223.56	223.49	2.42
	केसीसी	13890.36	585.92	4.22	5593.95	185.76	3.32
	एसएचजी	8809.31	113.45	1.29	3421.69	31.70	0.93
ii.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत पात्र व्यवसाय/ उद्योगों को	394.53	44.36	11.24	121.35	8.54	7.03
iii.	सेवा क्षेत्र	2484.27	74.69	3.01	928.12	16.63	1.79
	नकदी ऋण	2484.27	74.69	3.01	928.12	16.63	1.79
iv.	वैयक्तिक ऋण	2810.79	8.90	0.31	1122.57	2.62	0.23
	इनमें से						
	आवास ऋण	2760.38	7.99	0.29	1106.98	2.38	0.21
	उप-जोड़ (अ)	28827.06	839.31	2.91	11395.60	251.28	2.20
आ	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र:						
i.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
ii.	उद्योग	-	-	-	-	-	-
iii.	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
iv.	वैयक्तिक ऋण	12691.22	31.17	0.25	3445.09	13.40	0.39
	इनमें से						
	आभूषण ऋण *	6791.12	0.81	0.01	1672.46	0.31	0.02
	डीएल/ सीडीएल *	498.64	3.47	0.7	282.55	1.16	0.41
	उप-जोड़ (आ)	12691.22	31.17	0.25	3445.09	13.40	0.39
	जोड़ (अ+आ)	41518.28	870.48	2.10	14840.69	264.68	1.78

* क्षेत्रीय कुल के 10% से अधिक की बकाया शेष राशि वाले उप-क्षेत्रों का प्रकटन अलग से किया गया है।

ग) विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य



घ) समाधान योजना और पुनःसंरचना के विवरण

पुनःसंरचना के अधीन खातों के विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ		कॉरपोरेट (एमएसएमई को छोड़कर)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर)		कुल	
		31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
मानक	उधारकर्ताओं की संख्या	0	शून्य	शून्य	शून्य	0	48	354	397	354	445
	सकल राशि (₹ करोड़)	0	शून्य	शून्य	शून्य	0.00	1.19	40.81	46.34	40.81	47.53
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0	शून्य	शून्य	शून्य	0.00	0.12	0.16	4.63	4.08	4.75
अवमानक	उधारकर्ताओं की संख्या	0	शून्य	शून्य	शून्य	47	23	4	6	51	29
	सकल राशि (₹ करोड़)	0	शून्य	शून्य	शून्य	1.09	0.69	0.57	0.54	1.66	1.23
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0	शून्य	शून्य	शून्य	1.09	0.69	0.57	0.54	1.66	1.23
संदिग्ध	उधारकर्ताओं की संख्या	92	127	शून्य	शून्य	23	0	4	1	119	128
	सकल राशि (₹ करोड़)	0.40	0.52	शून्य	शून्य	0.71	0	0.27	0.03	1.38	0.55
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0.40	0.52	शून्य	शून्य	0.71	0	0.27	0.03	1.38	0.55
रहित	उधारकर्ताओं की संख्या	92	127	शून्य	शून्य	70	71	362	404	524	602
	सकल राशि (₹ करोड़)	0.40	0.52	शून्य	शून्य	1.80	1.88	41.65	46.91	43.85	49.31
	धारित प्रावधान (₹ करोड़)	0.40	0.52	शून्य	शून्य	1.80	0.81	1.00	5.20	7.12	6.53



ड) ऋण एक्सपोज़रों के अंतरण का प्रकटन

अंतरित अथवा अधिप्राप्त दबावग्रस्त ऋणों के मामले में निम्नलिखित प्रकटन किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाएँ)		
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को	अन्य अंतरितियों को (कृपया स्पष्ट करें)
संख्या: खातों की	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतरित ऋणों का भारित औसत शेष परिपक्वता काल	लागू नहीं	लागू नहीं
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	लागू नहीं	लागू नहीं
संकलित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में उगाहा गया अतिरिक्त प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष के दौरान अधिप्राप्त ऋणों के विवरण		
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित रास बैंकों, क्षेत्रा बैंकों, शस बैंकों, जिमस बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से
अधिप्राप्त ऋणों का संकलित बकाया मूलधन	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रदत्त संकलित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
अधिप्राप्त ऋणों का भारित औसत शेष परिपक्वता काल	लागू नहीं	लागू नहीं

च) धोखाधड़ी वाले खाते

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	2	6
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	0.30	1.42
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0.02	0.78
'अन्य आरक्षित निधियों' में से नामे की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

* दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार धोखाधड़ियों में शामिल कुल राशि थी ₹ 12.24 लाख और ₹ 10.24 लाख की राशि वसूली गई और ₹ 2.00 लाख की के लिए प्रावधान किया गया और प्रावधानों को नामे करते हुए झूठे पीएमजेबीवाई बीमा दावे के लिए भुगतान किया गया.



छ) कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढाँचे के तहत प्रकटन

"समाधान ढाँचा 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधी दबावों का समाधान" पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 05.05.2021 के परिपत्र सं.आरबीआई/2021-22/31 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने मार्च 2024 के दौरान ₹5633.35 लाख की राशि के 515 आवास ऋण और ट्रेक्टर ऋण खातों को पुनर्निर्धारित किया है और ₹563.35 लाख के 10% का प्रावधान किया है. 515 ऋण खातों में से 83 ऋण खाते वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बंद कर दिए गए हैं और ₹211 लाख के 77 खाते अनर्जक आस्ति की श्रेणी में फिसल गए, जिसके लिए 100% का प्रावधान किया गया है. शेष 355 खाते ₹3835 लाख की बकाया राशि के साथ मानक श्रेणी में हैं. मानक खातों में से 81 ग्राहकों ने ऋण राशि के 30% से अधिक का भुगतान कर दिया है और ₹4081 लाख की बकाया राशि के साथ शेष खातों यानी 274 खातों के लिए 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹16.32 लाख का प्रावधान बरकरार रखा गया.

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में किए जाने वाले प्रकटनों के लिए प्रारूप

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर (अ)	(अ) में से, अनर्जक आस्ति बन जाने वाला संकलित ऋण	(अ) में से अपलिखित राशि	(अ) में से उधारकर्ताओं द्वारा अदा की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति
वैयक्तिक ऋण	4633.97	5.86	0	606.38	4021.73
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	0	0	0	0	0
इनमें से एमएसएमई	188.31	109.57	0	19.47	59.27
अन्य	0	0	0	0	0
कुल	4752.28	115.43	0	555.85	4081.00

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है.

21. एक्सपोजर

क) भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
क) आवासीय बंधक – ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाएगी अथवा किराए पर दी गई है. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाएगा. एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी.	7143.73	2229.11
ख) वाणिज्यिक भूसंपदा – वाणिज्यिक भूसंपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम परिसर, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण कार्य, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार देना. एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी;	23.91	1.93
ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश – i) आवासीय ii) वाणिज्यिक भूसंपदा	शून्य	शून्य
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	शून्य	शून्य
भूसंपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	7167.64	2231.04



ख) पूँजी बाज़ार को एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	शून्य	शून्य
ii) शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित), संपरिवर्तनीय बॉण्डों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए क्लीन बेसिस पर अग्रिम;	शून्य	शून्य
iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयर अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्ड अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	शून्य	शून्य
iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम यानी जहाँ शेयरों/ संपरिवर्तनीय बॉण्डों/ संपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती;	शून्य	शून्य
v) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों और बाज़ार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ;	शून्य	शून्य
vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा रखने वाली नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के रूप में अंशदान करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा अथवा क्लीन बेसिस पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/ निर्गमों के समक्ष कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों अथवा संपरिवर्तनीय बॉण्डों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण;	शून्य	शून्य
x) जोखिम पूँजी निधि (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
पूँजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र	शून्य	शून्य

च) जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2025 तक एक्सपोज़र (निवल)	31.03.2025 तक धारित प्रावधान	31.03.2024 तक एक्सपोज़र (निवल)	31.03.2024 तक धारित प्रावधान
नगण्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निम्न	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मामूली रूप से निम्न	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मामूली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मामूली रूप से उच्च	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अति उच्च	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



छ) अप्रतिभूत अग्रिम

बैंक ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दी गई ऋण सुविधाओं को ₹10 लाख की सीमा तक स्वीकृत खातों को अप्रतिभूत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया है और ₹10 लाख की मंजूर सीमा से ऊपर के खातों के लिए, सूक्ष्म इकाइयों हेतु सीजीएफएमयू क्रेडिट गारंटी निधि के तहत कवर की गई बकाया राशि के 75% को प्रतिभूत और शेष को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	6105.14	2837.69
उपर्युक्त में से, उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकार आदि पर ऋण-भार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गईं:	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ज) फैक्ट्रिंग एक्स्पोज़र

फैक्ट्रिंग एक्स्पोज़र का प्रकटन अलग से किया जाएगा।

झ) अंतःसमूह एक्स्पोज़र

संबंधित पक्षों के उल्लेखनीय लेनदेनों का सारांश नीचे प्रस्तुत है:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	शून्य	शून्य
भारतीय स्टेट बैंक को प्रदत्त ब्याज	7210.42	1682.89
निम्नलिखित में किए गए निवेश:		
भारतीय स्टेट बैंक-एसटीडीआर के रूप में	575031.68	104600.82
एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00
भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज	14012.72	2970.66
एसबीआई में निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ	0.00	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उपदान निधि में अंशदान	7475.16	1589.12
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान	0.00	0.00
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पेंशन ट्रस्ट पॉलिसी में ट्रस्ट की ओर से अंशदान	40216.76	15404.81
भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता शेष	4846.28	3341.95
अंतःसमूह एक्स्पोज़रों में सीमाओं का उल्लंघन और उनपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य



22. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्स्पोज़रों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

क) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बीस सर्वाधिक जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	5243.02	3026.53
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सर्वाधिक जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	16.24%	21.32%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	33.69	26.35
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	0.08%	0.18%

ग) एक्स्पोज़रों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्स्पोज़र	33.69	26.35
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्स्पोज़र में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्स्पोज़र का प्रतिशत	0.08%	0.18%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सबसे बड़े बीस अनर्जक आस्ति खातों को कुल एक्स्पोज़र	13.39	3.10
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में सबसे बड़े बीस अनर्जक आस्ति खातों को एक्स्पोज़र का प्रतिशत	1.53%	1.17%

23. व्युत्पन्न

क) वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) अदला-बदली करारों का कल्पित मूलधन		
ii) यदि प्रतिपक्षकार करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	चालू वर्ष में 31.03.2025 तक	चालू वर्ष में 31.03.2024 तक
iii) स्वैप के निष्पादन हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	व्युत्पन्नों में कोई भी	व्युत्पन्नों में कोई भी
iv) अदला-बदली से उत्पन्न होने वाली ऋण जोखिम की संकेन्द्रता	लेनदेन नहीं किए गए.	लेनदेन नहीं किए गए.
v) स्वैप बुक का उचित मूल्य		



ख) विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न

क्रम.सं.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)	चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.	चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए गए.
ii)	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार)		
iii)	विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि बकाया है और 'अति प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)		
iv)	विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया हैं और 'अति प्रभावी' नहीं हैं (लिखत वार) का बही में अंकित बाजार मूल्य		

ग) व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

i) गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने 31.03.2025 तक व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं.

ii) मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने 31.03.2025 तक व्युत्पन्न में कोई भी लेनदेन नहीं किए हैं.

घ) ऋण चूक अदला-बदली

लागू नहीं

24. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का अथशेष	58.18	25.75
ii)	जोड़ें: वर्ष 2025 के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशियाँ	27.43	33.76
iii)	घटाएँ: दावों की एवज़ में डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	0.92	1.33
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का इतिशेष	84.69	58.18

25. शिकायतों का प्रकटन

क) बैंक द्वारा ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त सूचना



क्रम सं.		विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
		बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0	9
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	103	558	1307
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	103	549	1289
	3.1	इनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की संख्या	0	0	0
4.		वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	0	9	18
		बैंक द्वारा लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त संधार्य शिकायतें			
5.		बैंक द्वारा लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त संधार्य शिकायतों की संख्या	38	32	57
	5.1.	उपर्युक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में समाधित शिकायतों की संख्या	38	32	55
	5.2	उपर्युक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा सुलह/ मध्यस्थता/ परामर्श जारी करने के माध्यम से समाधित शिकायतों की संख्या	0	0	0
	5.3	उपर्युक्त 5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के पश्चात् समाधित शिकायतों की संख्या	0	0	2
6.		विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील की गई है)	0	0	0
नोट: संधार्य शिकायतें उन शिकायतों को कहा जाता है जो विशिष्ट रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों के अनुसार की जाती हैं और जो उक्त योजना के दायरे में आती हैं।					

ख) बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के पांच प्रमुख कारण

शिकायतों के कारण, (यानी निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31.03.2024 तक प्राप्त शिकायतों की तुलना में शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी का %	दिसंबर तिमाही की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	उक्त 5 में से, 30 दिन से अधिक समय तक लंबित रहने वाली शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2024-25					
कारण - 1	0	69	-14.8%	1	0
कारण - 2	1	95	-36%	2	0
कारण - 3	4	167	149%	2	0
कारण - 4	0	2	-	-	0
कारण - 5	3	136	5.4%	8	0
अन्य	1	838	539%	5	0
कुल	9	1307	134%	18	0



शिकायतों के कारण, (यानी निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31.03.2024 तक प्राप्त शिकायतों की तुलना में शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी का %	दिसंबर तिमाही की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	उक्त 5 में से, 30 दिन से अधिक समय तक लंबित रहने वाली शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2023-24					
कारण - 1	0	81	2600%	0	0
कारण - 2	0	150	1264%	1	0
कारण - 3	0	67	168%	4	0
कारण - 4	0	0	-100%	0	0
कारण - 5	0	129	2480%	3	0
अन्य	0	131	126%	1	0
कुल	0	558	442%	9	0

कारण-1: एटीएम/डेबिट कार्डों से संबंधित

कारण-2: मोबाइल/इंटरनेट/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित

कारण-3: ऋण और अग्रिम

कारण-4: प्रभार लगाना

कारण-5: यूपीआई से संबंधित

अन्य : सूचना प्राप्त करने हेतु (एमपिन भूल जाना/ एमपिन रीसेट के लिए/ एटीएम कार्ड गुम हो जाना/ आईएफएस कोड पृष्ठताछ, आदि)

26. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

क्रम सं.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए दंड	दंड
(i)	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य
(ii)	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	शून्य
(iii)	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए)	शून्य
(iv)	रेपो- चूक की घटानाओं की संख्या तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त दंड की मात्रा	शून्य



27. पारिश्रमिक पर प्रकटन

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विवरण:

(राशि ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
श्रीमती वाई. शोभा, अध्यक्ष	50.80	37.68
श्री वी.एस.महेश, महाप्रबंधक (आईटी) (जुलाई 2023 तक)	0.00	18.17
श्रीमती के.पी. शोभा रानी, महाप्रबंधक-आईटी (जून 2024 तक)	11.92	35.26
श्री के.वी. प्रसाद, महाप्रबंधक-III (जून 2024 तक)	13.31	34.12
श्री डी. रमेश, महाप्रबंधक - II	45.20	27.45
श्रीमती भारती तायार, महाप्रबंधक (सतर्कता)	49.41	29.08
श्री टी. चंद्र शेशर, महाप्रबंधक - I	40.16	15.78
श्रीमती कोमडूर लक्ष्मी, महाप्रबंधक - आईटी (जून 2024 से)	28.97	0.00
श्री टी.सुधाकर, महाप्रबंधक - III (जून 2024 से)	28.90	0.00
श्री वी. अनिल, महाप्रबंधक - IV (जनवरी 2025 से)	3.00	0.00
श्री के.वी.कृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक - V (जनवरी 2025 से)	3.00	0.00
श्री एस. सतीष बाबू, मुख्य प्रबंधक (लेखापरीक्षा) (अक्तूबर 2024 से)	13.01	0.00

28. अन्य प्रकटन:

क) व्यवसाय अनुपात

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i) ब्याज आय, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में	8.53%	8.81%
ii) गैर-ब्याज आय, कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में	1.13%	1.23%
iii) जमाराशियों की लागत	5.57%	5.51%
iv) निवल ब्याज मार्जिन	3.99%	4.16%
v) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.81%	3.38%
vi) आस्तियों पर प्रतिलाभ	2.10%	2.42%
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	16.14	15.71
viii) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	0.15	0.29

ख) बैंकएश्योरेंस व्यापार

बैंक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार दोनों वर्षों के लिए अपने द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ ब्रोकरेज का विवरण प्रकट करेगा.

(राशि ₹ लाख में)

2024-25	2023-24
1807.96	1175.15



ग) विपणन और वितरण

बैंक अपने द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्यों (बैंक एश्योरेंस व्यापार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों/ पारिश्रमिक का विवरण प्रकट करेगा.

(राशि ₹ लाख में)

2024-25	2023-24
147.46	160.34

घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर प्लैटफॉर्म के माध्यम से 31.03.2025 को समाप्त नौ माह के दौरान विभिन्न तिथियों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के माध्यम से निम्नलिखित प्राथमिकता-प्राप्त अग्रिम बेचे और खरीदे हैं.

(राशि ₹ लाख में)

पीएसएलसी की बिक्री			
	घटक	राशि	अर्जित प्रीमियम
	पीएसएलसी एसएम	699000.00	13685.00
	पीएसएलसी कृषि	50000.00	135.00
	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	0.00	0.00
	कुल	749000.00	13820.00
पीएसएलसी की खरीद:			
	घटक	राशि	अर्जित प्रीमियम
	पीएसएलसी समान्य	390000.00	39.00
	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	0.00	0.00
	पीएसएलसी ए	0.00	0.00
	कुल	390000.00	39.00

ड) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	31.03.2025 तक	31.03.2024 को
i.	अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ii.	अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान	0.00	24.51
iii.	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	220.00	178.00
iv.	अन्य के लिए प्रावधान	0.00	0.00
v.	मानक आस्तियों पर प्रावधान	7.44	5.33
Vi	धोखाधड़ियों पर प्रावधान	0.02	0.00
	कुल	229.46	207.84



च) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	20.90*	14.82
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाए	शून्य	शून्य

* इसमें ई-एपीजीवीबी की शाखाओं के लिए 3 माह हेतु किया गया भुगतान शामिल है

छ) बैंकों के कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययों के परिशोधन पर प्रकटन : शून्य

ज) 1 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पेंशन योजना के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन पर प्रकटीकरण:

बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पेंशन योजना के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पेंशन देयता के परिशोधन की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से अपने दिनांक 03.10.2024 के पत्र एफ.सं. 8/4/2024-आरआरबी के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, बैंक के बोर्ड ने दिनांक 04.10.2024 के अपने परिपत्र संकल्प सं. 60/2024 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 में संशोधन से संबंधित निर्देशों को अनुमोदन दिया।

संशोधित पेंशन नियम 01.11.1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 01.11.2024 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए गए। बैंक ने सभी पात्र मौजूदा पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों/ त्यागपत्रि देने वालों/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना (सीआरएस)/ सेवा से हटाए गए पेंशनभोगियों को निम्नानुसार 100% पेंशन बकाए का भुगतान किया।

क) वर्ष के दौरान टीजीबी के 145 पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि के संबंध में ₹1073 लाख की राशि का 100% भुगतान पेंशन निधि "तेलंगाणा ग्रामीण बैंक कर्मचारी पेंशन निधि ट्रस्ट" के माध्यम से किया गया।

ख) एपीजीवीबी के 827 पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि के संबंध में, एपीजीवीबी ने आस्तियों और देयताओं के विभाजन से पहले यानी 31.12.2024 से पहले ₹6190 लाख की राशि का भुगतान किया है और वर्ष के दौरान एपीजीवीबी से प्राप्त प्रावधानों में से टीजीबी द्वारा ₹5847 लाख की शेष राशि का भुगतान किया गया है।

29. जैसा कि ऊपर मद 1 के तहत बताया गया है, तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच एपीजीवीबी के विभाजन के प्रभाव को छोड़कर, पिछले वर्षों के आंकड़ों को वर्तमान वर्षों के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हुआ, पुनःसमूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

30. वित्तीय विवरणों में राशियों को निकटतम रुपये (हजारों) में पूर्णांकित किया गया है।

उक्त दिनांक की हमारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स उमामहेश्वर राव एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण सं. 004453S

कृते तेलंगाणा ग्रामीण बैंक

सीए राकेश भानू अमरा
भागीदार (सदस्यता सं. 228411)

(टी. चंद्रशेखर)
महाप्रबंधक-I

(वाई.शोभा)
अध्यक्ष

दिनांक: 29.04.2025

स्थान: हैदराबाद

तेलंगाणा ग्रामीण बैंक TELANGANA GRAMEENA BANK



खम्मम में बैंक का अपना भवन

Bank's own Building at Khammam

साथ मिलकर - तेलंगाणा का भविष्य बनाएँ
Coming together - Shaping Future of Telangana



प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE

2-1-520, 2री मंजिल, विजयश्रीसाई सेलेस्टिया, स्ट्रीट नं.9, शंकरमठ रोड, नल्लाकुंटा, हैदराबाद - 500 044. तेलंगाणा, भारत.

टेलीफोन नं. 040-27602091 ई-मेल: tgbho@tgbhyd.in वेबसाइट: www.tgbhyd.in

2-1-520, 2nd Floor, Vijayasrisai Celestia, Street No. 9, Shankarmutt Road, Nallakunta, Hyderabad - 500 044. T.S. India.

Tel No. 's : 040-27602091 e-mail: tgbho@tgb.bank.in website: www.tgb.bank.in